वार्षिक रिपोर्ट 1989-90

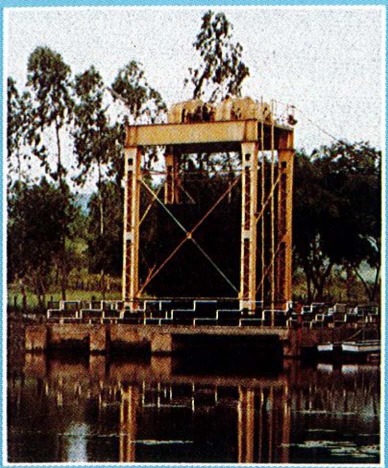

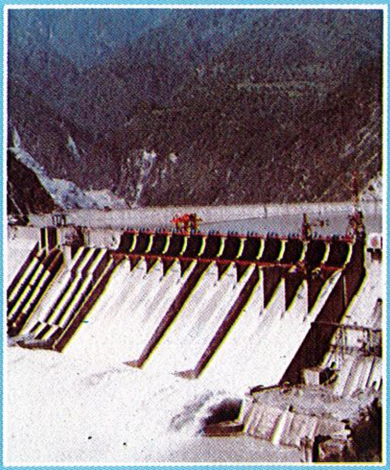

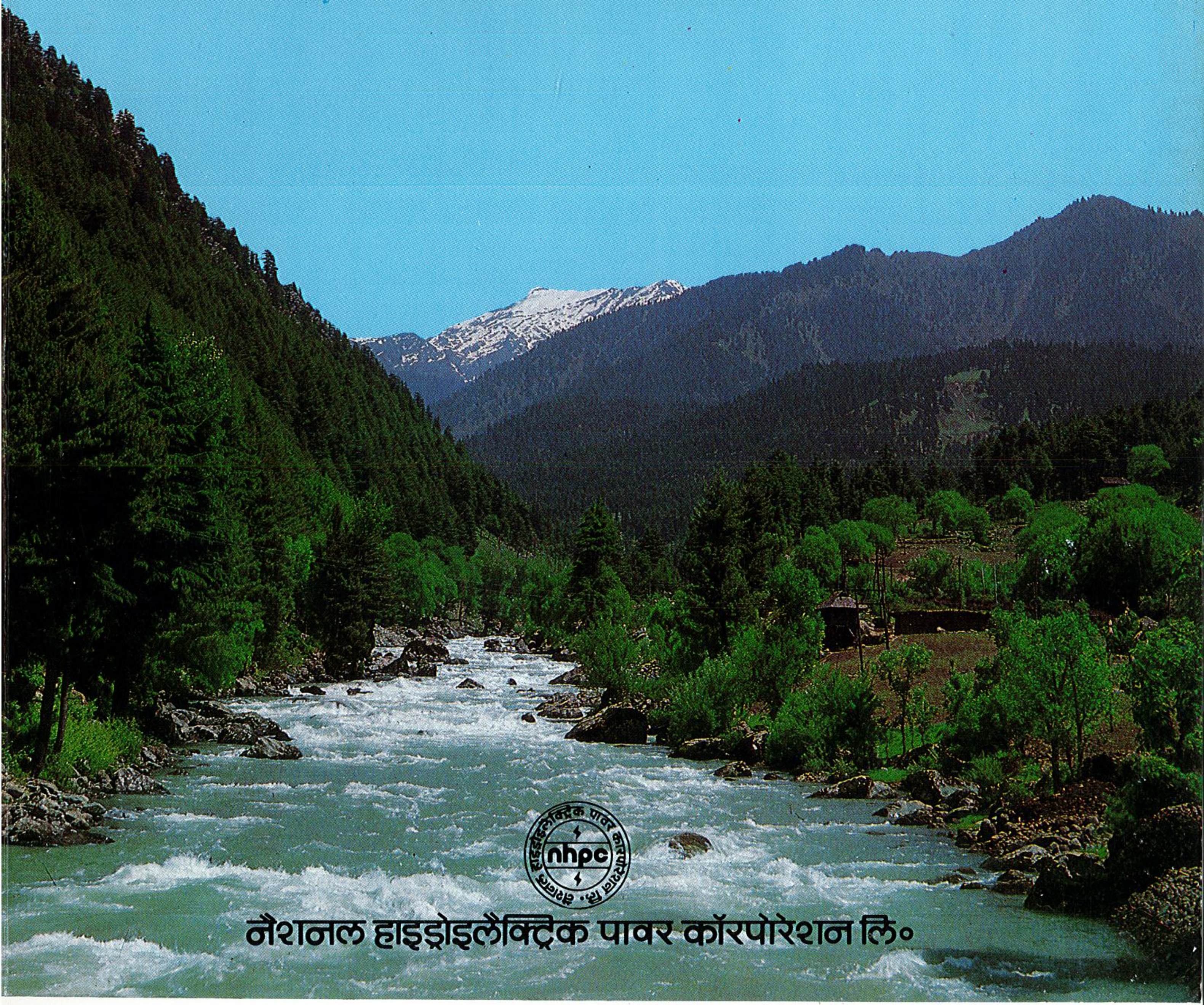

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि०

टनकपुर परियोजना — बराज

विषय-सूची

निदेशक मण्डल 2

अध्यक्षीय भाषण 3

निदेशकों की रिपोर्ट 6

लेखे 22

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 35

भारत के नियंत्रक व
महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां 50

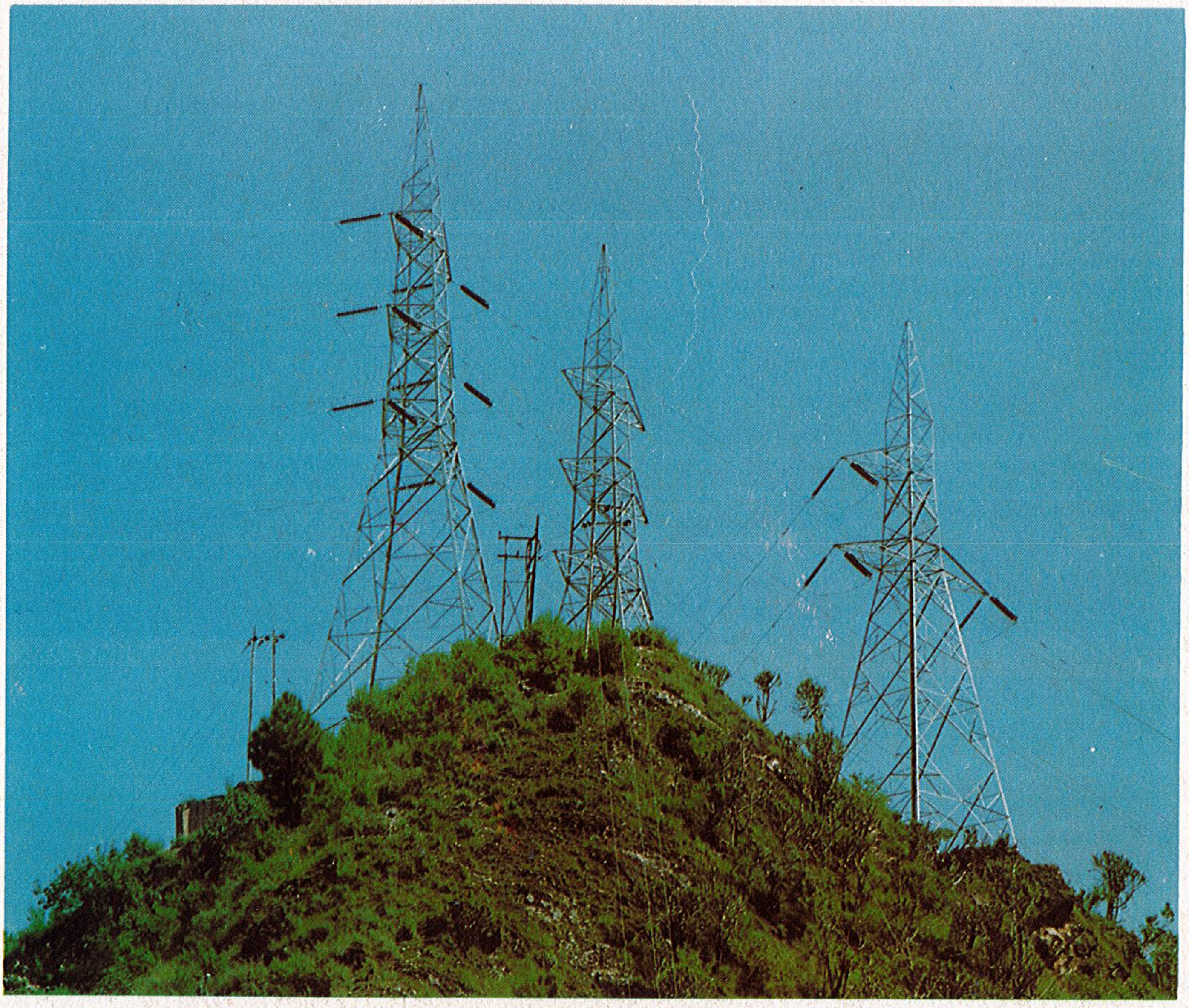

निदेशक मण्डल

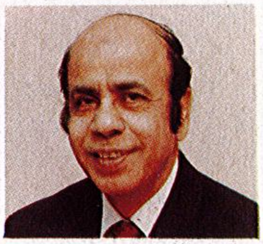

एम.ए. हाई

घनश्याम दास

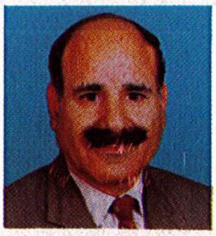

ब्रिगे. आर.के. वर्मा, ए.वी.एस.एम

एस.सी.सेन

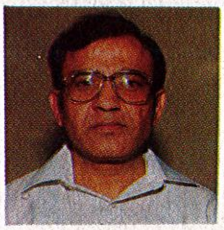

वी.के. खन्ना

यू.वी. भट्ट

डा. सी.डी. थाट्टे

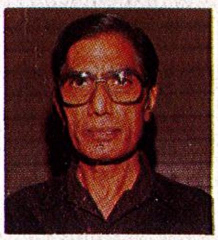

डॉ. एच.आर. शर्मा

कम्पनी सचिव व महाप्रबंधक (विधि)
श्री एन.वी. रामन

लेखापरीक्षकः

सांविधिक लेखापरीक्षक
मै. बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
3072, प्रताप स्ट्रीट,
गोला मार्किट, दरिया गंज,
नई दिल्ली-110002

संयुक्त शाखा लेखापरीक्षक
मै. जैन गोयल एण्ड स्वामी,
चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
3993-ए/10, रघू गंज,
चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006

मै. बहल गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
ए-9/34, वसन्त विहार,
नई दिल्ली-110057

शाखा लेखापरीक्षक
मै. गुहा नन्दी एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
कॉमर्स हाउस,
5वीं मंजिल, कमरा नं. 8-डी. एण्ड 8-ई.
2, गनेश चन्द्रा एवन्यू,
कलकत्ता-700013

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सिंडीकेट बैंक
सैंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

पंजीकृत कार्यालय
"हेमकुंट टावर"
98-नेहरू प्लेस,
नई दिल्ली-110019

अध्यक्षीय भाषण

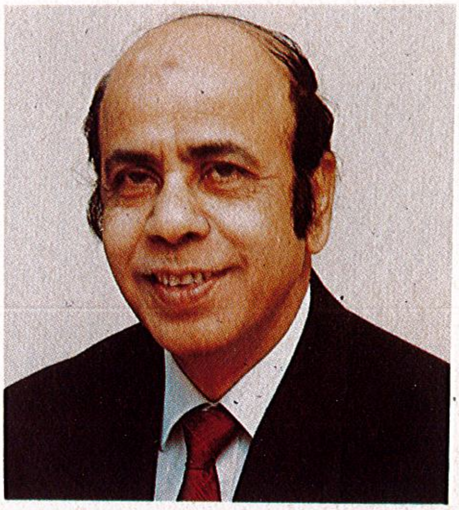

मित्रो

कारपोरेशन की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1989-90 के लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत है।

कारपोरेशन ने इस वर्ष के दौरान 52.50 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने पिछले वर्ष के 199.11 करोड़ रुपए की तुलना में 209.87 करोड़ रुपए का लेन-देन किया जिसमें 5.40% बढ़ोत्तरी हुई। कारपोरेशन की प्रचालित यूनिटों में लक्ष्य से अधिक उत्पादन हुआ। इस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 100.94% की तुलना में 107.35% उत्पादन था। पूरी क्षमता उपयोगिता पिछले वर्ष में 99.75% से बढ़कर इस वर्ष में 106.11% हो गई।

मुझे यह सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने इस कारपोरेशन का सूची-''ख'' से सूची-''क'' में दर्जा बढ़ा दिया है। इसी सिलसिले में निदेशक (परियोजनाएं) के पद के सृजन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी

टनकपुर परियोजना — निर्माणाधीन पावर चैनल

भी प्राप्त हो गई है। कारपोरेशन की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 1,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,500 करोड़ रुपए हो गई है।

वर्ष 1989-90 के दौरान कारपोरेशन ने बॉण्डों के माध्यम से 370 करोड़ रुपए की राशि की बढ़ोत्तरी की है। कारपोरेशन को 1990-91 के दौरान 215 करोड़ रुपए के बाण्ड जारी करने का अधिकार मिल गया है।

भारत सरकार ने 3467 करोड़ रुपए की लागत पर कुल 1275 मेगावाट की चार और परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी है। ये है — 345 मेगावाट की सलाल चरण-II, 390 मेगावाट की दुलहस्ती, 480 मेगावाट की उड़ी और 60 मेगावाट की रंगित परियोजना। कारपोरेशन ने इन परियोजनाओं का कार्यक्रम के अनुसार निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प किया है और इसकी प्रगति को प्रभावशाली ढंग से मानिटर कर रही है।

चमेरा और टनकपुर नामक दो निर्माणाधीन परियोजनाओं में संतोषजनक निष्पादन हुआ। कारपोरेशन ने चमेरा परियोजना के बांध में जनवरी, 1990 के महीने में 85,000 क्यूबिक मी. की कंक्रीट भराई की जो कि एक रिकार्ड है। वर्ष के दौरान परियोजना के सभी हिस्सों पर निर्माण गतिविधियों की प्रगति को आगे बढ़ाया गया था। इस प्रकार टनकपुर परियोजना में भी कारपोरेशन ने सभी हिस्सों पर निर्माण गतिविधियों की प्रगति को लक्ष्य के अनुसार बनाए रखा। दोनों परियोजनाओं में प्रगति की रफ़्तार को ठीक तरह से बनाए रखने के लिए नियमित समीक्षा की जाती रही है ताकि परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार चालू करने में कारपोरेशन समर्थ हो।

लोक निवेश बोर्ड ने 280 मेगावाट की धौलीगंगा चरण-I परियोजना की मंजूरी दे दी है। कोयल कारो परियोजना के लिए वन मंजूरी प्राप्त हो गई है और पी.आई.बी. मेमों सरकार को अगस्त, 1990 में पेश कर दिया गया है। आशा है चमेरा चरण-II, बगलिहार और सावलकोट परियोजनाएं भी सरकार के सम्मुख निवेश निर्णय के लिए जल्दी ही आ जाएंगी।

कारपोरेशन ने पांच परियोजनाओं का अन्वेषण पूरा कर लिया है। इनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पेश की जा रही हैं।

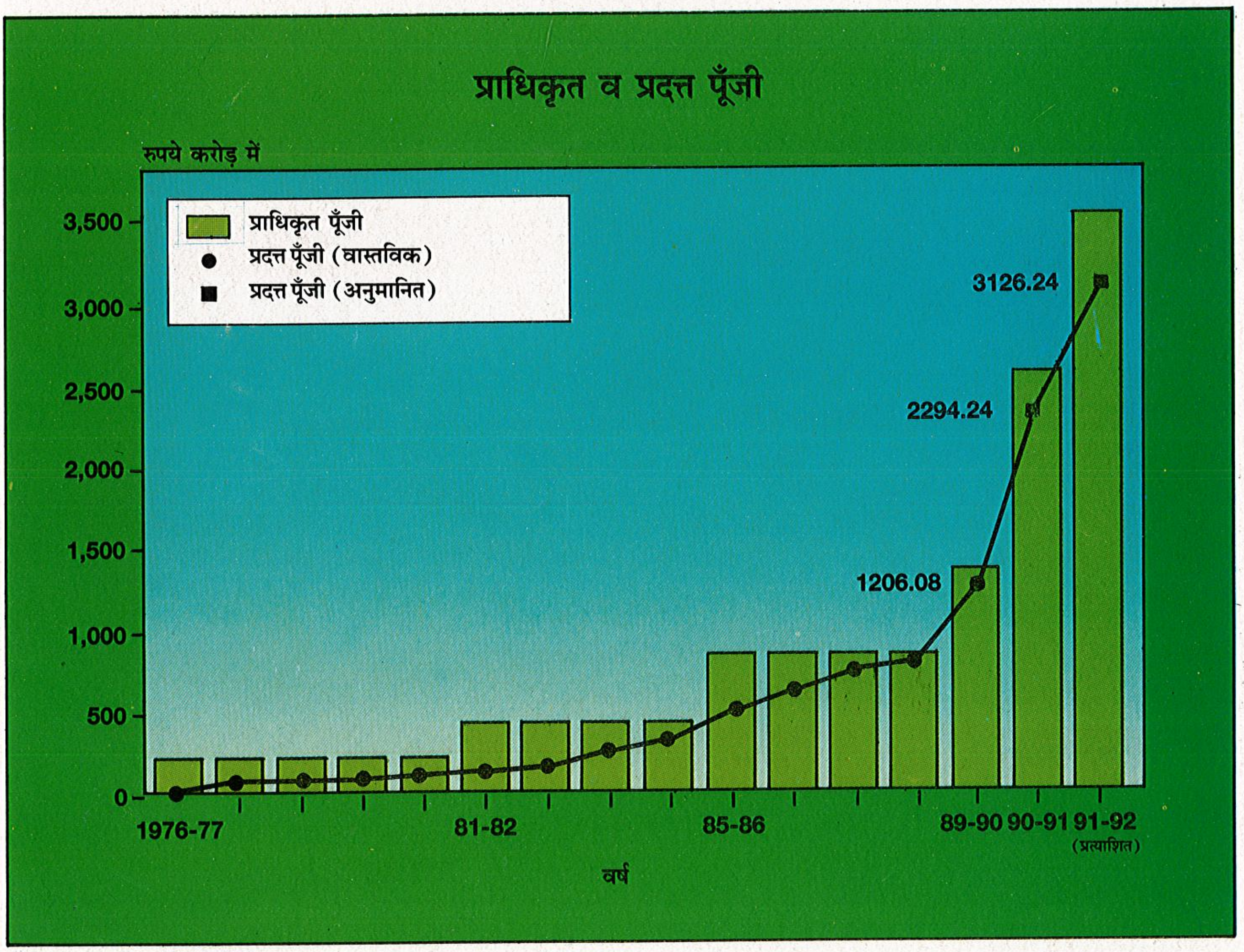

उड़ीसा में 400 के.वी. जेपोर-तलचर ट्रांसमिशन सिस्टम वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया था। उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए ऋण के संबंध में विश्व बैंक के साथ एक करार जल्दी ही किए जाने की आशा है। दुलहस्ती ट्रांसमिशन के टर्नकी आधार पर निष्पादन के लिए भी रूस से बातचीत चल रही है। कारपोरेशन ने माल्दा में चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम के 400 के.वी. सब-स्टेशन को भी इस वर्ष जुलाई में चालू कर दिया है। वर्ष के दौरान सभी अन्य सम्बद्ध ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर था। कारपोरेशन ने अपने क्षतिपूरक और वैकल्पिक वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजना स्थलों पर अभी तक 56 लाख पेड़ लगाए हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बद्ध कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष के दौरान विशेष प्रयास किए गए। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 794 कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से 105 कर्मचारी अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों के थे।

मैं माननीय ऊर्जा मंत्री और सचिव (विद्युत) तथा विद्युत विभाग में विशेष सचिव को उनके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, विद्युत बोर्डों, तकनीकी संगठनों और विदेशी संघों को भी हमारी गतिविधियों में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं निदेशक बोर्ड के अपने साथियों का भी आभारी हूं जिन्होंने कारपोरेशन के कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया। मैं वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियों में कारपोरेशन के सभी स्तर के कर्मचारियों के समर्पित सहयोग की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ।

एम. ए. हाई

(एम.ए. हाई)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री एम.ए. हाई, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, नई दिल्ली में प्रैस कान्फ्रैन्स को सम्बोधित करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट

हिस्सेदारों की सेवा में

आपके निदेशकों को 31.3.1990 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरणी सहित 14वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें:

कार्यरत पावर स्टेशनः

वर्ष के दौरान कार्यरत स्टेशनों-बैरास्यूल, लोकतक और सलाल (चरण-I) में लक्ष्य से अधिक वास्तविक विद्युत उत्पादन हुआ। पिछले वर्ष 100.94 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि 107.35 प्रतिशत रही। पिछले वर्ष की 99.75 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष के दौरान 106.11 प्रतिशत की कुल क्षमता उपयोगिता प्राप्त हुई।

बैरास्यूल पावर स्टेशनः

वर्ष के दौरान, बैरास्यूल परियोजना में 750 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 662.25 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ जिसमें लक्ष्य की तुलना में 88.3 प्रतिशत की सफलता मिली। यह कमी पानी के कम बहाव के कारण आयी थी। 750 मिलियन यूनिट की वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता के आधार पर क्षमता उपयोगिता 88.3 प्रतिशत रही।

जुलाई, 90 तक 400 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में इस अवधि में 384.738 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ।

लोकतक पावर स्टेशनः

लोकतक पावर स्टेशन में 410 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 449.29 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ जिसमें लक्ष्य की तुलना में 109.58 प्रतिशत की सफलता मिली। इस पावर स्टेशन में इससे अधिक विद्युत उत्पादन किया जा सकता था लेकिन पावर ग्रिड के लिए बिजली की कम मांग होने के कारण वास्तविक बिजली उत्पादन सीमित रहा। 448 मिलियन यूनिट की वार्षिक उत्पादन क्षमता के आधार पर क्षमता उपयोगिता 100.29 प्रतिशत रही।

जुलाई, 90 तक की अवधि के दौरान 131 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 144.987 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ।

सलाल पावर स्टेशनः

सलाल पावर स्टेशन में 2038 मि.यू. के लक्ष्य/क्षमता की तुलना में 2321.580 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ। वर्ष 1989-90 के दौरान लक्ष्य की तुलना में 113.91 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता प्राप्त हुई। जुलाई, 1990 तक 889 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में इस अवधि के दौरान 943.08 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ।

चुखा ट्रांसमिशन सिस्टमः

चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान 1374 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 1418.19 मि.यू. कुल बिजली प्राप्त और पारेषित की गई। 1990-91 के दौरान जुलाई, 1990 के अन्त तक इस अवधि के लिए 507.45 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 558.693 मि.यू. बिजली की प्राप्ति हुई।

लाभभोक्ताओं से बकाया देयताएं:

कम्पनी द्वारा दी गयी बिजली के लिए विभिन्न लाभभोक्ताओं की तरफ वर्ष के अंत तक 208.34 करोड़ रुपये की देयताएं बकाया हैं। यह राशि वर्ष के दौरान कम्पनी के बिजली की बिक्री के व्यवसाय का लगभग 99.27 प्रतिशत बनता है। जैसाकि कम्पनी की पिछली रिपोर्ट में

लोकतक परियोजना — पेनस्टॉक

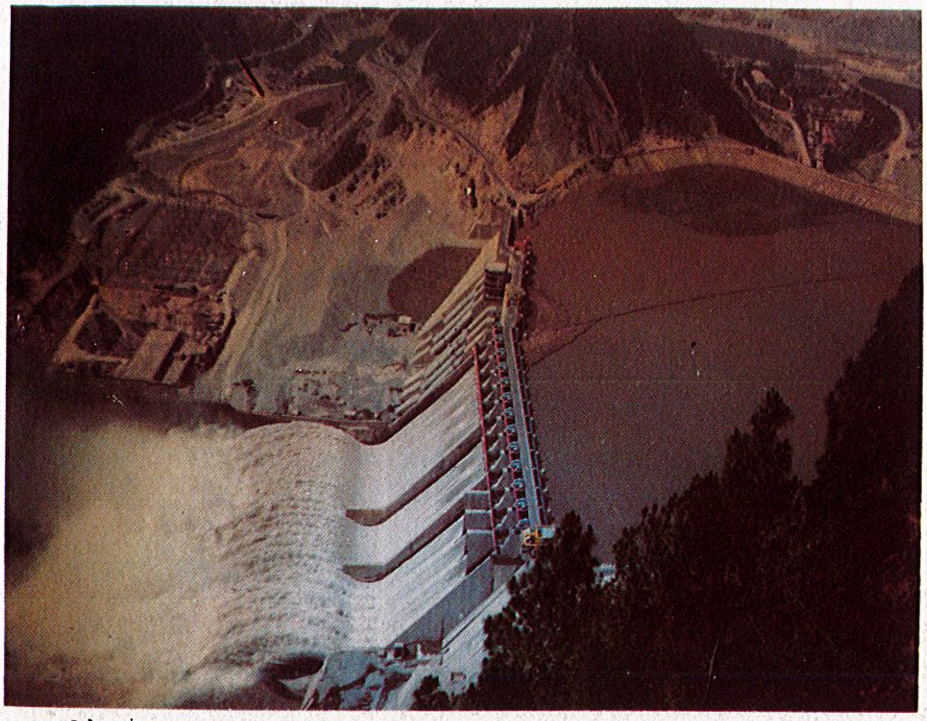

सलाल परियोजना — सामान्य दृश्य

पहले ही बताया गया है, कि देयताओं की वसूली में सुधार लाने के लिए कम्पनी ने विभिन्न कदम उठाये हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये अनुसार हैः-

(1) बिलों की अदायगी के लिए.एन.एच.पी.सी. के पक्ष में लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए लाभभोक्ताओं को राजी करने के प्रयास किये गये।

(2) लाभभोक्ताओं से कारपोरेशन द्वारा सीधे और ऊर्जा मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों द्वारा बकाया निपटान के लिए लगातार अनुरोध किये जाते रहे हैं।

(3) विभिन्न लाभभोक्ताओं के पास उनकी बकाया देयताओं को देने के लिए व्यक्तिगत तौर से लगातार अधिकारी भेजे गये हैं।

(4) एन.एच.पी.सी. देयताओं की बाकी देनदार राज्यों की केन्द्रीय योजना सहायता में से वसूली करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

(5) भारत सरकार के सचिव (विद्युत) ने कुछ लाभभोक्ता राज्यों के मुख्य सचिवों की एक बैठक 8 मार्च, 1990 को बुलाई थी जिसमें एन.एच.पी.सी. की देयताओं की अदायगी के लिए उनसे एक प्रभावी योजना बनाने के लिए कहा गया है।

(6) केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने 18 अप्रैल, 1990 को एक बैठक बुलायी थी जिसमें अन्य लोगों के अलावा सिंचाई व विद्युत राज्य मंत्री, हरियाणा और बिहार राज्य के ऊर्जा मंत्री उपस्थित थे। इस बैठक में कारपोरेशन की देयताओं की अदायगी की आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप लाभतोक्ताओं के साथ बकाया निपटान और चालू देयताओं की अदायगी की वसूली के लिए प्रभावी योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड, सिक्किम, नागालैण्ड, हरियाणा बिजली बोर्ड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड, दामोदर घाटी निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान एन.एच.पी.सी. के बकाया निपटान के लिए प्रभावी योजनाओं पर और चालू देयताओं की नियमित अदायगी के लिए भी सहमत हो गये हैं।

विभिन्न स्तरों के लिए निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, और बिहार राज्य बिजली बोर्ड, एन.एच.पी.सी. की देयताओं की अदायगी के लिए समुचित लेटर्स ऑफ क्रेडिट खोलने के लिए सहमत हो गए हैं। फिर भी, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, जम्मू व कश्मीर और असम राज्य बिजली बोर्ड, और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के साथ प्रभावी योजनाओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त कारपोरेशन विद्युत विभाग के माध्यम से भारत सरकार से विभिन्न लाभभोक्ताओं की कारपोरेशन के देयताओं की सम्बद्ध राज्यों के केन्द्रीय योजना सहायता में से वसूली के लिए बात करता रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि इन प्रयासों से भारत सरकार ने कुछ लाभ-भोक्ताओं की केन्द्रीय सहायता में से 6.69 करोड़ रुपए के विनियोग की अनुमति कारपोरेशन को दे दी और यह राशि सीधे कारपोरेशन को अदा करने का भी आदेश दिया था।

यह राशि कारपोरेशन ने अभी अगस्त, 1990 में प्राप्त कर ली है। निरन्तर प्रयासों और प्रभावी योजनाओं के लागू होने पर आशा है कि लाभ-भोक्ताओं की तरफ कारपोरेशन की देयताओं में आने वाले वर्षों में वांछित स्तरों तक पर्याप्त कमी आयेगी।

चालू परियोजनाएं:

चमेरा जल-विद्युत परियोजना (चरण-I) (3 × 180 मेगावाट), हिमाचल प्रदेशः

बांधः

रिपोर्टाधीन वर्ष के अन्त तक 12 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट की तुलना में 5.68 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट की भराई की गई। जनवरी, 1990 में 85000 क्यूबिक मीटर की एक उल्लेखनीय कंक्रीट भराई की गई। स्लूस लाइनर लगाए गए और उन्हें कंक्रीट में बिठाया गया। अन्य दो लाइनरों का उत्थापन प्रगति पर था। बांध के विभिन्न खण्डों को ई.एल. 668.50 से ई.एल. 684.25 की रेंज तक बढ़ाया गया। बांध का सबसे ऊंचा खण्ड बांध की 141 मीटर की कुल ऊंचाई की तुलना में 60 मीटर तक ऊंचा किया गया।

बांध में सभी प्रगति सन्तोषप्रद रही और हाइड्रोमैकेनिकल गेटों सहित बांध, परियोजना के चालू होने के कार्यक्रम दिसम्बर 1992 तक पूरा हो जायेगा।

पावर सुरंगः

पावर सुरंग की 6443 मीटर प्रत्येक की मात्रा की तुलना में 4346 मीटर हेडिंग, 1556 मीटर बैंचिंग और 673 मीटर की कंक्रीट लाइनिंग पूरी कर ली गई है। पावर सुरंग की हैडिंग की खुदाई कार्यक्रम के अनुसार मई, 1991 तक पूरी हो जायेगी। हैडिंग के पूरा होने के बाद बैंचिंग और कंक्रीटिंग की प्रगति में सुधार होगा। सुरंग के जटिल भाग के 340 मीटर लम्बाई पर कार्य, परियोजना के दिसम्बर, 1992 तक पूरा होने के लिए, समय पर पूरा हो जायेगा। इस भाग पर सुरंग की खुदाई के लिए विदेशी विशेषज्ञों को लगाने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। आशा है कि ऐसी मदद से कार्य, परियोजना के चालू होने के समय दिसम्बर, 1992 तक, समय पर पूरा हो जायेगा।

पावर हाउसः

पावर हाउस गुफा में यूनिट III और यूनिट II की खुदाई पूरी हो गई थी और इसके बाद यूनिट-I के लिए खुदाई शुरू की जायेगी। यूनिट III में ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर का उत्थापन चालू हो गया था। प्रेशर शाफ्ट, बस शाफ्ट, सर्जशाफ्ट, ड्राफ्ट ट्यूब और ड्राफ्ट ट्यूब सर्ज शाफ्टों जैसी अन्य मुख्य

गतिविधियों पर काम कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर था। स्विचयार्ड भवन का सिविल कार्य सन्तोषजनक ढंग से प्रगति पर था। भवन की मुख्य मंजिल की कंक्रीटिंग पूरी कर ली गई थी और छत सहायक खम्भों की कंक्रीटिंग प्रगति पर थी।

टेलरेस सुरंग:

2414 मीटर हैडिंग, बैंचिंग और कंक्रीटिंग गतिविधियां पूरी होने के बाद कार्य हाथ में लिए गए थे। 2414 मीटर की कुल मात्रा की तुलना में 996 मीटर बैंचिंग और 142 मीटर कंक्रीट लाइनिंग पूरी हो गई थी। टेलरेस सुरंग कार्य की प्रगति संतोषजनक है और समय पर पूरा हो जायेगा।

चालू होने का कार्यक्रम:

इस परियोजना को नीचे दिए अनुसार दिसम्बर, 1992 तक चालू करने का कार्यक्रम है:-

यूनिट-I	—	अक्तूबर, 1992
यूनिट-II	—	नवम्बर, 1992
यूनिट-III	—	दिसम्बर, 1992

टनकपुर जल-विद्युत परियोजना (3×40 मे.वा.) उत्तर प्रदेश:

भूमि अधिग्रहण:

परियोजना के निर्माण कार्यों में भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण बाधा पड़ी थी। वर्ष के दौरान इसके समाधान किए गए थे।

बराज और हेड रेगुलेटर:

बराज और हेड रेगुलेटर नींव के सभी 22 वेज और खम्भों का सिविल कार्य पूरा किया गया था। कुल 22 खम्भों में से 16 खम्भे पूरी ऊँचाई तक बढ़ाए गए थे। शेष 6 खम्भों और वेज का कार्य प्रगति पर था। बराज के 12 गेटों पर हाइड्रोमैकेनिकल कार्य पूरा कर लिया गया था और शेष 10 गेटों की आपूर्ति और निर्माण भी पूरा कर लिया गया था। हेड रेगुलेटर और दाया प्रवाह पुश्ता पूरा किया गया था और बांया खण्ड और बाएं प्रवाह पुश्ते का कार्य समुचित ढंग से प्रगति पर था। सभी निर्माण कार्य परियोजना के कार्य, मार्च, 1992 तक पूरा होने के कार्यक्रम के अनुसार, पूरे हो जायेंगे।

पावर चैनल:

6.44 कि.मी. लम्बी पावर चैनल में 28.64 लाख एम^3 मिट्टी के कार्य में से 22.26 लाख एम^3 पूरा कर लिया गया था और लाइनिंग कार्य अगले कार्य सत्र से शुरू किया जायेगा जो परियोजना के चालू होने के कार्यक्रम तक पूरा हो जायेगा।

फोरबे बाइपास और पावर हाउस:

मुख्य पावर हाउस में 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा कर लिया गया था और यूनिट-I, II और III में सर्विस-बे के ऊपर मशीन हाल रूफ रखी गयी थी। यूनिट-I में टर्बाइन का उत्थापन प्रगति पर था। यूनिट-II के रनर चैम्बर की संस्थापना की गई और स्क्रॉल केसिंग का उत्थापन प्रगति पर था। यूनिट-III में स्क्रॉल केसिंग कर ली गई थी। टेल पूल फोरबे, बाइपास स्पिलवे, सहायक खण्ड और नियंत्रण खण्ड का सिविल कार्य प्रगति पर था। सभी शेष निर्माण कार्य, परियोजना के चालू होने के कार्यक्रम तक, समय पर पूरे कर लिए जायेंगे।

टेलरेस चैनल:

टेलरेस चैनल का कार्य जनवरी, 1990 में चालू हुआ था और परियोजना के चालू होने, मार्च, 1992, तक पूरा हो जायेगा।

चालू करने का कार्यक्रम:

परियोजना को नीचे दिए अनुसार मार्च, 1992 तक चालू करने का कार्यक्रम है:-

यूनिट-I	—	जनवरी, 1992
यूनिट-II	—	फरवरी, 1992
यूनिट-III	—	मार्च, 1992

टनकपुर परियोजना — टरबाइन उत्थापन

दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना (3×130 मे.वा.) जम्मू व कश्मीर:

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना का निष्पादन टर्नकी आधार पर फ्रेंच कंसोर्टियम द्वारा करने की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो गई थी और भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से वाणिज्यिक अनुबंधों पर सितम्बर, 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे। द्विपक्षीय वित्तीय करारों पर अन्तिम बातचीत होने पर सितम्बर, 1989 के दौरान हस्ताक्षर भी किए गए थे। करार 10 अक्तूबर, 1989 से लागू हुआ और एन.एच.पी.सी. ने ठेकेदार को कार्य आरम्भ करने के लिए आदेश 11 अक्तूबर, 1989 को जारी किया था। यह परियोजना कंसोर्टियम द्वारा आदेश के शुरू होने की तारीख से 57 महीनों में यानी जुलाई, 1994 तक पूरी की जानी है।

कंसोर्टियम ने स्थलाकृति संबंधी, जलवायु विषयक भू-वैज्ञानिक आंकड़े एकत्रित करने का कार्य पूरा कर लिया है। इस कंसोर्टियम ने डिजाइन समीक्षा रिपोर्ट भी पेश कर दी है। जुलाई, 1990 के अन्त तक डाइवर्शन चैनल और स्थल पर विभिन्न अवस्थितियों पर ठेकेदारों के कैम्प के निर्माण कार्य प्रगति पर थे।

डाइवर्शन चैनल के हाइड्रोलिक .मॉडलों का परीक्षण ठेकेदारों ने कर लिया है और डिसिल्टिंग बेसिन के हाइड्रोलिक मॉडल परीक्षण जल्दी ही शुरू किए जायेंगे।

डाइवर्शन चैनल के ड्रिलिंग और खुदाई कार्य में ठेकेदार लगे हुए हैं। परियोजना के सिविल निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं जिनमें शामिल हैं — मकान, कार्यालय, भवन, भण्डार और कार्यशालाएं, स्कूल और अस्पताल। पहुंच सड़कों और प्लेटफार्मों का कार्य भी तेजी से चल रहा है। डाइवर्शन चैनल की 2,30,000 क्यू.मी. कुल खुदाई कार्य में से 75000 क्यू.मी. की खुदाई पूरी कर ली गई है। नदी का डाइवर्शन जनवरी, 1991 तक करने की योजना है।

प्रारम्भिक अन्डरग्राउन्ड निर्माण कार्य प्रगति पर है। बहुत से निर्माण उपस्कर जिनमें देशी और आयातीत दोनों हैं, स्थल पर पहुँच गए हैं। इलैक्ट्रोमैकेनिकल और हाइड्रोमैकेनिकल उपस्कर के स्थल पर पहुंचने के बाद उत्थापन कार्य मार्च, 1992 में आरम्भ होने की आशा है।

उड़ी जल-विद्युत परियोजना (4×120 मे.वा.) जम्मू व कश्मीरः

भारत सरकार की अनुमति से परियोजना के टर्नकी आधार पर निष्पादन करने के लिए स्विडिश-ब्रिटिश कंसोर्टियम-कम्पनियों के साथ करार पर अक्तूबर, 1989 में हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना की निकटतम लागत के करीब धन लगाने के लिए अक्तूबर/नवम्बर, 1989 के दौरान आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए भी हस्ताक्षर किए गए थे। चालू करने का आदेश 22.11.1989 को जारी किया गया था और परियोजना के 72 महीनों में यानी नवम्बर, 1995 तक पूरी हो जाने की आशा है। वर्ष के दौरान, कंसोर्टियम ने सर्वेक्षण कार्य और पूर्व-निर्माण अन्वेषण शुरू कर दिए हैं। मॉडल अध्ययनों का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ठेकेदार ने विभिन्न परियोजना हिस्सों का डिजाइन भी आरम्भ कर दिया है।

फिर भी, जम्मू व कश्मीर राज्य में कानून व व्यवस्था की चालू स्थिति के कारण स्थल पर कार्य को धक्का लगा है। जुलाई, 1990 के अन्त तक कार्य का स्तर नीचे दिए अनुसार था —

डिजाइन व प्लानिंगः

(क) डिजाइन व इंजीनियरिंग कार्य की प्रगति संतोषजनक है। ठेकेदार ने परियोजना ले आउट रिपोर्ट पेश कर दी है और एन.एच.पी.सी. इसकी जांच कर रही है। परियोजना ले आउट रिपोर्ट को नवम्बर, 1990 तक अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

(ख) स्पिलवे और डिसिल्टिंग बेसिन के लिए मॉडल परीक्षण स्वीडन में पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

(ग) बराज के स्पिलवे भाग के ले-आउट तैयार करने का कार्य अग्रिम चरण में है। अन्तिम ले-आउट में इस समय चल रहे हाइड्रोलिक मॉडल परीक्षणों के परिणामों को ध्यान में रखा जायेगा।

(घ) स्विको ने यांत्रिकी निर्माण कार्यों के बेसिक डाटा और पैरामीटरों की समीक्षा की है और उसके परिणामों को परियोजना ले-आउट रिपोर्ट में शामिल किया है। विद्युतीय निर्माण कार्यों के लिए बेसिक तकनीकी पैरामीटरों की समीक्षा प्रगति पर है।

दुलहस्ती परियोजना — ड्रिफ्ट का कार्य प्रगति पर

उड़ी परियोजना — अन्तः संरचनात्मक कार्य प्रगति पर

सिविल कार्यः

(क) **अन्तःसंरचनाः**
ठेकेदार ने अस्थाई स्थल कार्यालय, अस्थाई स्टोर और यांत्रिकी वर्कशॉप स्थापित कर लिए हैं। ठेकेदार ने वरिष्ठ स्टाफ कालोनी के 45 मकानों के लिए नींव की खुदाई भी पूरी कर ली है। आधे मकानों के लिए आधारिक पट्टियां लगाई जा चुकी हैं। लेबर कैम्प में 5 मकानों का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बुनियार घाटी में सार्वजनिक सड़क को ठीक करने का कार्य प्रगति पर है। एक नई पुलिया और दो पुलों का भी निर्माण किया गया है। भारी ट्रांसमिशन लाइनों के होने और भूमि प्राप्त न होने के कारण अन्य क्षेत्र में कार्य शुरू नहीं किया जा सका है।

(ख) **भूमिः**
ठेकेदार ने 165 हेक्टेयर भूमि की जरूरत का अनुमान लगाया है जिसमें से अनुमानतः 15 हेक्टेयर भूमि अब तक सौंप दी गई है। राज्य में चालू स्थिति के परिणाम स्वरूप भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। फिर भी, एन.एच.पी.सी. इसे जल्दी अधिग्रहित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

यांत्रिकी-उपस्कर और विद्युत उपस्करः

(क) विद्युत-यांत्रिकी उपस्कर का डिजाइन और उसकी इंजीनियरिंग प्रगति पर है।

(ख) टर्बाइन मॉडल परीक्षण स्वीडन में प्रगति पर है।

सलाल जल-विद्युत परियोजना (चरण-II) (3×115 मे.वा.) जम्मू व कश्मीरः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परियोजना के निष्पादन के लिए भारत सरकार की अनुमानित लागत 303.78 करोड़ रुपए, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज के 23.81 करोड़ रु. शामिल हैं, पर निवेश निर्णय की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वर्ष के दौरान टेलरेस सुरंग और पावर हाउस के लिए ठेके दिए गए थे। टेलरेस सुरंग को पहुंच एडिट की 183 मीटर की खुदाई की गई जिसमें क्वाई नालाह डायवर्शन चैनल को बनाया और उत्पादन पूरा किया गया और कंक्रीट क्लैडिंग प्रगति पर थी। वर्ष के दौरान पावर हाउस गड्ढे में 12,000 क्यू. की खुदाई और 2,206 क्यू. की कंक्रीटिंग पूरी की गई थी। परियोजना को सितम्बर, 1993 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

नई परियोजनाएं:

रंगित जल-विद्युत परियोजना (3×20 मे.वा.) सिक्किमः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परियोजना की अनुमानित लागत 181.16 करोड़ रुपए, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज के 16.03 करोड़ रुपए शामिल हैं, की मंजूरी पी.आई.बी. द्वारा दी गई थी। विद्युत विभाग ने परियोजना के निष्पादन के लिए निवेश स्वीकृति जारी करते समय यह शर्त लगा दी थी कि परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभावी योजना पर्यावरण व वन मंत्रालय को 15 दिनों के अन्दर पेश कर दी जानी चाहिए। इसके बाद मामलों को पर्यावरण और वन मंत्रालयय के साथ उठाया गया और वे पर्यावरण प्रभावी योजना 31 मार्च, 1991 तक पेश करने के लिए सहमत हो गए हैं। पर्यावरण प्रभावी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। प्रभावी योजनाएं तैयार करने का मामला लम्बित होने पर भी भारत सरकार ने परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए आदेश प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है।

इस दौरान परियोजना के लिए 108.84 हेक्टेयर निजी भूमि अधिगृहित की गई। अतः संरचनात्मक निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

चमेरा जल-विद्युत परियोजना (चरण-II) (3×100 मे.वा.) हिमाचल प्रदेशः

सामान और सेवाएं देने के लिए कनेडियन पार्टियों के संशोधित प्रस्ताव स्टीयरिंग एण्ड नेगोसिएटिंग कमेटी के विचाराधीन हैं।

इस बीच कारपोरेशन ने अग्रिम चरण के तौर पर एडिट-I और II को पहुंच सड़कों, टेलरेस सुरंग आउट लेट और डाइवर्शन सुरंग आउटलेट का कार्य पूरा कर लिया गया है। डाइवर्शन सुरंग के इन्लैट और पावर हाउस को जाने वाली पहुंच सड़कों का कार्य प्रगति पर है।

धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना (चरण-I) (4×70 मे.वा.) उत्तर प्रदेशः

सुरक्षा की दृष्टि से परियोजना दिसम्बर, 1989 में मंजूर हुई थी। निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित भूमि की पहचान की जा रही है। संबद्ध ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए वन मंजूरी नहीं मिली है। लोक निवेश बोर्ड ने परियोजना के विद्युत उत्पादन हिस्से के लिए 517.46 करोड़ रुपए, जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 84.53 करोड़ रुपए, की अनुमति 28.6.90 को दी थी। निवेश मंजूरी की प्रतीक्षा है।

कोयलकारो जल-विद्युत परियोजना (4×172.5 मे.वा.+1×20 मे.वा.) बिहारः

भूमि उपलब्ध न होने और व्यय की सीमा 8 करोड़ रुपए तक सीमित होने के कारण इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। परियोजना के लिए संशोधित अनुमानों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी नवम्बर, 1988 में दी गई थी। यह प्रसन्नता की बात है कि परियोजना के लिए आवश्यक वन मंजूरी जुलाई, 1990 में प्राप्त हो गई है। 1060.71 करोड़ रुपए जमा निर्माण के दौरान ब्याज के 188.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए पी.आई.बी. मेमों सरकार को अगस्त, 1990 में पेश कर दिया गया है। कारपोरेशन परियोजना के संशोधित अनुमानों के लिए आवश्यक निवेश मंजूरी प्राप्त होने पर तत्काल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तैयार है।

बगलिहार जल-विद्युत परियोजना (3×150 मे.वा.) जम्मू व कश्मीरः

संपोषक अन्वेषणों और अन्तःसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। परियोजना के लिए 887.23 करोड़ रुपए जमा फरवरी, 1989 के मूल्य स्तर पर निर्माण के दौरान ब्याज के 110.27 करोड़ रुपए सहित अद्यतन अनुमानित लागत जांच के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पेश कर दी गई थी। इसकी जांच के बाद केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुछ टिप्पणियां की हैं जिनका उत्तर कारपोरेशन द्वारा दिया जा रहा है। पहले पी.आई.बी. की बैठक 2.6.89 को हुई थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से आवश्यक तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्राप्त होने पर पी.आई.बी. मेमों प्रस्तुत किया जायेगा।

तीस्ता जल-विद्युत परियोजना (चरण-III) (6×200 मे.वा.) सिक्किमः

इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमानों सहित तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को मई, 1990 में पेश कर दी गई है।

सावलकोट जल-विद्युत परियोजना (3×200 मे.वा.) जम्मू व कश्मीरः

संपोषक अन्वेषणों के कार्य प्रगति पर हैं। कुछ अन्तः संरचनात्मक सुविधाओं का विकास भी तेजी से किया जा रहा है। फरवरी, 1990 के मूल्य स्तर पर 1126.23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए मसौदा पी.आई.बी. मेमों विद्युत विभाग को 18.4.90 को पेश कर दिया गया है।

कच्छ ज्वारीय परियोजना (900 मे.वा.) गुजरातः

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिसम्बर, 1987 के मूल्य स्तर पर 1387.27 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर परियोजना सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है और इस पर तकनीकी-आर्थिक मंजूरी के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है जो कि अन्वेषण के अन्तिम चरण में भी है।

अन्वेषण परियोजनाएं:

धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना (मध्य चरण) (200 मे.वा.) उत्तर प्रदेशः

धौलीगंगा जल-विद्युत परियोजना (मध्य चरण) (200 मे.वा.) उत्तर प्रदेश, का अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दिनांक 7.8.1990 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत विभाग को पेश कर दी गई है।

निम्नलिखित परियोजनाओं के अन्वेण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें बनाई जा रही हैं:-

(1) गौरीगंगा जल-विद्युत परियोजना (चरण-I) (60 मे.वा.) उत्तर प्रदेश।

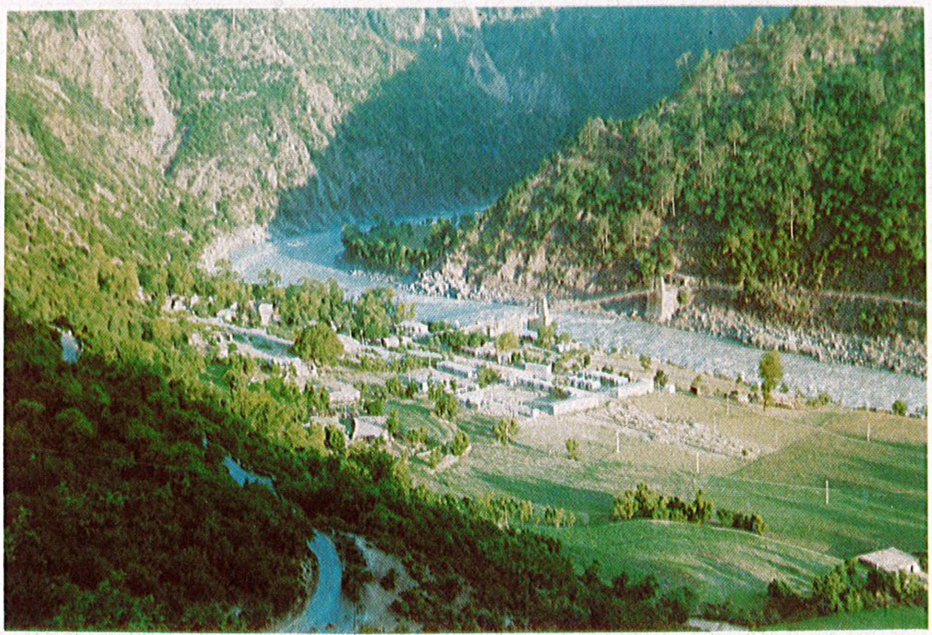

सावलकोट परियोजना — परियोजना स्थल

(2) गौरीगंगा जल-विद्युत परियोजना (चरण-II) (120 मे.वा.) उत्तर प्रदेश।

(3) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना (390 मे.वा.) जम्मू व कश्मीर।

गौरीगंगा जल-विद्युत परियोजना (चरण-III) (140 मे.वा.) उत्तर प्रदेश, के भू-तकनीकी अन्वेषण प्रगति पर हैं और अन्वेषण कार्य नवम्बर, 1990 तक पूरे हो जाने की आशा है।

ट्रांसमिशन सिस्टमः

400 के.वी. मोगा-भिवानी ट्रांसमिशन लाइनः

वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन लाइन के मार्ग का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया गया था। 225.5 कि.मी. का जांच सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था और जुलाई, 1990 तक 49.5 कि.मी. लम्बी लाइन और पूरी की गई थी। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 756 टावरों में से 509 में स्टब-सैटिंग पूरी कर ली गई है और 155 टावरों का उत्थापन किया गया है। जुलाई, 1990 के अन्त तक 210 और टावरों का उत्थापन और 112 की स्टब-सैटिंग की गई थी।

400 के.वी. जेपोर-तलचर ट्रांसमिशन सिस्टमः

इस ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण पूरा कर लिया गया और परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था। यह सिस्टम वाणिज्यिक तौर पर उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के सम्बद्ध सब-स्टेशन के पूरा होने और उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के साथ बिजली लाने-लेजाने के करारों पर हस्ताक्षर होने के बाद चालू किया जायेगा।

400 के.वी. डबल सरकिट दुलहस्ती ट्रांसमिशन सिस्टमः

इस लाइन की डिजाइन के करार का कार्य यू.एस.एस.आर. की मैसर्स टेचपरोमेसपोर्ट को सौंपा गया था। ए.बी.सी. और डी. प्रकार के टावरों का डिजाइन अनुमोदित हो चुका है और परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। ए. बी. और सी. प्रकार के टावरों का डिज़ाइन विशेष टावरों के रूप में प्राप्त हुआ है। टावर अवस्थितियों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। भारत सरकार ने यू.एस.एस.आर. की वित्तीय/तकनीकी सहायता सहित टर्नकी आधार पर इस सिस्टम का निष्पादन कार्य सौंपने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए सोवियत संगठन के मैसर्स जारुबेझावेरगोस्ट्री, मास्को के साथ आवश्यक करार को अन्तिम रूप दिए जाने पर बातचीत चल रही है।

400 के.वी. माल्दा सब-स्टेशनः

सब-स्टेशन से सम्बद्ध सभी कार्य पूरे कर लिए गए थे और स्टेशन 9 जुलाई, 1990 को चालू हो गया है।

132 के.वी. सिंगल सरकिट बोंगइगांव-गेलफुग ट्रांसमिशन सिस्टमः

इस सिस्टम का निष्पादन विदेश मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। लाइन का निर्माण आरम्भ हो गया है और कुल 49.4 कि.मी. की तुलना में 42 कि.मी. की जांच सर्वेक्षण पूरी कर ली गयी है।

' कुल 156 टावरों में से 45 टावरों के लिए टावर नींव पूरी कर ली गई है।

टनकपुर जल-विद्युत परियोजना के लिए 220 के.वी. डबल सरकिट ट्रांसमिशन सिस्टम:

रिपोर्टाधीन अवधि तक 197 स्टब-सैटिंग और 100 टावरों का उत्थापन पूरा कर लिया गया था। उसके बाद जुलाई, 1990 तक की अवधि में 44 और स्टब-सैटिंग और 3 और टावरों का उत्थापन पूरा किया गया है।

नई ट्रांसमिशन सिस्टम:

(1) उड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम:

डिजाइन, आपूर्ति और उत्थापन के लिए टेण्डर आमंत्रित किए गए हैं।

(2) उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टम:

इसमें शामिल हैं:-

(क) 400 के.वी. नाथपा-झाकरी नेटवर्क:

इसमें निम्नलिखित ट्रांसमिशन लाइनें और सब-स्टेशन शामिल हैं:

1)	नाथपा-झाकरी-यमुनानगर डी/सी	350 सरकिट कि.मी.
2)	यमुनानगर-बवाना डी/सी	324 सरकिट कि.मी.
3)	बवाना-भिवानी डी/सी	198 सरकिट कि.मी.
4)	भिवानी-जैपोर एस/सी	245 कि.मी.
5)	नाथपा-झाकरी-कोलदम डी/सी	184 सरकिट कि.मी.
6)	कोलदम-हिसार डी/सी	522 सरकिट कि.मी.
7)	हिसार-भिवानी 2×एस/सी	70 सरकिट कि.मी.
8)	लगभग 2455 एम.वी.ए. कुल क्षमता वाले 9 सब-स्टेशनों का निर्माण/परिवर्तन	

(ख) 400 के.वी. मोगा-भिवानी ट्रांसमिशन सिस्टम:

इसमें मोगा-हिसार 440 सरकिट कि.मी. ट्रांसमिशन लाइन शामिल है।

(ग) 800 के.वी. किशनपुर-मोगा ट्रांशमिशन लाइन — 580 सरकिट कि.मी. की दो सिंगल सरकिट

देश के उत्तरी क्षेत्र में बिजली सिस्टम में संचालन दक्षता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विश्व

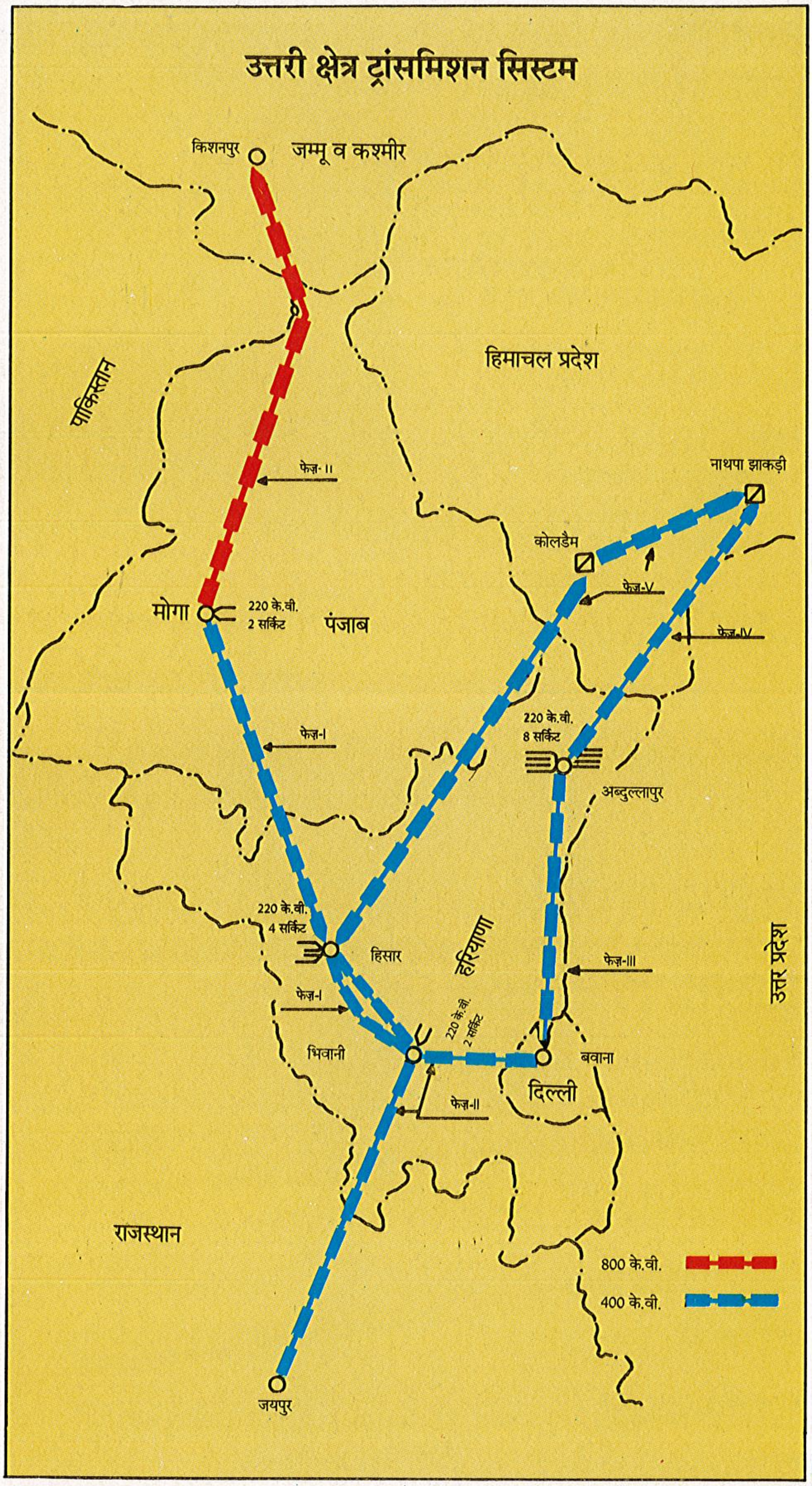

बैंक ने लगभग 430 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की अनुमति दी है। इस ऋण के लिए भारत सरकार विश्व बैंक के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर करेगी। यह कारपोरेशन भारत सरकार के साथ एक सहायक ऋण करार पर हस्ताक्षर करेगी जिसके अनुसार उपर्युक्त 430 मिलियन अमरीकी डालर भारत सरकार द्वारा इस कारपोरेशन को पुनः ऋण के तौर पर दिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह कारपोरेशन विश्व बैंक के साथ एक परियोजना करार भी निष्पादित करेगी जिस पर जल्दी ही हस्ताक्षर होने की आशा है।

(3) 220 के.वी. डबल सरकिट किशनपुर-श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइनः

इस ट्रांसमिशन लाइन की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी 72.20 करोड़ रुपये जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज के 5.66 करोड़ रुपये शामिल हैं, की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अप्रैल, 1990 में प्राप्त हुई थी। इस योजना पर विचार-विमर्श पूर्व पी.आई.बी. की 18.6.1990 को हुई बैठक में हुआ था। पी.आई.बी. के लिए एक मसौदा ज्ञापन ऊर्जा मंत्रालय को 18.7.1990 को पेश किया गया और उस पर 16.8.1990 को पी.आई.बी. ने विचार-विमर्श किया। लाइन की उपयोगिता के बारे में और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

(4) सावलकोट ट्रांसमिशन सिस्टम (140 सरकिट कि.मी.):

400 के.वी. की सावलकोट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 35.48 करोड़ रुपए (शुद्ध) की अनुमानित लागत पर तकनीकी-आर्थिक मंजूरी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से जून, 89 में प्राप्त हुई है। इस ट्रांसमिशन लाइन में सावलकोट से किशनपुर तक एक 400 के.वी. डबल सरकिट लाइन भी शामिल है। पर्यावरण व वन मंत्रालय की मंजूरी 12.9.1990 को प्राप्त हुई थी। अनुमान चालू मूल्य स्तर पर 38.80 करोड़ रुपए तक पुनः अद्यतन किए गए हैं।

(5) बगलिहार ट्रांसमिशन सिस्टम (140 सरकिट कि.मी.):

400 के.वी. की बगलिहार ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 35.48 करोड़ रुपए (शुद्ध) की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी 20 जून, 1989 को प्राप्त हुई है। इस ट्रांसमिशन लाइन में बगलिहार से किशनपुर तक एक 400 के.वी. डबल सरकिट ट्रांसमिशन लाइन शामिल है। पर्यावरण व वन मंत्रालय की वन मंजूरी 12.9.1990 को प्राप्त हुई थी।

(6) 220 के.वी. सलाल (चरण-II) ट्रांसमिशन सिस्टम (370 सरकिट कि.मी.):

इस ट्रांसमिशन सिस्टम के निष्पादन के लिए 86.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का निवेश निर्णय सितम्बर, 1989 में प्राप्त हुआ है। टावर पैकेज़ के निष्पादन के लिए टैण्डर खोले गए हैं और इन्हें अन्तिम रूप दिया जाने वाला है।

(7) 400 के.वी. चमेरा (चरण-II) ट्रांसमिशन सिस्टम (150 सरकिट कि.मी.):

चमेरा चरण-II ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट और लागत अनुमानों की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से 61.53 करोड़ रुपए (शुद्ध) के अनुमानित लागत पर अगस्त, 1989 में प्राप्त हुई है। सम्भाव्यता रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत विभाग को पूर्व-पी.आई.बी. बैठक यथाशीघ्र आयोजित करने के लिए दिनांक 11.8.1989 को पेश कर दी गई है। लाइन के मार्ग पर वाक ओवर सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। मार्ग पंक्तिबंधकरण और ग्राउण्ड लेवल पूरे कर लिए गए हैं और रूपरेखा तैयार की जा रही है। वन मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।

जेपोर-तालचर ट्रांसमिशन सिस्टम सब-स्टेशन

(2) (क) तकनालॉजी समावेशन, अनुकूलन और अनुसंधान:

परियोजनाओं के अन्वेषण के क्षेत्र में एन.एच.पी.सी. ने विशेषज्ञता हासिल की है। धौलीगंगा चरण-I जल-विद्युत परियोजना के अन्वेषण के दौरान भू-वैज्ञानिक पद्धतियों, बोर होल रोक स्ट्रस मेजरमेंट तरीके, बोरहोल लोगिंग सिस्टम लागू किए गए हैं और इसकी संभाव्यता रिपोर्ट स्वीड आॅफ स्वीडन तथा एन.एच.पी.सी. के संयुक्त प्रयासों से तैयार की गई थी।

(2) एन.एच.पी.सी. 540 मेगावाट क्षमता की चमेरा चरण-I जल-विद्युत परियोजना का निष्पादन कनाडा से द्विपक्षीय वित्तीय सहायता के अन्तर्गत कर रही है। इसके अनुसार एन.एच.पी.सी. के अधिकारीगण कम्प्यूटर की सहायता से मॉनिटरिंग, प्रबन्धन, डिजाइन और पावर प्लान्ट उपस्करों के आधुनिकीकरण, सुरंग और पावर हाउस गुफा जैसे अन्डर ग्राउन्ड कार्यों के निर्माण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में तकनालॉजी हस्तान्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। चमेरा परियोजना में अधिकारियों द्वारा की जा रही तकनालॉजी हस्तान्तरण गतिविधियों में शामिल कुछ आधुनिकतम गतिविधियां नीचे दी जा रही हैं:-

— तालिका बनाने, मॉनिटर करने और प्रबन्धन सूचना गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करना।

— अन्डर ग्राउन्ड निर्माण कार्यों के निष्पादन की दर में तेजी लाने के लिए मल्टीप्ले बूम्स, जम्बो रोकबॉल्टिंग और रोबोटिंस शॉटकटरिंग उपस्करों जैसे आधुनिक निर्माण उपस्करों को लगाना।

— जियोटेक्नीकल पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरंगों और अन्डर ग्राउन्ड पावर हाउस की गुफाओं के लिए निर्माण स्कैवनसेज और स्पोर्ट सिस्टमों के डिजाइन/इंजीनियरिंग और श्रेष्ठता।

— स्पिलवे गेटों के लिए हाइड्रोलिक हॉइस्ट सहित पोस्ट टेनशन्ड एनकोरेज सिस्टमों वाले हाई हेड ब्रेस्टवाल टाइप गेटों का डिजाइन और इंजीनियरिंग।

— पावर संयंत्रों के लिए गैस इन्सुलेटेड स्विचगियर (जी.आई.एस.) वाले आधुनिक इंस्ट्रूमेन्टेशन, कंट्रोल और स्विच उपस्कर के लिए योजना बनाना।

(3) फ्रैंस कंसोर्टियम के साथ एक करार पर अब हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें जम्मू व कश्मीर में दुलहस्ती परियोजना के 8.3 मीटर व्यास की पावर सुरंग को बोरिंग के लिए टनल बोरिंग मशीन कंसोर्टियम द्वारा लगाई जायेगी। ऐसी बोरिंग मशीन देश में किसी जल-विद्युत परियोजना के लिए पहली बार लगाई जायेगी।

(4) एन.एच.पी.सी., यू.एस.एस.आर. की "जारुबेझानेर गोस्ट्री" से 305 कि.मी. (अनुमानित) की कुल लम्बाई की 400 के.वी. डबल सरकिट "किशनपुर-श्रीनगर" और "दुलहस्ती-किशनपुर" ट्रांसमिशन लाइनों के टर्नकी आधार पर निर्माण के लिए बातचीत कर रही है। इसमें बर्फीले क्षेत्रों में हाइवोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण भी शामिल है जिसमें निर्माण, उत्थापन और यातायात के लिए हैलीकैप्टरों का उपयोग किया जायेगा।

(ख) उपयोग में लाई गई और अर्जित की गई विदेशी मुद्राः

वर्ष के दौरान अनुमानतः 58,30,69,041 रुपये की विदेशी मुद्रा उपयोग में लाई गई और कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई थी।

(ग) ऊर्जा संरक्षण प्रयास

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता को

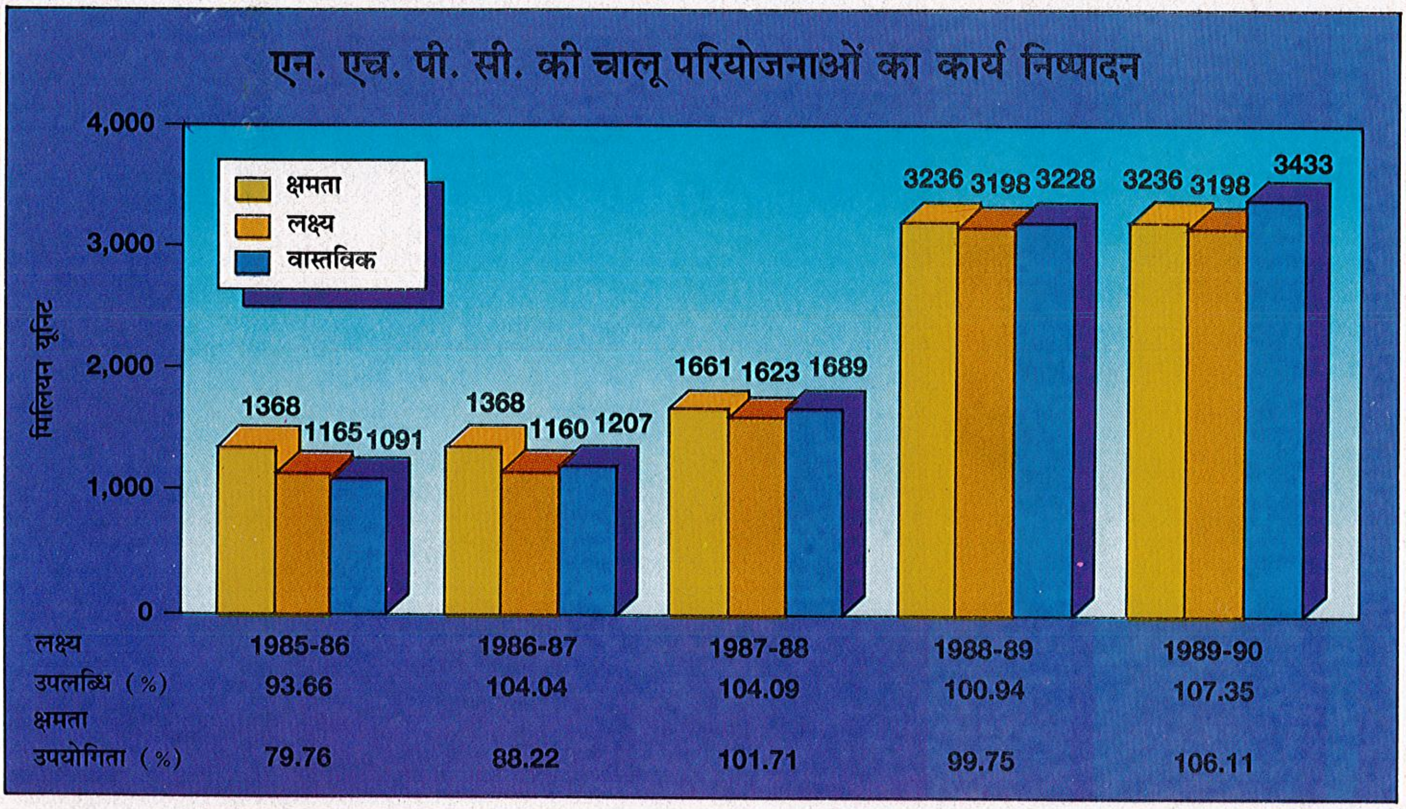

कारपोरेशन ने ध्यान में रखा है। कारपोरेशन की सभी परियोजनाओं और कार्यालयों में ऊर्जा के अधिकतम उपयोग में ठोस ऊर्जा संरक्षण की प्राप्त के लिए हाल ही में एक उच्च स्तरीय ऊर्जा संरक्षण समिति की स्थापना की गई है। इस समिति के मुख्य कार्य निम्न के संबंध में उपायों और साधनों के बारे में सुझाव देना होगा — (1) ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग (2) जनरेटिंग स्टेशनों पर ऊर्जा के सम्बद्ध उपयोग में कमी (3) वितरण हानियों, पेट्रोल व डीजल के उपयोग और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों में कमी, (4) ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना, और (5) ऊर्जा लेखापरीक्षा। आशा है कि प्रस्तावित संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने के लिए समिति की समय-समय पर बैठकें होती रहेंगी।

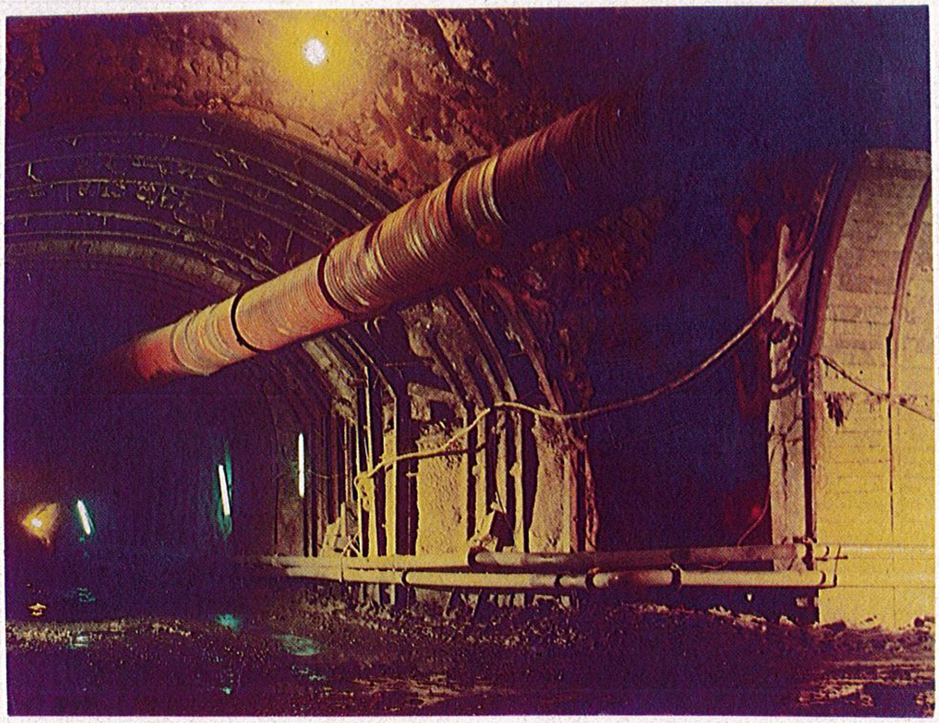

चमेरा परियोजना — निर्माणाधीन सुरंग

3. वित्तीय निष्पादनः

कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के दौरान 52.05 करोड़ रुपये की तुलना में 52.50 करोड़ रुपये (कर से पहले) का शुद्ध लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के 199.11 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान कम्पनी का टर्न-ओवर 209.87 करोड़ रुपये रहा जो 5.40 प्रतिशत अधिक है।

4. बॉण्डः

कारपोरेशन ने पिछले वर्ष के दौरान 52.05 करोड़ रुपये की तुलना में 52.50 करोड़ रुपये (कर से पहले) का शुद्ध लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के 199.11 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान कम्पनी का टर्न-ओवर 209.87 करोड़ रुपये रहा जो 5.40 प्रतिशत अधिक है।

5. प्राधिकृत पूँजीः

कारपोरेशन की वर्तमान प्राधिकृत हिस्सा पूँजी 1300 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये तक करने के लिये भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन अगस्त, 1990 में प्राप्त हो गया है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन को प्रभावी बनाने के लिये कारपोरेशन मैमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन कर रही है।

6. कार्मिक नीतियां और औद्योगिक संबंधः

औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबन्दी नहीं हुई। कारपोरेशन द्वारा कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्य जैसे स्कूल, अस्पताल, डिस्पैंसरी, चिकित्सा सेवाएं, सांस्कृतिक मनोरंजन, क्लब और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के प्रयत्न किए गए।

7. राजभाषा नीतिः

पिछले वर्षों की तरह रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भी कारपोरेशन ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिये सभी प्रयास किये।

8. प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकासः

मानव मस्तिष्क के विकास में प्रशिक्षण के महत्व के संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कारपोरेशन ने सभी स्तर के कर्मचारियों के लिये अनेक प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें इन-हाउस तथा विभिन्न व्यवसायिक/शैक्षणिक संस्थाओं के प्रायोजित कार्यक्रम शामिल हैं। कारपोरेशन ने एन.एच.पी.सी. के महत्व के क्षेत्रों के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए।

प्रशिक्षण विभाग की अन्य गतिविधियों जैसे इन-हाउस कार्यक्रम, रचनात्मक और सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम, प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी हस्तान्तरण और विदेशी कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिये विशेष प्रशिक्षण पर बल दिया। इन कार्यक्रमों में कुल 794 भाग लेने वालों में से 105 अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणियों से संबंधित थे।

9. सतर्कता गतिविधियां:

पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष के दौरान भी कारपोरेशन सतर्कता गतिविधियों के महत्व पर ध्यान देता रहा। वर्ष के दौरान 77 निरीक्षण किये गये। इनमें से 33 शिकायतें दर्ज की गई और 9 शिकायतों की जाँच की गई जिनमें से 7 मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई और 2 मामलों में बड़े दण्ड दिये गये। 7 मामलों की मामूली दण्ड के लिए जांच की गई जिनमें से वर्ष के दौरान 4 मामलों पर ही निर्णय लिया गया।

कारपोरेशन दण्डात्मक सतर्कता के स्थान पर सतर्क निगरानी को महत्व देता है। कर्मचारियों के बीच सतर्कता-जागरूकता बढ़ाने के लिये व्याख्यानों का आयोजन और कम्पनी न्यूज लेटर और मार्ग निर्देशन जारी करके प्रयास किए गए।

10. कारपोरेशन का दर्जा बढ़ाना:

बोर्ड की ओर से मुझे यह बताने का सौभाग्य मिला है कि इस कारपोरेशन को सूची "ख" से सूची "क" में रखने की राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है। दर्जा बढ़ाने के साथ-साथ निदेशक (परियोजनाएं) के पद के सृजन की भी राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई है।

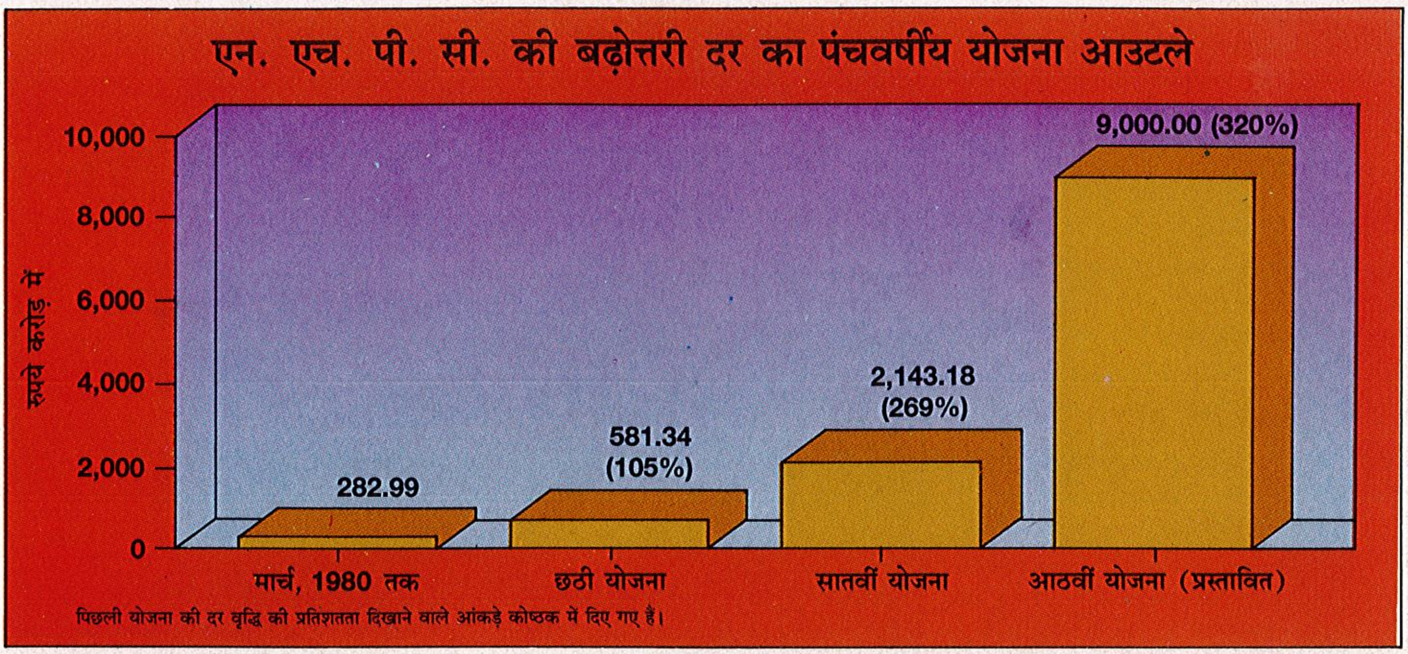

11. निदेशकगण:

श्री जे.सी. गुप्ता, सदस्य (एच.ई.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, की निदेशक मण्डल में निदेशक के तौर पर दिनांक 23.7.90 से सेवाएं समाप्त हो गई। निदेशक मण्डल श्री गुप्ता द्वारा कारपोरेशन के निदेशक के तौर पर की गई सेवाओं की प्रशंसा करता है। श्री एस.सी. सेन जो पहले कारपोरेशन में कार्यपालक निदेशक (डिजाइन व इंजीनियरिंग) थे कारपोरेशन में निदेशक (तकनीकी) के तौर पर दिनांक 12.4.90 से नियुक्त हुए। डॉ. एच.आर. शर्मा, सदस्य (एच.ई.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, निदेशक मण्डल में अंशकालिक निदेशक के तौर पर दिनांक 23.7.90 से नियुक्त किए गए हैं।

12. लेखा परीक्षक:

वर्ष 1989-90 के लिए कारपोरेशन के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नई दिल्ली को वैधानिक लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त किया गया था। मैसर्स गुहानन्दी एण्ड कम्पनी, कलकत्ता, को शाखा लेखापरीक्षक और मैसर्स बहल गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स नई दिल्ली, और मैसर्स जैन गोयल एण्ड स्वामी, नई दिल्ली को कारपोरेशन के संयुक्त शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए।

(क) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बताई गई कमियों पर टिप्पणियां:

लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्टों में बताई गई कमियों पर निदेशकों की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध-1 में दी गई हैं।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कमियों पर टिप्पणियां:

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिये कारपोरेशन के लेखों पर, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों में दी गई कमियों पर निदेशकों की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध-2 में दी गई हैं।

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिये कारपोरेशन के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-3 में दी गई है।

13. कर्मचारियों का विवरण:

कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-4 में दी गई है।

आभार:

बोर्ड, भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), वित्त मंत्रालय (कम्पनी कार्य), विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, सी.एस.एम.आर.एस., सर्वे ऑफ इंडिया और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा दिए गये मार्गदर्शन और सहायता के लिये आभार प्रकट करता है। बोर्ड, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन यूनाइटेड किंगडम तथा शाही भूटान सरकारों तथा पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिज़ोरम, असम, नागालैण्ड, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उड़ीसा राज्य सरकारों और इन राज्य बिजली बोर्डों जो अपने-अपने राज्यों में हमारे निर्माण कार्यों में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, का भी आभारी है। यदि इन सभी ने तथा अन्य एजेंसियों ने सहायता, सहयोग और सहकारिता प्रदान न की होती, तो कारपोरेशन ने अब तक जो उपलब्धि पाई है वह उसके लिये सम्भव नहीं होती। बोर्ड, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षकों और बैंकरों के बहुमूल्य सहयोग के लिये भी आभारी है।

निदेशक मण्डल के लिए
और की ओर से

घनश्याम दास

(घनश्याम दास)
निदेशक (वित्त)

नई दिल्ली
दिनांकः 28 सितम्बर, 1990

वर्ष 1989-90 की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दी गयी कमियों पर टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में पैरा 2 (ई)	टिप्पणियां
(i)	भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 9.2.89 के पत्र संख्या 4/1/8-डो.ओ. (एन.एच.पी.सी.) में सलाल जल-विद्युत परियोजना को 1.11.87 से स्वामित्व आधार पर कारपोरेशन को सौंपने का स्पष्ट निर्णय दिया गया था। औपचारिक हस्तान्तरण करार का निष्पादन हो रहा है अतः परियोजना के लेखों को कारपोरेशन के लेखों में निगमित कर दिया गया था। यह निगमन उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिनका भारत सरकार, अन्य परियोजनाओं का हस्तान्तरण करते समय पालन करती थी। इसलिए 1989-90 के लाभ और 31 मार्च, 1990 की परिसम्पत्ति की देयताओं का इस दृष्टि से अति विवरण नहीं हुआ है।
(ii)	बैंक समाधान विवरणों में गलत नामें/जमा राशियों से सम्बन्धित शेष मदों को बैंकों के लेखे में परिशोधन कराने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। कारपोरेशन को आशा है कि बैंक अपनी बहियों में आवश्यक समायोजन जल्दी कर लेंगे।
(iii)	स्थिर परिसम्पत्तियों में किया गया संकलन सकल ब्लॉक की कुल राशि पर 1.4.1989 को कोई प्रभाव नहीं डालता है। चल परिसम्पत्तियों के अन्तर यूनिट हस्तान्तरणों को एक परियोजना में जमा और दूसरी परियोजना में घटा दिखा कर लेखों में दर्शाया गया है। इस प्रकार के प्रदर्शन का प्रभाव कारपोरेशन के समेकित लेखों में सामान्यकृत किया जाता है और इन परिसम्पत्तियों के कुल ब्लॉक का मूल्य वर्ष के अन्त में अप्रभावित रहता है और उससे सही और उचित जायजा मिलता है।
(iv)	नकद या वस्तु में वसूली योग्य ऋणों पर पेशगियों या प्राप्त होने वाले मूल्यों के समायोजन, वसूली होने/वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति हो जाने और उनकी स्वीकृति हो जाने के बाद किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में लेखों का समाधान एक निरन्तर प्रक्रिया है।
(v)	बैरास्यूल परियोजना से चमेरा परियोजना (निर्माणाधीन) को दी गयी बिजली का प्रभार उस सामान्य टैरिफ के अनुसार वसूल किया जाना था जो कि बैरास्यूल पावर स्टेशन के अन्य लाभभोक्ता राज्यों पर लागू होती है। बिजली की ऐसी अन्तर यूनिट सप्लाई का मूल्य उस यूनिट से बेची गयी कुल बिजली का केवल 0.60% बनता है अतः वित्तीय उलझनें ज्यादा नहीं हैं और यह नीति निरंतर अपनाई जा रही है।
(vi)	कारपोरेशन के एजेन्सी कार्यों के लिए लेखे कारपोरेशन के लेखों में शामिल नहीं किए गये हैं और केवल वर्ष के अन्त में मूल फण्ड की खर्च न की गई राशि को मूल से वसूल की जाने वाली राशि कारपोरेशन की चालू परिसम्पत्तियों/देयताओं, जैसे भी मामला हो, में ठीक से दर्शायी गई है। जहां तक कारपोरेशन के लेखों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में लेखों के अक्रुअल सिस्टम से कोई विचलन नहीं है।
(vii)	आवश्यक समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि इन्हें ठेकेदारों द्वारा बदला जाना है।
(viii)	विवादास्पद दावे फुटकर देयता के अन्तर्गत दिखाए गए हैं।
(ix)	कुछ परियोजनाओं में जहां कहीं इन्हें पूरा नहीं किया जा सका वहां जनरल लेज़र का मूल्य भण्डार लेज़र के साथ समाधान किया जा रहा है। विभिन्न परियोजनाओं में यातायात, रख-रखाव और भण्डार प्रभारों से सम्बन्धित वास्तविक खरीद लागत जमा अनुमानित बंधे खर्च (ओवरहैड) पर मालसूचियों का मूल्य लगाया गया है। इसलिए बंधे खर्चों पर आधारित एक परियोजना से दूसरी परियोजना का प्रतिशत कम हो जायेगा।
(xi)	सलाल परियोजना के लिए समायोजन योग्य हिस्सा पूँजी राशि की सीमा को कारपोरेशन ने नहीं बढ़ाया है और/या हिस्सा आवेदन राशि को भी शामिल कर दिया गया है और इस ऋण राशि में सलाल को हस्तान्तरण मूल्य के लिए प्रत्याशित ऋण भी शामिल हैं।
(xiii)	बराहपम्प स्टोरेज स्कीम परियोजना के कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति ली गयी थी। यह परियोजना अब बन्द हो गयी है और इसकी राशि की वसूली विभिन्न औपचारिकताएं/अनुमोदन पूरे होने के बाद भारत सरकार से की जानी है।
(xiv)	इसकी अदायगी महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जानी है। एक बार परियोजना के लिए तकनीकी मंजूरी प्राप्त हो गयी है।
(xv)	कारपोरेशन हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ लाभ में हिस्सा करने के लिए सहमत नहीं है। रॉयल्टी के लिए देयता सरकार की लागू नीति के अनुसार दे दी गयी है।

(xvii) व (xviii) अगले वर्ष के लेखों में आवश्यक विश्लेषण और समायोजन किये जायेंगे।

(xix) सहायक रिकार्ड पुनः तैयार किये जा रहे हैं।

(xx) लीज़ की अवधि पिछले वर्षों और सामान्य तरीकों के अनुसार 99 वर्ष ली गयी है।

(xxi) हानि को बट्टे खाते डालने की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध में पैराः

1) परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन जहां कहीं नहीं किया गया है वहां इसे चरण बद्ध ढंग से किया जा रहा है। स्थिति सम्बन्धी ब्यौरे सामान्य तौर से अपेक्षित सीमा तक दिये जा रहे हैं।

3) भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का वास्तविक सत्यापन उन परियोजनाओं/यूनिटों में किया जायेगा जहां नहीं किया गया है।

4) कृपया क्रम संख्या 2 (ङ) (ix) की संदर्भित टिप्पणियां देखें।

12) वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग को और मजबूत किया गया है इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय टनकपुर में खोला गया है और इसमें अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गयी है।

अनुबंध-2

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों में दी गयी कमियों पर निदेशकों की दी गई टिप्पणियां

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का पैरा

उत्तर

पैरा-1 (क) वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तृत लेखे/बिल/दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए थे अतः पूँजीकृत नहीं किए जा सके थे।

पैरा-1 (ख) जांच के पूरा होने पर और कारपोरेशन आदि को हुई वास्तविक हानि के निर्धारण के बाद लेखों का समायोजन किया जायेगा। इस राशि को चालू कार्यों में अनन्तिम रूप से और समायोजित किया जायेगा और इसके बाद कोई अतिविवरण नहीं रह जायेगा।

पैरा-2 (क) विश्लेषण, संयोजन और समायोजन न होने के कारण राशि को स्थिर पूँजीगत खर्च के अन्तर्गत निर्माण भण्डार व पेशगियों में शामिल किया गया है जबकि पेशगी निर्माणाधीन परियोजना से संबंधित है।

पैरा-2 (ख) 3 (क) और 3 (ख) सत्यापित बिल/लेखा दस्तावेज़ आदि प्राप्त न होने के कारण राशि को पेशगियों के तौर पर दिखाया गया है।

पैरा 4 फालतू पुर्जों की कीमत अनुमानित लागत पर लगाई गई थी। फिर भी, आवश्यक अपेक्षित समायोजन वर्ष के दौरान किए जायेंगे।

पैरा 5 अपेक्षित समाधान, यदि कोई हो, चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान किए जाएंगे।

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन लि. के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में कम्पनी की पिछले तीन वर्षों के लिए मोटे-मोटे शीर्षों के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से वित्तीय स्थिति दी गई है:

(रुपए लाखों में)

	1987-88	1988-89	1989-90
देयताएं			
(क) (1) प्रदत्त पूँजी	70,253,93	79,779,40	84,876,40
(2) इक्विटी में समंजन योग्य केन्द्रीय सरकारी निधि	1,802,58	33,561,61	68,891,77
	72,056,51	1,13,341,01	1,53,768,17
(ख) आरक्षित अधिशेष	8,493,21	13,682,52	18,924,80
(ग) उधार			
(1) भारत सरकार से	17,364,61	52,174,19	57,759,14
(2) अन्य साधनों से (विदेशी ऋण)	11,789,91	17,771,52	21,913,22
(3) 14% सिक्योरड बॉण्ड	14,348,77	14,326,04	14,296,61
(4) 13% सिक्योरड बॉण्ड	5,081,00	5,081,00	5,081,00
(5) 9% सिक्योरड बॉण्ड	7,919,00	7,919,00	7,919,00
(6) 9% अनसिक्योरड बॉण्ड	—	15,000,00	15,000,00
(7) 9% अनसिक्योरड बॉण्ड	—		22,000,00
(8) अनसिक्योरड बॉण्ड	—	—	15,000,00
(घ) व्यापारिक देयताएं और अन्य चालू परिसम्पत्तियां (प्रावधान सहित)	7,020,94	18,074,88	29,816,75
	1,44,073,95	2,57,370,16	3,61,478,69
परिसम्पत्तियाँ			
(ङ) सकल ब्लॉक	52,999,09	1,23,162,47	1,28,605,29
(च) घटाएं मूल्यह्रास	7,200,19	14,024,30	17,508,10
(छ) शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियां	45,798,90	1,09,138,17	1,11,097,19
(ज) चल रहे पूँजीगत कार्य	59,166,86	85,106,23	1,25,678,56
(झ) निर्माण भण्डार पेशगियां	16,673,82	20,216,30	55,753,81
(ट) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	22,418,28	42,816,30	68,806,60
(ठ) निवेश	—	—	—
(ड) विविध खर्चे व हानियां	16,01	93,16	142,53
	1,44,073,95	2,57,370,16	3,61,478,69
(ढ) नियोजित पूँजी	1,37,037,00	2,39,202,12	3,31,519,41
(ण) शुद्ध सम्पत्ति	80,533,71	1,26,930,37	1,72,550,44

टिप्पणियां : i) नियोजित पूँजी शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियों को दर्शाती हैं, जिसमें चल रहे पूँजीगत कार्य जमा कार्यकारी पूँजी शामिल है।

ii) शुद्ध परिसंपत्ति प्रदत्त पूँजी जमा आरक्षित तथा अधिशेष घटा अस्पष्ट परिसंपत्तियों को दर्शाती है।

iii) सुरंगानी में स्थित बैरा स्यूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश), मणिपुर में स्थित लोकतक परियोजना और चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम (पश्चिम बंगाल), सलाल परियोजना (जम्मू व कश्मीर) में क्रमशः 1.4.1982, जून 1983, नवम्बर 1986 और दिसम्बर 1987 से ही केवल वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ है और शेष परियोजनाएं अभी तक निर्माणचरण में हैं।

2. डेट-इक्विटी अनुपात

कम्पनी का डेट-इक्विटी अनुपात 1987-88 में 0.78:1, 1988-89 में 0.99:1 और 1989-90 में 1.08:1 था।

3. आरक्षित तथा अधिशेष

1987-88 में 8493.21 लाख रुपये और 1988-89 में 13682.52 लाख रुपये 1989-90 में 18924.80 लाख रुपये आरक्षित व अधिशेष, कुल देयताओं का क्रमशः 5.89%, 5.32% और 5.24% और 11.79% और इक्विटी पूँजी का क्रमशः 12.07%, 12.31% हुआ।

4. नकदी और ऋण शोध क्षमता

(क) कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1987-88 में 15.56 से घटकर 1988-89 में 16.63 और 1989-90 में घटकर 19.03 हो गई।

(ख) चालू देयताओं (प्रावधानों सहित) में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1987-88 में 319.31 से बढ़कर 1988-89 में 236.88 और 1989-90 में घटकर 230.76 हो गई।

(ग) चालू देयताओं (प्रावधानों सहित) में द्रुत (क्विक) परिसंपत्तियों (छुट-पुट देनदारियां, ऋण व पेशगियां, नकद व बैंक बैलेंस) की प्रतिशतता 1987-88 में 186.36 से बढ़कर 1988-89 में 231.01 और 1989-90 में घटकर 225.35 हो गई।

5. कार्यकारी पूँजी

कम्पनी की कार्यकारी पूँजी (चालू परिसंपत्तियों, ऋण व पेशगियां घटा व्यापारिक देयताएं और उपदान के लिए प्रावधानों को छोड़कर देयताएं) 31 मार्च, 1990 को समाप्त प्रत्येक तीन वर्षों की राशि क्रमशः 15397.34 लाख रुपये, और 24741.42 लाख रुपये और 38989.85 लाख रुपये थी। 31.3.1990 को कार्यकारी पूँजी के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से ऋणों 14%, 13%, सिक्योरड और 9% अनसिक्योरड बॉण्ड और अन्य श्रोतों से की गई।

6. निधियों के स्रोत और उपयोग

8726.08 लाख रुपए की निधियां आंतरिक श्रोतों (आरक्षित, मूल्यह्रास और प्रावधानों) और87124.38 लाख रुपये अन्य श्रोतों से की निधियों का उपयोग 1989-90 वर्ष के दौरान नीचे दिए अनुसार किया गयाः

	(रुपए लाखों में)
सकल ब्लॉक	5,442.82
चल रहे पूँजीगत कार्य	40,572.33
शुद्ध चालू पूँजी	14,297.80
निर्माण स्टोर और पेशगियां	35,537.51
	95,850.46

7. कार्यकारी परिणाम

पिछले तीन वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा उपचित ब्याज नीचे दिए अनुसार हैः-

	वर्ष के लिए लाभ (रुपए लाखों में)	प्रदत्त पूंजी से लाभ की प्रतिशतता
1987-88	2426.13	3.37
1988-89	5189.31	4.57
1989-90	5242.28	3.41

वर्ष 1989-90 के लिए यूनिटवार कार्यकारी परिणाम अनुबंध में दिए गये हैं।

8. लागत प्रवृत्तियां (कॉस्ट ट्रेंड्स)

नीचे दी गई सारणी में पिछले तीन वर्षों के दौरान बिक्री से बिक्री की लागत की प्रतिशतता दिखाई गई हैः

(रुपए लाखों में)

		1987-88	1988-89	1989-90
1.	उत्पादन शुल्क और बिक्री कर सहित बिक्री	9343.91	19911.12	20987.48
2.	घटाएं वर्ष के दौरान लाभ	2426.13	5189.31	5242.28
3.	बिक्री की लागत	6917.78	14721.81	15745.20
4.	बिक्री से बिक्री की लागत की प्रतिशतता	74.04	73.94	75.02

टिप्पणीः वर्ष 1989-90 के दौरान बिक्री से बिक्री की लागत यूनिटवार प्रतिशतता अनुबंध में दी गई है।

9. उत्पादन-निष्पादन

* पिछले तीन वर्षों में बिक्री का मूल्य नीचे दिए अनुसार निकाला गया हैः

(रुपए लाखों में)

1.	बिक्रियां	9432.18	19911.12	20987.48
2.	तैयार सामान और चालू कार्य का अन्त स्टॉक	—	—	—
3.	तैयार सामान और चालू कार्य का आदि स्टॉक	—	—	—
4.	उत्पादन का मूल्य (1-2-3)	9432.18	19911.12	20987.48

शुद्ध सम्पत्ति में उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता 1987-88 में 11.71, 1988-89 में 15.68 और 1989-90 में बढ़कर 12.16 हो गई। कम्पनी की कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता 1987-88 में 6.55 से बढ़कर 1988-89 में 7.73 और 1989-90 में 5.81 रही।

10. माल-सूची और उत्पादन

नीचे की सारणी में माल सूचियों (निर्माण भण्डारों सहित) और पिछले तीन वर्षों के अन्त में इसके वितरण की स्थिति दिखाई गई हैः-

(रुपए लाखों में)

	1987-88	1988-89	1989-90
भण्डार और फालतू पुर्जे	9714.50	9648.51	12419.11

11. विभिन्न देनदारियां

निम्नलिखित सारणी में पिछले तीन वर्षों के बही-ऋण और बिक्री की मात्रा दिखाई गई है:-

(रुपए लाखों में)

	आय माने गए कुल बही ऋण	बिक्रियां	बिक्रियों में देनदारियों की प्रतिशतता
31 मार्च, 1988	7247.29	9432.18	76.84
31 मार्च, 1989	15446.12	19911.12	77.58
31 मार्च, 1990	20833.95	20987.48	99.27

विभिन्न देनदारियों में 1989-90 में 11.91 मास बिक्री, 1988-89 में 9.31 मास बिक्री और 1987-88 में 9.22 मास बिक्री दर्शाती है। 31.3.1990 को 26.91 करोड़ रुपए के ऋण एक साल से ज्यादा बकाया पड़े थे।

टिप्पणी : पिछले वर्षों के आंकड़े जहां आवश्यक समझे गये हैं, को पुनः एकीकृत कर दिया गया है।

(कंवल नाथ)
वाणिज्य लेखापरीक्षा के मुख्य निदेशक
व पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III
नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनांकः 28.9.90

कार्यकारी परिणाम:

वर्ष 1989-90 के लिये अलग-अलग यूनिटों के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए अनुसार हैं:-

(रुपए लाखों में)

यूनिट	लाभ/हानि	प्रारंभिक वर्षों में प्रावधानों के रिटन बैक जिनकी बाद में जरूरत नहीं थी	पिछले अवधि समायोजन	आयकर के लिए रियायत/प्रावधान डेवलपमेंट का रिटन बैक	लाभ/हानि पिछली अवधि समायोजन
बैरास्यूल	762.61	—	(22.03)	—	784.64
लोकतक	905.16	—	21.95	—	883.21
सलाल	2,861.82	—	(61.67)	—	2,923.49
चुखा	724.81	—	(42.01)	—	766.82
अन्य	(4.01)	—	—	—	(4.01)

वर्ष 1989-90 के लिये बिक्री से शुद्ध बिक्री की प्रत्येक यूनिटवार लागत नीचे दी गई है:

(रुपए लाखों में)

यूनिट	सकल बिक्री	उत्पादन शुल्क	जाने का किराया और समुद्री किराया	अन्य बिक्री खर्च	कुल कटोतियां	शुद्ध बिक्री	जोड़/घटाव हानि/लाभ	बिक्री की लागत	शुद्ध बिक्री की बिक्री का प्रतिशत
बैरास्यूल	2,440.99	—	—	—	—	2,440.99	762.61	1,378.38	68.76
लोकतक	2,371.54	—	—	—	—	2,371.54	905.16	1,466.38	61.83
सलाल	9,799,83	—	—	—	—	9,799.83	2,861.82	6,938.01	70.80
चुखा	6,375.12	—	—	—	—	6,375.12	724.81	5,650.31	88.63

31 मार्च, 1990 का तुलन- पत्र

(रुपये हजारों में)

	अनुसूची सं.	31.3.1990		31.3.1989	
निधियों के स्रोत					
1. **हिस्सेदारों की निधियां**					
(क) पूँजी	1	8,48,76,40		7,97,79,40	
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	1,89,24,80	10,38,01,20	1,36,82,52	9,34,61,92
2. **इक्विटी के लिए भारत सरकार की समायोजित योग्य निधियां**			6,88,91,77		3,35,61,61
3. **ऋण निधियां**	3				
(क) आरक्षित ऋण		4,22,96,61		4,23,26,04	
(ख) अनारक्षित ऋण		11,66,72.36	15,89,68,97	6,99,45,71	11,22,71,75
जोड़:			33,16,61,94		23,92,95,28
निधियों के उपयोग					
1. **समायोजित योग्य निधियां**					
(क) स्थिर परिसम्पत्तियां	4				
सकल ब्लॉक		12,86,05,29		12,31,62,47	
घटाएँ: मूल्यह्रास		1,75,08,10		1,40,24,30	
शुद्ध ब्लॉक		11,10,97,19		10,91,38,17	
(ख) चालू पूँजीगत कार्य	5	12,56,78,56		8,51,06,23	
(ग) निर्माण स्टोर व पेशगियां	6	5,57,53,81	29,25,29,56	2,02,16,30	21,44,60,70
2. **चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां**	7				
(क) माल-सूचियां		16,15,57		10,61,41	
(ख) विभिन्न देनदार		2,08,33,95		1,54,46,12	
(ग) नकद व बैंक शेष		3,27,95,73		53,09,62	
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		12,25,39		2,73,59	
(ङ) ऋण व पेशगियां		1,23,35,96		2,07,25,56	
		6,88,06,60		4,28,16,30	
घटाएं :चालू देयताएं व व्यवस्थाएं देयताएं	8	2,98,16,75		1,80,74,88	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां			3,89,89,85		2,47,41,42
3. **विविध खर्च (बट्टे खाते में डाला गया या समंजित न हुआ की सीमा तक)**	9		1,42.53		93,16
जोड़:			33,16,61,94		23,92,95,28
लेखा तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियां	14				
अनुसूची-ivके भाग-II के अधीन अतिरिक्त सूचना	15				

अनुसूची 1 से 14 और लेखा-नीतियां, लेखों का अभिन्न अंग हैं।

एन.वी. रामन
सचिव

घनश्याम दास
निदेशक (वित्त)

एम.ए. हाई
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ए.सी. बब्बर
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14.9.90

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपये हजारों में)

	अनुसूची सं.	31.3.1990	31.3.1989
आय			
1. विद्युत शक्ति की बिक्री से आय		2,09,87,48	1,99,11,12
2. निर्माण प्रबन्धन के लिए फीस		—	18,31
3. विविध आय	10	1,32,31	59,95
कुल आय		2,11,19,79	1,99,89,38
खर्च			
1. विद्युत शक्ति की खरीद		38,47,04	35,53,67
2. जनरेशन पारेषण और प्रशासनिक खर्चे	11	13,37,31	11,74,85
3. कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ	12	12,61,45	12,05,34
4. रॉयल्टी प्रभारें		5,14,14	4,83,16
5. मूल्यह्रास		18,30,96	18,39,61
6. ऋण पर ब्याज		62,15,55	62,90,51
7. अनिश्चित ऋण के लिए व्यवस्था		7,55,19	6,06,87
8. बट्टे खाते डाले गये प्रारम्भिक खर्चे		4,00	4,00
कुल खर्चः		1,57,65,64	1,51,58,01
9. वर्ष के लिए लाभ		53,54,15	48,31,37
10. जोड़ें/(घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	13	(1,03,76)	3,73,79
11. आयकर और सांविधिक विनियोजनों से पूर्व लाभ		52,50,39	52,05,16
12. पिछले वर्षों का आयकर		8,11	15,85
13. कर के पश्चात लाभ		52,42,28	51,89,31
14. पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया लाभ जोड़ें		113,37,78	61,48,47
15. घटाएंः सांविधिक मूल्यह्रास डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व		89,57	—
16. आगे ले जाये गये आरक्षित व अधिशेष लाभ		1,64,90,49	1,13,37,78

एन.वी. रामन
सचिव

घनश्याम दास
निदेशक (वित्त)

एम.ए. हाई
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ए.सी. बब्बर
भागीदार

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14.9.90

शेयर पूँजी

अनुसूची-1
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
प्राधिकृत पूँजी		
130,00,000 (पिछले वर्ष 80,00,000) इक्विटी शेयर, 1,000/-रुपये प्रति शेयर	13,00,00,00	8,00,00,00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी		
1,000/- रुपये प्रति शेयर की दर से पूरे प्रदत्त 84,87,640 (पिछले वर्ष 79,77,940) इक्विटी शेयर (इसमें 6,29,529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त ठेकों के अनुवर्ती कंसीड्रेशन के लिये नियत कर दिये गये हैं और एक शेयर का नियतन नकदी के अलावा पार्ट कंसीड्रेशन के लिये किया गया है)	8,48,76,40	7,97,79,40
	8,48,76,40	7,97,79,40

आरक्षित तथा अधिशेष

अनुसूची-2
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.90	31.3.89
1. निवेश भत्ता रिज़र्व	23,44,74	23,44,74
2. डिबेंचर शोधन रिज़र्व	89,57	—
3. लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	1,64,90,49	1,13,37,78
	1,89,24,80	1,36,82,52

ऋण निधियां

अनुसूची-3
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.90		31.3.89	
आरक्षित ऋण				
बॉण्ड — "ए" सीरीज़				
(लोकतक और बैरास्यूल की परिसम्पत्तियों के मुकाबले साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 14%, 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8 जुलाई, 1993 है।)	1,42,96,61		1,43,26,04	
बाण्ड — "बी" सीरीज़				
(चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम और लीमातक-जिरीबाम की परिसम्पत्तियों के मुकाबले साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होगा।)				
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 13%, 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 11 दिसम्बर, 1994 है।)	50,81,00		50,81,00	
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 9%, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 11 दिसम्बर, 1997 है।)	79,19,00		79,19,00	
बॉण्ड — "सी" सीरीज़				
(चमेरा जल-विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के मुकाबले साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होगा।)				
एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 9%, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 20 मई, 1998 है।)	1,50,00,00	4,22,96,61	1,50,00,00	4,23,26,04

ऋण निधियां

अनुसूची-3 क्रमशः
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.90		31.3.89
अनारक्षित ऋण				
बॉण्ड — "डी" सीरीज़ (साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 9%, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 27 सितम्बर, 1999 है।)	2,20,00,00			
बॉण्ड — "ई" सीरीज़ (साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपये के सममूल्य पर 9%, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन कंवर्टीबल बॉण्ड (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 9 फरवरी, 2000 है।)	1,50,00,00			
भारत सरकार से ऋण	5,77,59,14		5,21,74,19	
अन्य स्रोतों से ऋण	2,19,13,22	11,66,72,36	1,77,71,52	6,99,45,71
		15,89,68,97		11,22,71,75

स्थिर परिसम्पत्तियां

अनुसूची-4
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	1.4.89 को सकल ब्लॉक	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटोतियां/ बिक्री/ हस्तांतरण	31.3.90 को सकल ब्लॉक	31.3.90 को कुल मूल्यह्रास	31.3.90 को शुद्ध ब्लॉक	31.3.89 को शुद्ध ब्लॉक
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भूमि (फ्रीहोल्ड)	14,06,75	3,52,60	—	17,59,35	—	17,59,35	9,48,53
2. भूमि (लीज़ होल्ड)	4,65,02	3,82,77	4,33	8,43,46	19,95	8,23,51	3,90,97
3. भूमि (वर्गीकृत)	2,16,16	—	2,16,16	—	—	—	7,33,58
4. भवन	1,32,83,84	9,35,03	1,07,64	1,41,11,23	21,19,38	1,19,91,85	1,15,47,56
5. सड़क और पुल	26,37,67	5,22,95	65,45	30,95,17	5,25,59	25,69,58	21,68,14
6. संयंत्र और मशीनरी (निर्माण)	1,50,85,88	24,56,52	10,92,61	1,64,49,79	92,40,23	72,09,56	72,92,95
7. संयंत्र और मशीनरी (जनरेटिंग)	92,09,09	3,92,80	—	96,01,89	9,93,75	86,08,14	84,85,13
8. सब-स्टेशन उपस्कर	41,44,81	3,60,72	2,06,77	42,98,76	3,74,19	39,24,57	38,67,29
9. बाँध, सुरंग, चैनल और पेनस्टॉक सहित हाइड्रॉलिक कार्य	6,32,59,85	5,13,81	58,51	6,37,15,15	21,64,46	6,15,50,69	6,17,95,60
10. पारेषण लाइनें	1,07,65,22	7,75,18	3,47	1,15,36,93	7,99,90	1,07,37,03	1,02,40,05
11. कार्यालय फर्नीचर और फिक्सचर, कार्यालय उपस्कर व अन्य उपकरण	8,15,83	2,33,43	6,29	10,42,97	2,71,39	7,71,58	6,54,88
12. गाड़ियां व अन्य परिवहन	11,97,25	1,36,12	54,88	12,78,49	7,08,36	5,70,13	5,84,30
13. विविध उपस्कर/अन्य परिसम्पत्तियां	6,75,10	2,14,57	17,57	8,72,10	2,90,90	5,81,20	4,29,19
	12,31,62,47	72,76,50	18,33,68	12,86,05,29	1,75,08,10	11,10,97,19	10,91,38,17
पिछले वर्ष	5,29,99,09	7,11,56,11	9,92,73	12,31,62,47	1,40,24,30	10,91,38,17	

चालू पूँजीगत कार्य

अनुसूची-5
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1990		31.3.1989
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श, प्रारम्भिक तथा अन्य खर्च		6,84,69		4,66,53
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार		79,28,96		41,21,29
3. सड़कें और पुल		38,74,07		51,91,53
4. बैराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल सहित हाइड्रॉलिक कार्य		2,43,77,41		1,22,49,83
5. पेनस्टॉक		4,45,44		67,10
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		1,14,62,23		1,00,19,28
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		62,38,72		38,65,16
8. विविध परिसम्पत्तियां		3,21,34		11,35,74
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		1,41,88,92		1,08,95,97
10. भूमि जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर सृजित परिसम्पत्तियों पर खर्च		26,95,71		17,83,87
11. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च-पिछले वर्ष से लाया गया शेष	3,53,09,93		2,28,79,37	
जोड़ें: वर्ष के लिये बढ़ोत्तरी (अनुबंध के अनुसार)	1,87,22,54		1,99,85,19	
	5,40,32,47		4,28,64,56	
घटाएं: वर्ष के दौरान पूँजीकृत	5,71,40		75,43,79	
पी. एण्ड एल. लेखा में चार्ज की गई	—	5,34,61,07	10,84	3,53,09,93
		12,56,78,56		8,51,06,23

31.3.1990 को समाप्त अवधि के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण

अनुसूची-5 का अनुबंध

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1990		31.3.1989
1. **कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ**				
वेतन, मजदूरी भत्ते और लाभ	32,77,74		35,81,05	
विदेश सेवा अंशदान	55,35		11,35	
भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	2,23,27		2,39,30	
ग्रेच्युटी निधि अंशदान	41,18		30,14	
स्टाफ कल्याण	2,71,15	38,68,69	1,64,80	40,26,64
2. **मरम्मत और रख-रखाव**				
भवन	95,35		1,10,08	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	7,47,10		2,72,70	
अन्य	3,78,52	12,20,97	3,73,25	7,56,03
3. यात्रा व वाहन		1,25,31		94,18
4. स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च		2,60,39		2,45,19
5. भूमि अर्जन और पुनर्वास खर्चे		18,35		18,00
6. किराया		1,33,97		1,39,84
7. आवासीय स्थान के लिए किराया		40,48		35,50
8. दरें व कर		4,69		4,77
9. बीमा		1,25,13		1,85,11
10. बिजली प्रभारें		2,07,13		1,55,19
11. टेलीफोन, टेलैक्स व डाक खर्च		81,73		69,94
12. विज्ञापन व प्रसार		58,90		37,42
13. डिजाइन व परामर्श		61,24		1,77,36
14. मनोरंजन		1,11		1,41
15. छपाई व लेखन सामग्री		57,87		53,54
16. लेखापरीक्षकों को भुगतान				
(क) लेखापरीक्षा शुल्क	1,30		1,30	
(ख) अन्य मामलों के लिए	56		70	
(ग) लेखापरीक्षा खर्चे	1,54	3,40	1,17	3,17

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
17. ऋणों पर ब्याज	48,47,82	83,94,02
18. बॉण्डों पर ब्याज	59,12,60	45,71,86
19. बॉण्ड जारी करने के खर्चे (टिप्पणी-2)	2,77,88	44,64
20. बैंक प्रभारें	4,49	3,93
21. तकनालॉजी का हस्तांतरण	4,07,39	2,89,10
22. विदेशी करारों पर आयकर	11,91,04	—
23. बट्टे खाते डाली गयी सामग्रियों/परिसम्पत्तियों पर हानि	2,37	54
24. विदेशी परामर्श प्रभारें	5,46,54	6,86,77
25. वित्तीय प्रभारें	3,14,92	—
26. वायदा शुल्क	2,69,35	1,85,89
27. मूल्यह्रास	16,35,77	16,90,65
28. अन्य खर्चे	4,72,41	5,70,24
29. विनिमय दर परिवर्तन	19,99,31	26,47,68
30. पूर्व अवधि खर्च	—	2,85,48
	2,41,51,25	2,53,74,09

घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियां

1. रद्दी सामग्री की बिक्री	4,53	5,58
2. विद्युत प्रभारें	3,85,32	5,96,69
3. किराया	2,13	7,34
4. ब्याज		
आवधिक जमा व बचत खाता	3,06,40	1,05,37
ऋण व पेशगियां	2,91,73	2,63,93
अन्य निवेश	17,32,74	16,62,94
5. विविध प्राप्तियां व वसूलियां	70,36	2,27,78
6. परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	1,17	2,63
7. पूर्व अवधि समायोजन	61,46	—
	28,55,84	28,72,26
शुद्ध खर्च	2,12,95,41	2,25,01,83

घटाएं

		31.3.1990		31.3.1989
1. चल रहे पूँजीगत कार्य को आवंटित प्रभारें	2,99		1,08,47	
2. चल रहे कार्य को किराया प्रभारें/विनाबारी के आबंटित/सीधे आवंटन योग्य	23,98,90		22,36,98	
3. अन्वेषण डिपॉजिट, एजेंसी कार्य और संचालित परियोजनाओं को आवंटित आई.ई.डी.सी.	1,70,98	25,72,87	1,71,19	25,16,64
चल रहे पूँजीगत कार्य को हस्तांतरित राशि		1,87,22,54		1,99,85,19

टिप्पणी:

	1989-90 रु.	1988-89 रु.
1. (क) उपर्युक्त खर्चे में निदेशकों को अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल हैं:		
(1) वेतन और भत्ते	3,06,444	2,10,045
(2) छुट्टी नकदीकरण	—	35,506
(3) भविष्य निधि के लिए अंशदान	28,686	16,466
(4) आवासीय स्थान के लिए किराया	1,19,029	71,729
(5) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,975	20,207
(6) यात्रा खर्चे	33,607	39,271
(7) छुट्टी यात्रा रियायत	6,066	9,850
(8) बॉण्डों पर ब्याज	—	42

(ख) सरकारी मंजूरी की शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को गैर-ए/सी कार के लिये 250/- रु. प्रतिमास और ए/सी कार के लिये 400/- रु. प्रतिमास की अदायगी पर 1000 कि.मी. तक की सरकारी और निजी यात्राओं के लिए कम्पनी के कार के प्रयोग की अनुमति दी गई है। स्टाफ कार का प्राधिकार मूल्य, यदि असीमित प्रयोग के लिए उपलब्ध होती है तो वर्ष 1989-90 के दौरान 6,688/- रु. (पिछले वर्ष 3,530/- रु.) के मूल्य का कार्य हो चुका होता।

2. बॉण्ड जारी करने पर हुये खर्च का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(1) दलाली	30,03
(2) छपाई व लेखन सामग्री	83
(3) अन्य खर्चे	2,47,02

निर्माण स्टोर व पेशगियां

अनुसूची-6
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
1. **निर्माण स्टोर** (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)		
i) ट्रांजिट में निर्माण सामान	4,57,27	3,75,53
ii) स्टोर	1,03,46,27	82,11,57
2. **पूँजी खर्च के लिए पेशगियां**		
i) आरक्षित	1,93,27	3,44,28
ii) असुरक्षित क) कंसीडर्ड गुड	4,47,57,00	1,12,84,92
	5,57,53,81	2,02,16,30

कम्पनियां, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा 201.66 लाख रुपये (पिछले वर्ष 75.56 लाख रुपये) पेशगियां देय हैं।

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां

अनुसूची-7
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे			31.3.1990		31.3.1989
1. **माल सूचियां** (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)					
i) स्टोर व फालतू पुर्जे		16,03,39		10,54,25	
ii) लूज टूल्स		12,18	16,15,57	7,16	10,61,41
2. **विभिन्न देनदारियां**					
i) छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		1,46,62,27		93,61,55	
ii) अन्य ऋण		75,33,74		66,91,44	
		2,21,96,01		1,60,52,99	
घटाएं: अनिश्चित या खराब के लिए व्यवस्था		13,62,06	2,08,33,95	6,06,87	1,54,46,12
विभिन्न देनदारों के ब्यौरे					
असुरक्षित कंसीडर्ड गुड्स		2,08,33,95		1,54,46,12	
संदेहजनक समझे गये और दिए गए		13,62,06		6,06,87	
3. **नकद और बैंक शेष**					
i) नकदी, अग्रदाय, चैक, ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर व डाक टिकट		1,94,14		8,92	
ii) अनुसूचित बैंकों में शेष —		10,09,06		4,01	
बचत खाता		1,20,81,85		52,86,69	
डिपाजिट खाता		1,40,00,00		10,00	
iii) गैर अनुसूचित बैंकों में शेष					
चालू खाता		34,52,02		—	
आवधिक जमा		20,58,66		—	
			3,27,95,73		53,09,62
	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष 1989-90	1988-89			
स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन स्वीडन					
चालू खाता	1,21,84,20	—			
आवधिक जमा	20,58,66	—			
4. **अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ**					
i) जमा राशियों पर उपचित ब्याज		2,78,96		18,70	
ii) अन्य		9,46,43		2,54,89	
			12,25,39		2,73,59
5. **ऋण और पेशगियां**					
नकद या माल में अथवा प्राप्त मूल्य में वसूली योग्य					
सुरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		4,48		—	
असुरक्षित (कंसीडर्ड गुड)		55,96,00		54,06,91	
असुरक्षित (अनिश्चित)		1,43		1,20	
		56,01,91		54,08,11	
घटाएं: व्यवस्थाएं		1,43	56,00,48	1,20	54,06,91

अनुसूची-7 (जारी)
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1990		31.3.1989
कर्मचारियों को (सुरक्षित) ऋण	3,17,76		2,74,69	
कस्टम और पोर्टट्रस्ट प्राधिकरण में शेष	2,09		8,49,07	
भारत सरकार में सार्वजनिक जमा खाता	64,15,63		1,41,94,89	
		67,35,48		1,53,18,65
		6,88,06,60		4,28,16,30

टिप्पणियां:
1. निदेशकों द्वारा देय पेशगियां 2000/- रु. (पिछले वर्ष 27,205/- रुपये)। वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि 64135/- रु. (पिछले वर्ष 80,624/- रुपये)।
2. कम्पनियां, जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा 3328.93/- लाख रुपये (पिछले वर्ष 2639.18 लाख रुपये) पेशगियां देय हैं।
3. विभिन्न देनदारों जिसमें कम्पनी का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है द्वारा 420.13 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य)।

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-8
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
देयताएं		
1. विविध लेनदार	47,30,60	25,55,38
2. डिपॉजिट/एजेंसी कार्यों की खर्च न की गई राशि (अनुबंध के अनुसार)	2,22,99	2,77,90
3. ठेकेदारों और अन्य से प्राप्त डिपॉजिट, रिटेंशन राशि	8,55,92	8,58,24
4. अन्य देयताएं	22,96,41	27,54,58
5. ऋणों पर उपचित ब्याज, परन्तु अभी देय नहीं	1,55,18,97	72,46,59
6. जारी किए गये चैकों के लिये देयता	61,91,86	43,82,19
	2,98,16,75	1,80,74,88

टिप्पणी: ऋणों पर उपचित ब्याज़ परन्तु जो अभी देय नहीं है, में शामिल हैं— संचयी बॉण्डों पर 706.64 लाख रुपये (पिछले वर्ष 450.47 लाख रुपये) जो बॉण्डों के परिपक्वता (मैच्युरिटी) पर दिया जाना है।

डिपाजिट कार्यों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं के ब्यौरे

अनुसूची-8 का अनुबंध
(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990 तक डिपाजिट राशि	31.3.1989 तक का खर्च	1.4.1989 से 31.3.1990 तक खर्च	खर्च में कारपोरेट कार्यालय का हिस्सा	31.3.1990 तक कुल खर्च	खर्च न हुई राशि
(क) डिपाजिट कार्य						
ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटें						
1. गंगतोक से मेल्ली-कालिम्पोंग	4,24,13	4,19,63	1,06	—	4,20,69	3,44
2. गंगतोक से दिक्चू						
3. लीमाताक-जिरीबाम	4,72,18	4,53,76	17	—	4,53,93	18,25
4. रामनगर-गंडक	1,77,30	1,58,08	—	—	1,58,08	19,22
5. सलाकती	4,18,00	2,70,26	4,04,47	—	6,74,73	(-) 2,56,73*
(ख) एजेंसी आधार पर परियोजनाएं						
1. देवीघाट परियोजना	40,69,42	40,36,43	1,23	—	40,37,66	31,76
2. त्रिशूली शक्ति संसाधन अन्वेषण कार्य	5,00	5,85	27	—	6,12	(-) 1,12*

टिप्पणी: ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर खर्च केवल नकद दर्शाता है और इसमें उपचित खर्च शामिल नहीं है। खर्च में स्टाफ को पेशगियां, सप्लायर्स को पेशगियां, ठेकेदारों को पेशगियां तथा इस्तेमाल न हुआ स्टॉक शामिल है।

* चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों और पेशगियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

अनुसूची-8 का अनुबंध

सहायता-अनुदान

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे		31.3.1990		31.3.1989
जल-विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए सहायता-अनुदान				
1. चमेरा (अन्वेषण)	3,36,00		3,36,00	
2. धालेश्वरी	1,66,84		1,66,84	
3. धौलीगंगा	5,71,31		3,71,31	
4. गौरीगंगा चरण-I	2,38,09		2,38,09	
5. गौरीगंगा चरण-II	94,00		40,00	
6. गौरीगंगा चरण-III	80,00		80,00	
7. किशनगंगा	1,90,00	16,76,24	1,40,00	13,72,24
घटाएं-खर्च				
1. चमेरा (अन्वेषण)	2,99,75		2,59,43	
2. धालेश्वरी	1,82,11		1,71,18	
3. धौलीगंगा चरण-I	3,10,47		3,72,26	
4. धौलीगंगा चरण-II	2,02,14		1,75,97	
5. गौरीगंगा चरण-I	2,12,69		3,26,32	
6. गौरीगंगा चरण-II	1,07,81			
7. गौरीगंगा चरण-III	78,16		14,31	
8. बराह पम्प स्टौरेज स्कीम, अलवर	30,06		30,06	
9. किशनगंगा	1,61,87		1,19,49	
	15,85,06		14,69,02	
प्राप्तियों से अधिक अन्वेषण पर हुए अत्यधिक खर्च को "ऋणों व पेशगियों" के अन्तर्गत दर्शाई गई चालू परिसम्पत्तियों में से घटाएं	59,14	15,25,92	2,99,55	11,69,47
सहायता अनुदान की खर्च न हुई राशि		1,50,32		2,02,77

अनुसूची-9

विविध खर्च

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक का विविध खर्च		
1. प्रारंभिक खर्चे	8,00	12,00
2. बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	1,34,53	81,16
	1,42,53	93,16

अनुसूची-10

विविध आय

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
1. अन्य विविध प्राप्तियां और वसूलियां	1,08,90	55,79
2. स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	23,41	4,16
	1,32,31	59,95

जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्च

अनुसूची-11

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
जनरेशन व ट्रांसमिशन खर्चे		
1. स्टोर व फालतू पुर्जों का उपयोग	51,34	1,09,16
2. मरम्मत व रख-रखाव		
(क) भवन	72,94	59,17
(ख) मशीनरी	1,43,09	82,01
(ग) अन्य	3,28,50	2,24,75
3. वाहन प्रभारें	44,09	48,28
4. अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	1,35,36	1,47,03
प्रशासनिक खर्चे		
5. किराया	1,84	2,09
6. दरें व कर	4,96	4,56
7. बीमा	14,99	13,28
8. विद्युत प्रभारें	59,38	49,75
9. यात्रा व वाहन	44,08	42,29
10. स्टाफ कारों पर खर्चे	1,01,91	83,27
11. टेलीफोन, टेलैक्स व डाकखर्च	16,68	13,97
12. परामर्शी प्रभारें	7,49	12,52
13. विज्ञापन व प्रचार	5,96	7,59
14. मनोरंजन खर्चे	19	27
15. छपाई व स्टेशनरी	13,68	10,31
16. कारपोरेट कार्यालय में प्रबंधन खर्च	1,70,98	1,70,58
17. अन्य विविध खर्च	1,19,63	93,87
18. परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	22	10
	13,37,31	11,74,85

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-12

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
1. वेतन, मजदूरी और भत्ते	9,86,50	10,19,01
2. भविष्य और ग्रेच्युटी निधियों में कम्पनी का अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	1,03,96	89,45
3. स्टाफ कल्याण खर्चे	1,70,99	96,88
	12,61,45	12,05,34

पूर्व अवधि समंजन

अनुसूची-13

(रुपये हजारों में)

ब्यौरे	31.3.1990	31.3.1989
1. बिजली की बिक्री	(1,71,16)	(7,66,65)
2. पिछले वर्षों का लाभ	—	3,53,97
3. ब्याज	1,03,18	7,66,01
4. मूल्यह्रास	81	2,04,32
5. रॉयल्टी	(91)	(67,94)
6. सुरंग के क्षतिग्रस्त भाग की लागत	—	(69,17)
7. वेतन व मजदूरी	5,78	(25,94)
8. मरम्मत व रख-रखाव	(12,60)	(4,92)
9. अन्य विविध	(28,86)	(15,89)
	(1,03,76)	3,73,79

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में मुख्य देयताएं मौजूद हैः-

(क) कम्पनी के विरुद्ध दावे लिखे दावों की पावती नहीं हुई है क्योंकि ऋणों की राशि 1507.07 लाख रुपये बनती है (पिछले वर्ष 3693.90 लाख रुपये)
(ख) 15.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15 लाख रुपये) की बैंक गारन्टी।
(ग) आयकर मांग 85.05 लाख रुपये (पिछले वर्ष 12.42 लाख रुपये)।

एजेंसी आधार पर डिपाजिट कार्यों और अनुदान पर निष्पादित परियोजनाओं के संबंध में फुटकर देयताएं, यदि कोई हैं, शामिल नहीं की गई हैं क्योंकि कारपोरेशन को देयता की प्रत्याशा नहीं है।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले शेष खर्चों की अनुमानित राशि और जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 296185.53 लाख रुपये बनती है (पिछले वर्ष 26489.43 लाख रुपये)।
3. "गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया फंड-एडजेस्टेबल टू इक्विटी" में निम्न शामिल हैः-

(क) सरकार से लिये गये ऋण की 180 लाख रुपये (पिछले वर्ष 180 लाख रुपये) की राशि जिसको इक्विटी में बदलने के लिये सरकार की सिद्धान्त रूप से सहमति हो गई है। कुछ औपचारिकताओं को पूरा किया जाना शेष है।
(ख) भारत सरकार से प्राप्त 35552.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 225 लाख रुपये) का आबंटन अभी लंबित है।
(ग) 33159.77 लाख रुपये (पिछले वर्ष 33156.61 लाख रुपये) सलाल परियोजना ने सरकार के फण्ड के एक हिस्से के रूप में और जैसाकि टिप्पणी सं. 4 में बताया गया है, इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान उपचित ब्याज का हिस्सा है।

4. (क) सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) जिसे कारपोरेशन भारत सरकार की ओर से एजेंसी आधार पर निष्पादित कर रही थी, वह वास्तव में 1 नवम्बर, 1987 से स्वामित्व आधार पर कारपोरेशन को हस्तांतरित हो गई है। हस्तांतरण की शर्तों और इस संबंध में कानूनी दस्तावेजों को अन्तिम रूप दिये जाने तक, उस परियोजना के लेखे कारपोरेशन के लेखों में निगमित कर दिये गये हैं इसके लिए उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखा गया है जिनका कारपेरेशन को भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था जैसें परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार से कुल फण्ड-इन-फ्लो में से, परियोजना की अनुमानित संशोधित लागत से पहले 50 प्रतिशत के रूप में, 29764.01 लाख रुपये की राशि, को भारत सरकार से निवेश के तौर पर मानी गई है और इक्विटी हिस्सा पूँजी के निर्गम द्वारा समायोजन/अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि लेने की तारीख से, सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूँजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूँजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूँजी के निर्गम द्वारा समायोज्य राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गयी ऋण की राशि क्रमशः 33159.77 लाख रुपये और 31069.94 लाख रुपये बनती है और जो क्रमशः "इक्विटी में समायोज्य सरकारी फण्ड" और "असुरक्षित ऋण" में शामिल की गई है।

(ख) सलाल जल-विद्युत परियोजना के लेखे सरकारी लेखा पद्धति पर रखे जा रहे थे। लेखों का वाणिज्यीकरण और परियोजना अवयवों का पूँजीकरण इन अवयवों पर खर्च हुई लागत के आधार पर और 31 मार्च, 1989 को भंडारों की वास्तविक माल-सूची, फर्नीचर और फिक्सचर्स आदि की अनुमानित लागत तथा पूँजी लेखे में समाधान/समंजन की शर्त के अधीन किया गया था। इसी प्रकार से वसूली योग्य 228.00 लाख रुपये, परियोजना बहियों के अनुसार विभिन्न नामें, जमा व लेखों के प्रेषण-शीर्षों के अन्तर्गत बकायों के निपटान को ऊर्जा मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों के साथ समाधान की शर्त के अन्तर्गत दिया गया है।

5. (क) लाभभोगियों के साथ बिजली आपूर्ति के करारों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। करारों को अन्तिम रूप दिये जाने तक चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम, लोकतक, बैरासूल परियोजनाओं और सलाल परियोजना से की गई बिजली की बिक्री को क्रमशः 45 पैसे, 53.10 पैसे, 37.98 पैसे और 43.00 पैसे प्रति के.डब्ल्यू.एच. की अनन्तिम बुनियादी दर पर लेखे में लिया गया है। फिर भी, लाभभोगियों के साथ टैरिफ समझौता से संबंधित विचार-विमर्श के आधार पर 192.60 लाख रुपए, 124.62 लाख रुपए, 318.92 लाख रुपए और 119.05 लाख रुपए क्रमशः बैरासूल, लोकतक, सलाल और चुखा परियोजनाओं को प्रदान किए गए और टैरिफ समंजन के लाभ और हानि लेखा में चार्ज किए गए हैं।

(ख) इसी प्रकार चुखा हाइडल परयोजना (भूटान) के साथ करार को अन्तिम रूप दिए जाने का मामला लंबित होने से बिजली की खरीद 27 पैसे प्रति के.डब्ल्य.एच. की दर से लेखे में ली गई है।

6. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे और अन्य प्रासंगिक खर्चों के तौर पर अनन्तिम/प्रारम्भिक अदायगी दर्शाती है। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक भूमि का स्वामित्व कारपोरेशन को नहीं दिया गया है।
7. कुछ परियोजनाओं, जहां निर्माण कार्य जारी हैं, में मूल्यित भंडार खाते पूरे नहीं हुए हैं। इनके पूरा होने तक और विस्तृत समाधान होने तक माल-सूचियों की 12,419.11 लाख रुपए की राशि बहियों के अनुसार ली गई है। हालांकि ऐसी सभी माल-सूचियों का उपयोग निर्माण गतिविधियों में किया जाएगा, अतः प्रबंध वर्ग ऐसी माल सूचियों के मूल्य में किसी ह्रास की प्रत्याशा नहीं करता है।
8. वर्ष के भीतर प्राप्त और उपयोग में लाए गए ऐसे कुछ पूंजीगत भंडारों के संबंध में सत्यापित बिलों और अन्य संबंधित कागजातों की प्राप्ति होने तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
9. लोक उद्यम विभाग ने अपने दिनांक 12.6.1990 के एक आदेश द्वारा कारपोरेशन के कुछ अधिकारियों और सुपरवाइज़रों के वेतनमान 1.1.86 से संशोधित करने की और जून, 1983 से अन्तरिम राहत की मंजूरी दी है। कारपोरेशन ने बकाया राशि की अदायगी के लिए हिसाब लगाना शुरू कर दिया है। इसका आकलन न होने के कारण 31.3.1990 की अवधि के लेखे में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। इस वर्ष लाभ पर कोई पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा।
10. चल रही परियोजना में निपटान/स्थानांतरण के लिए प्रतीक्षारत फालतू निर्माण उपस्करों, जिनके लिए लेखा नीति सं. 9 (ख) के अनुसार कोई मूल्यह्रास चार्ज नहीं किया गया है, का मूल्य 114.21 लाख रुपये (शुद्ध ब्लॉक) है।
11. आयकर की देयता के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि प्रबंध वर्ग के विचार में इस संबंध में कोई देयता नहीं बनती है।
12. पिछले वर्ष के आंकड़ों का चालू वर्ष के आंकड़ों से मेल बिठाने के लिए, जहां कहीं व्यवहार्य था, उन्हें उचित रूप से पुनः व्यवस्थित कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 अनुसूची-VI के भाग-II के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना

ब्यौरे	1989-90	1988-89
1. कर्मचारियों पर खर्च		
उन कर्मचारियों पर खर्चे, जो यदि वर्ष भर नियुक्त रहे होते तो उन्होंने 72,000/- रु. प्रतिवर्ष से कम वेतन नहीं लिया होता। वर्ष के किसी अंश के लिए नियुक्त रहे होते तो 6,000/- प्रतिमास से कम नहीं लिया होता।		
(क) पूरे वर्ष नियुक्त रहे		
(1) कर्मचारियों की संख्या	215	141
(2) वेतन व मजदूरी (रुपये हजारों में)	1,85,00	1,04,52
(3) परिलब्धियों का मूल्य (रुपये हजारों में)	1,06	20,71
(ख) वर्ष के आंतरिक भाग के लिए नियुक्त		
(1) कर्मचारियों की संख्या	45	6
(2) वेतन और मजदूरी (रु. हजारों में)	26,21	4,34
(3) परिलब्धियों का मूल्य (रुपये हजारों में)	31	37

(इसमें परियोजनाओं पर नियुक्त कर्मचारी शामिल नहीं हैं, ये परियोजनाएं एजेंसी के आधार पर निष्पादित की जा रही हैं और इन कर्मचारियों का वेतन, भारत सरकार से प्राप्त डिपाजिट में डाला जाता है न कि कारपोरेशन के निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में)।

फिर भी, एजेंसी आधार पर निष्पादित परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में सूचना शून्य है।

	1989-90	1988-89
2. विदेशी मुद्रा में हुआ खर्च (रुपये में)		
(1) जानकारी	13,02,15,524	—
(2) अन्य विविध मामले	296,57,82,344	1,12,06,65,000
3. विदेशी मुद्रा में अर्जन (रुपये में)		
(1) ब्याज	2,28,98,815	—
4. उपयोग में लाये गए अतिरिक्त पुर्जों और अवयवों का मूल्य (ओ. एण्ड एम. परियोजनाएं)		
(1) आयातित	—	—
(2) स्वदेशी	51,33,749	1,09,16,085
5. आयातित संयंत्र व मशीनरी और फालतू पुर्जों का मूल्य (रुपये में)	47,60,91,139	44,05,43,145

6. लाइसेंसीकृत/अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन

		बैरास्यूल		लोकतक		चुखा टी.सी.यू.		सलाल	
		1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89	1989-90	1988-89
1.	लाइसेंसीकृत क्षमता	180 मे.वा.	180 मे.वा.	105 मे.वा.	105 मे.वा.	—	—	690 मे.वा.	690 मे.वा.
2.	अधिष्ठापित क्षमता	180 मे.वा.	180 मे.वा.	105 मे.वा.	105 मे.वा.	—	—	345 मे.वा.	345 मे.वा.
3.	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिटों में)	662.24	704.07	449.29	374.56	—	—	2321.9	2148.3
4.	मूल्य (रुपए हजारों में)	244100	251287	237153	197091	—	—	979983	958454
		(631.63 मि.यू.)	(656.25 मि.यू.)	(446.62 मि.यू.)	(371.17 मि.यू.)	—	—	(2296 मि.यू.)	2093 मि.यू.)
5.	बिजली की खरीद (मिलियन यूनिटों में)	—	—	—	—	1424.82	1300.88	—	—
6.	बिजली का पारेषण और बिक्री (मिलियन यूनिटों में)	—	—	—	—	1416.69	1298.40	—	—

लेखा नीतियां :

1. सेवा उपदान के निमित्त प्रतिवर्ष उपचित देयता का भुगतान जीवन बीमा निगम से ली गई पालिसी की अपेक्षित किस्त की अदायगी करके भुगताया जाता है और अदायगी वर्ष में लेखित किया जाता है।
2. निर्माण के दौरान विदेशी विनिमय ऋणों के लिए देयता का निर्धारण वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय् दर के संदर्भ में किया जाता है और अन्तर, यदि कोई हो, तो इसे निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाल दिया जाता है, जो पूँजीकरण किए जाने तक चल रहे पूँजीगत कार्यों का एक हिस्सा होता है।
3. कारपोरेशन की विभिन्न परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है। सहायता-अनुदान का शेष अन्वेषण कार्यों पर हुए खर्च की कटौती के पश्चात् चालू देयताओं तथा प्रावधान व्यवसायों के अन्तर्गत दिखाया गया है। सहायता-अनुदान से खरीदी गई, निर्मित की गई परिसम्पत्तियों का स्वामित्व कारपोरेशन के पास नहीं है इसलिए इसे कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है।
4. निष्पादित लेकिन आंके न गए पूँजीगत कार्यों को कारपोरेशन द्वारा अन्तिम रूप से निरीक्षित तथा स्वीकार्य न होने के कारण देयता, यदि कोई हो, में नहीं दिखाया गया है इसलिए इसे कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है। काम में ली जा रही सामग्री के लिए देयता कारपोरेशन द्वारा उसी तरह प्राप्ति, निरीक्षण और स्वीकार्य होने के समय तक नहीं दी गई है।
5. पूरी हो चुकी परिसम्पत्तियों को ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर आय मूल्य के आधार पर पूँजीकृत किया गया है, जहां कहीं वास्तविक खर्च निर्धारित नहीं किया जा सका है, वहां उसे अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है।
6. राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों द्वारा कारपोरेशन से संबंधित कुछ परिसम्पत्तियों की लागत के कुछ अंश में दी गई राशियां ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में से कम कर दी गई हैं और लेखों में शुद्ध लागत दर्शाई गई हैं। अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व रखने वाली परिसम्पत्तियों के मामले में अन्य एजेंसियों द्वारा अंशदान को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत में से कम कर दिया जाएगा और शुद्ध लागत कारपोरेशन के लेखे में दर्शायी जायेगी।
7. निर्माणाधीन परियोजनाओं में परिसम्पत्तियों, जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर अनुदान/लागत का हिस्सा/हुआ खर्च आवंटन हो जाने तक चालू निर्माण कार्य के अन्तर्गत लेखों में दिखाया गया है।
8. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की उपधारा-I के अधीन जारी अधिसूचना में दी गई दरों पर बिजली उत्पादन/ट्रांसमिशन, संचालन और जनरेटिंग स्टेशनों के रख-रखाव के लिए प्रयुक्त परिसम्पत्तियों, संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर अदि पर मूल्यह्रास उस वर्ष से तथा बाद के वर्ष से चार्ज किया जा रहा है जबकि परिसम्पत्तियों को काम में लाया गया है। निर्माण संयंत्र व मशीनरी उपस्कर परिवहन वाहनों, कार्यालय उपस्कर, भवनों आदि पर मूल्यह्रास कम्पनी (संशोधित) अधिनियम, 1988 की अनुसूची-14 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दिया गया है। 2 अप्रैल, 1987 से पूर्व खरीदी गई/निर्मित की गई परिसम्पत्तियों के मामले में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की शर्त के अनुसार कम्पनी अधिनियम के पहले के प्रावधानों के अन्तर्गत दिए जाते रहे हैं।
9. (क) संयंत्र व मशीनरी और भंडारों का अंतः परियोजना/यूनिट स्थानांतरण बही-मूल्य (बुक-वेल्यू) पर किया जा रहा है। तथापि कारपोरेशन की निर्माण परियोजनाओं को संचालनात्मक परियोजनाओं से की गई बिजली सप्लाई उसी सामान्य दर के अनुसार ही चार्ज की जा रही है, जो दर संचालनात्मक परियोजनाओं के लाभभोगी राज्यों के लिए लागू है।
   (ख) परियोजनाओं पर रखे अधिशेष/पुराने भंडारों और उपस्कर की आवधिक अंतरालों पर पहचान की जा रही है। इस तरह पहचानी गई बकाया मदों को कारपोरेशन की अन्य परियोजनाओं/यूनिटों को हस्तांतरित किया जा रहा है, जहां कि उनकी आवश्यकता है। अधिशेष उपस्कर/भंडारों को केन्द्रीय/राज्य सरकारों की अन्य परियोजनाओं/उपक्रमों/विभागों को ऐसी मदों को उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी दिया जाता है। परियोजना/यूनिट की आवश्यकतानुसार अधिशेष घोषित परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था नहीं की जाती। निपटान पर हानियां, यदि कोई हैं, की ऐसी मदों के निपटान के पश्चात् गणना की जा रही है।
10. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च की कुल राशि और परियोजना, जिसमें वर्ष के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के पहले दिन आई/समायोजित लागत के आधार पर, भूमि को छोड़कर, प्रत्यक्ष स्थिर परिसम्पत्तियों में डाला-गया है।
11. विभिन्न कार्य/स्थलों पर पड़े पूँजी भंडारों और राजस्व भंडारों के स्टॉक की लागत क्रमशः सीधे निर्माणाधीन कार्यों तथा जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रशासनिक खर्चों में डाल दी गई है।
12. छोटी-छोटी वस्तुओं और औजारों, जिनका कि प्रत्येक का मूल्य 100/- रुपये से कम है, को उपभोग्य लेखे में डाला गया है। 100/- रुपये और इससे अधिक मूल्य के अलग-अलग औजारों के प्रत्येक मामले में लागत पूँजीकृत की गयी है और अलग-अलग औजारों के अंतर्गत दिखाया गया है। इस प्रकार पूँजीकृत किए गए अलग-अलग औजारों की लागत अलग-अलग औजारों के उपयोग के नामे डालकर 5 बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते डाली गई है।
13. कारपोरेट कार्यालय के खर्चों को, पेशगियों और परिसम्पत्तियों को छोड़कर किन्तु अधिशेष कर्मचारियों के पारिश्रमिक को शामिल कर, नीचे दिए अनुसार आवंटित किया गया है:
   (क) कारपोरेशन द्वारा डिपाजिट कार्यों के तौर पर निष्पादित की जा रही मौजूदा ट्रांसमिशन लाइनों पर हुए 2 प्रतिशत की समान दर से प्राप्त प्रत्यक्ष पूँजी खर्च।
   (ख) सम्बद्ध परियोजनाओं/यूनिटों को दी गई सेवाओं की मात्रा के आधार पर परियोजनाओं/यूनिटों के मामले में कारपोरेट कार्यालय में हुए अनुमानित डिजाइन खर्चे।
   (ग) तीसरी पार्टी को देय करों, ड्यूटियों, व्हीलिंग चार्जेज व बिजली प्रभारों रहित, ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से संचालनात्मक परियोजनाओं और ट्रांसमिशन सिस्टम पर।
   (घ) शेष खर्चों का आवंटन निर्माणाधीन, अन्वेषण, एजेंसी आधार और संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के दौरान उन पर हुए शुद्ध पूँजीगत खर्च के यथानुपात आधार पर किया गया है।
14. चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में प्राप्त या सम्बद्ध हुए खर्च या वसूली गई आय, यदि प्रत्येक के मामले में राशि 5,000/- वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते डाली गई, "पूर्व अवधि समायोजन" शीर्षक के अन्तर्गत ही दिखाई गई है।
15. संचालनात्मक परियोजनाओं में जहां निर्माण कार्यकलाप अभी चल रहा है, सामान्य सेवा खर्चे मूल रूप से प्रत्येक क्रियाकलाप यानी निर्माण/संचालन द्वारा की गई अनुमानित सेवाओं से प्राप्त लाभ के आधार पर आवंटित किए गए हैं।
16. कुछ निर्माणाधीन परियोजनाओं में धन लगाने के लिए बॉण्ड जारी किए गए हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व का निर्माण, यदि आवश्यक हुआ, विलम्बन-काल, यानी संबंधित परियोजना में वाणिज्यिक संचालनों के आरंभ होने के बाद शुरू किया जाएगा।
17. निर्माण अवधि के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए डिबेंचर/बॉण्ड जारी करके वित्तीय व्यवस्था जुटाने पर हुए खर्च को पूँजीगत खर्च के तौर पर लिया जाता है और "निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च" में डाला जाता है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्टः

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में

हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1990 के संलग्न तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न कारपोरेशन के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा जिसमें शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परियोजना/यूनिटों का लेखा परीक्षण भी शामिल है, की लेखापरीक्षा की ओर हमारी रिपोर्ट है किः-

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्माता व आय कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के अन्तर्गत आपेक्षित है, कथित आदेश पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबन्ध में संलग्न है।

2. उपर्युक्त पैरा-1 में सन्दर्भित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावाः-

(क) हमने सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थीं।

(ख) हमारे मतानुसार कम्पनी ने कानून द्वारा आपेक्षित समुचित बहियां रखी है, जैसा कि बहियों की हमारी जाँच से मालूम होता है और जिन परियोजनाओं/यूनिटों का दौरा हमने नहीं किया और उन परियोजनाओं/यूनिटों से लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समुचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) परियोजनाओं/यूनिटों जिनका लेखापरीक्षण हमने नहीं किया, के संबंध मे अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय शाखा परीक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यान रखा गया है और इस पर विश्वास किया गया है।

(घ) इस रिपोर्ट में सन्दर्भित तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा और विवरण बहियों से मेल खाते हैं।

(ड.) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों तथा उनके अंश व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित पठित कथित तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा के भाग और निम्नलिखित बातों के अधीन हैंः

i) सलाल-I, परियोजना के मामले में लेखों को कारपोरेशन के इस वर्ष के लेखों में सम्मलित किया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 2.9.89 के पत्र संख्या 4/1/78 डी.ओ. (एनएचपीसी) द्वारा सूचित किया है कि कारपोरेशन की परियोजना का हस्तान्तरण करने के बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है इसी आधार पर इसे लेखे में लिया गया है लेकिन हमारे विचार से कारपोरेशन को सरकार के उपर्युक्त पत्र में परियोजना के हस्तान्तरण संबंधी निर्णय की सूचना मिलने पर भी कारपोरेशन को परियोजना का स्वामित्व नहीं मिला है। क्योंकि इसके हस्तान्तरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं और स्वामित्व आधार पर इसके हस्तान्तरण के लिए भारत सरकार द्वारा आदेश जारी करने के संबंध में विचार नहीं किया गया है। इसमें लम्बित पड़ी कारपोरेशन की अपनी समझी जाने वाली राशियों की अदायगी समायोजन की शर्तों को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। परिणामतः इस वर्ष के लेखों में निम्नलिखित अधिविवरण हुआ हैः-

(रुपये लाखों में)

(क)	वर्ष के लिए लाभ (विभिन्न देनदारों की अयोग्य या सन्देहास्पद समझी गई वसूली के लिए 318.92 लाख के प्रावधान के बाद)	2861.82
देनदारियाँः		
(ख)	आरक्षित तथा अधिशेष	6333.05
(ग)	अनारक्षित ऋण	31069.94
(घ)	इक्विटी में समायोजना योग्य सरकारी निधी	33159.77
(ङ)	चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	636.61
परिसम्पत्तियाँः		
(च)	स्थिर परिसम्पत्तियाँ (नेट ब्लॉक)	59615.50
(छ)	चालू पूंजीगत कार्य	13.54
(ज)	निर्माण भण्डार और पेशगियां	1922.80
(झ)	माल सूचियां	178.74
(ञ)	विभिन्न देनदार	9710.66
(ट)	नकद तथा बैंक शेष	0.31
(ठ)	ऋण तथा पेशगियां	(–) 242.18

उपरोक्त के दृष्टिगत, हमने सलाल परियोजना-I को कारपोरेशन के पास एजेंसी आधार पर मानते हुए उसके लेखों पर एक अलग से रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की है।

ii) कारपोरेट कार्यालय के बैंक समाधान से मालूम होता है कि क्रमशः 16.30 करोड़ तथा लगभग 4.27 करोड़ रुपये की राशि बैंक/कारपोरेशन द्वारा लम्बी अवधियों के ऋणों और जमाओं का समायोजन बहियों में बकाया है। इसके अलावा वर्ष के अन्त मे बकाया पड़े चैकों को जारी करने के बारे में बैंक/कारपोरेट कार्यालय/यूनिटों द्वारा लम्बी अवधि के समायोजनों बढोत्तरियों/अल्पना/जमाओं का शोधन बकाया पड़ा है।

iii) स्थिर परिसम्पत्तियों की अनुसूची 4 में दिनांक 1.4.89 के अनुसार सकल ब्लॉक की राशि विभिन्न परिसम्पत्तियों के लिए इकट्ठी की गई है लेकिन दिनांक 31.3.89 के अनुसार चालू शुद्ध ब्लॉक के आंकड़ों को मिलान के लिए इकट्ठा नहीं किया गया है। अन्तर यूनिट हस्तान्तरण में शामिल परिवर्धनों और कटौतियों के कारण स्थिर परिसम्पत्तियों में "परिवर्धनों और कटौतियों का अधिविवरण हुआ है इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

iv) ठेकेदारों, निर्माताओं, आपूर्ति कर्ताओं, स्टाफ/सरकरी विभागों सहित अन्य विभागों को दिये गये ऋण और पेशगियों को लेखों/विभिन्न बिलों के सत्यापन/किए गये कार्यों, की गई सेवाओं के सत्यापन, के बाद समाधान/संमजन और पुष्टि की जानी है। इन सभी के प्रभाव का अभिनिश्चय नहीं हुआ है।

v) विद्युत शक्ति की बिक्री से प्राप्त राजस्व में अन्तः यूनिट से विद्युत शक्ति प्रभारित का 126.81 लाख रुपये की राशि का मार्किट मूल्य भी शामिल है जिसके परिणाम स्वरूप नैशनल लाभ में भी मार्किट मूल्य की अधिकता की सीमा तक अधि लागत हो गई।

vi) बहुत से मामलों में जैसे एजेंसी आधार पर निष्पादित परियोजनाओं, डिपाजिट, कार्यों और सहायता-अनुदान, के बदले निष्पादित कार्यों और भारत सरकार की ओर से हाथ में ली गई परियोजनाओं के बारे में तैयार किये गये लेख नकदी पर आधारित है, जो लेखाः शास्त्र के संभूति (अकुअल) पद्धति सम्बधी कम्पनी प्राधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं हुआ है। इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है।

vii) जैपोर तालचर ट्रांसमिशन परियोजना, मे कम प्राप्त क्षतिग्रस्त हुई 10.83 लाख रुपये की सामग्री का समंजन नहीं किया गया है जो कि चल रहे पूँजीगत कार्यों में शामिल है और ठेकेदार द्वारा बदली जानी है।

viii) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के साथ हुए करारों पर या उसके बाद उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा पेश किये गये दावे, जिसके लिए अन्तिम राशि अदा/समंजित की गई है, पर देयता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कारपोरेशन ने सभी रिकार्ड दस्तावेज/टाइटल डीड आदि अपने कब्जे में नहीं लिये हैं।

ix) मालसूची के मूल्य को जनरल लेज़र के अनुसार नहीं लिया गया है जिसका मूल्य भंडार बहियों के साथ समाधान नहीं कियागया है। हमारे विचार में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार यह ठीक और उचित नहीं है। लेखों पर पड़े इसके प्रभाव का अभी निश्चय नहीं किया गया है।

x) भूमि, जो कारपोरेशन से संबंधित नहीं है, पर सृजित परिसम्पत्तियों पर खर्च के तौर पर पूँजीगत कार्य की प्रगति में 2695.71 लाख रुपये शामिल है।

xi) कारपोरेशन कम्पनी अधिनियम की धारा 293 (i) (डी) के अंतर्गत निर्धारित उधार-शक्तियों का 31.3.1989 से 27.8.1989 की अवधि के दौरान अतिक्रमण किया है।

xii) लेखों की अनुसूची 15 के अन्तर्गत दीगई अतिरिक्त सूचना के मामले में विदेशी मुद्रा के 13.02 करोड़ रुपए की और जानकारी के 296.57 करोड़ रुपए तथा अन्य विविध मामलों और आयातित संयंत्र तथा मशीनरी व अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य के 47.6 करोड़ रुपए के उपचित खर्च के आंकड़े सम्बद्ध शाखा लेखापरीक्षकों से प्रमाणित नहीं कराए गए हैं।

xiii) बराह पम्प स्टोरेज़ स्कीम परियोजना के मामले में लेखों की अनुसूची 8 के अनुबंध में भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के अन्तर्गत वसूली योग्य 30.06 लाख रुपए दर्शाए गए हैं लेकिन भारत सरकार से ऐसी सहायता अनुदान की मंजूरी की स्वीकृति का रिकार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में हम इसके वसूलीकरण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

xiv) कोंकण परियोजना के मामले में कारपोरेशन ने मुख्य विभिन्न देनदारों के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार से वसूली योग्य 15 लाख रुपए की राशि दर्शाई है। महाराष्ट्र सरकार की पुष्टि अनुमोदन के अभाव में हम इसके वसूली करण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

xv) बैरास्यूल परियोजना से अर्जित लाभ के हिस्से के संबंध में हिमाचल प्रदेश के साथ विवाद के लिए कारपोरेशन के खिलाफ दावे अभी नहीं निपटाए गए हैं। जिसके लिए चालू वर्ष में राशि नहीं दी गई है जबकि पिछले वर्ष की छुटपुट देयताओं में इसके लिए 26.13 करोड़ रुपए दिखाए गए थे।

xvi) "असुरक्षित ऋण" शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए गए अन्य श्रोतों से ऋण के 219.13 करोड़ रुपए भारत सरकार पे गारंटी के प्रतिकूल हैं।

xvii) कुछ परियोजनाओं में निर्माण भण्डार और पेशगियां, माल सूचियां, ऋण और पेशगियां तथा चालू देयताएं सम्बद्ध लेखा शीर्षों में डेबिट क्रेडिटशेष बकाया लेखों पर शुद्ध समायोजन के तौर पर ली गई है।

xviii) दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना के मामले में अन्तः परियोजना लेन-देनों की समाधान न ही गई राशि निर्माण भण्डार और पेशगी मालसूचियां, ऋण और पेशगियां तथा चालू देयताओं के अन्तर्गत लिए गए हैं। इसकी राशि अलग नहीं की गई है जिसके कारण लेखे में उसका पता लगाना कठिन है।

xix) दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना के मामले में स्थिर परिसम्पत्तियों में जोड़ी गई कुल मिलाकर 46.83 लाख रुपए की परिसम्पत्तियां शामिल हैं जिसके लिए कोई सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। हमें प्रबंधवर्ग ने सूचित किया है कि ये सहायक साक्ष्य इस यूनिट में लगी आग में नष्ट हो गए हैं।

xx) दुलहस्ती जल-विद्युत परियोजना और ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट, जम्मू के मामले में 348.69 लाख रुपए (सकल ब्लॉक) और 76.08 लाख रुपए (सकल ब्लॉक) मूल्य की भूमि 99 वर्षों के लीज़ पर ली गई है।

xxi) खोई/नष्ट हुई परिसम्पत्तियों के मूल्य के संबंध में 134.52 लाख रुपए विविध खर्च में शामिल हैं जिन्हें लेखे में बट्टे खाते/प्रावधान में नहीं लिया गया है।

xxii) विभिन्न पार्टियों के लेखों में शेष पुष्टिकरण की शर्त के अधीन हैं। लेखों मे इसका पता नहीं लगाया गया है।

टिप्पणियां:

5 (क व ख) विभिन्न सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों और अन्य एजेंसियों से बिजली पावर की बिक्री से प्राप्त राजस्व को अन्तिम दरों/मीटर रीडिंग के आधार पर लेखों में लिया गया है क्योंकि लाभभोक्ताओं के साथ बिजली पावर की बिक्री संबंधी करारों को अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है।

6. अन्तिम/प्रारंभिक अदायगियों के आधार पर भूमि की लागत के लिए और कारपोरेशन को भूमिस्वामित्व के हस्तान्तरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने सम्बंधी लेखा इस सम्बन्ध में सही देयताओं का निर्धारण और परिमापन नहीं किया गया है।

9. कारपोरेशन के कुछ कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन होने पर देय बकायों के लिए अदायगी योग्य राशि की व्यवस्था न होने के संबंध में कारपोरेशन ने ऐसी राशि का पता नहीं लगाया है।

10. चल रही परियोजनाओं में 114.21 लाख रुपए (नेट ब्लॉक) के फालतू निर्माण उपस्करों जिनका निपटान/हस्तान्तरण होना है पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था न करने संबंधी इसमें सलाल परियोजना चरण-I, 126.91 लाख रुपये (शुद्ध ब्लॉक) की राशि भी सम्मिलित की गई है। कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन वांछित जानकारी अपेक्षित ढंग से मिलती है और निम्न का सही तथा स्पष्ट रूप प्राप्त होता है :-
i) 31 मार्च, 1990 को कारपोरेशन के कार्यों से संबंधित तुलन पत्र।
ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कारपोरेशन के लाभ संबंधी लाभ व हानि लेखे के बारे में।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टैंट्स

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक :14.9.90

(ए.सी. बब्बर)
भागीदार

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संबंध में:

1. कारपोरेशन ने स्थिर परिसम्पत्तियों के बारे में रिकार्ड रखे हैं लेकिन कुछ मामलों में रखे गए रिकार्डों में परिसम्पत्तियां नहीं दर्शाई गई हैं। प्रबंधवर्ग ने अधिकांश परियोजनाओं में परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है जिसके कारण कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. इस अवधि के दौरान स्थिर परिसम्पत्तियों का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।

3. प्रबंधवर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में भंडारों और फालतू पुर्जों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है जिसके कारण कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. जांच के आधार पर हमने पाया है कि इन भंडारों का मूल्य सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार उचित और सही नहीं है। माल-सूची का मूल्य जनरल खाते के अनुसार लिया गया है, जिनका मूल्य भंडार खातों के साथ मेल नहीं बैठाया गया है।

5. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 370 (1-बी) के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कारपोरेशन ने सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का ऋण नहीं लिया है।

6. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों, जिनकी शर्तें प्रथम दृष्टि में कम्पनी के हित में नहीं थी, को कारपोरेशन ने कोई ऋण नहीं दिया है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1-बी) के अर्थ में इस प्रबंधवर्ग के अन्तर्गत और कोई कम्पनियां नहीं हैं।

7. कारपोरेशन ने कारपोरेशन के कर्मचारियों और ठेकेदारों को पेशगी के रूप में ऋण दिए हैं, जो सामान्यतः निर्दिष्ट ढंग से मूल-राशि लौटा रहे हैं और वे ब्याज, जहां लागू हैं, की अदायगी भी सामान्यतः नियमित रूप से कर रहे हैं।

8. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भंडारों, कच्चे मालों (पुर्जों सहित), संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसम्पत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया कम्पनी के आकार और इसके कार्यों के अनुरूप हैं।

9. जैसाकि हमें बताया गया है — बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों/कच्चे मालों की पहचान के लिए कारपोरेशन के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन आइटमों को निर्धारित करते समय लेखे की बहियों में की जाती है।

10. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के उपबंधों और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए लागू नियमों के अन्तर्गत कारपोरेशन ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है।

11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कारपोरेशन में कचरे की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।

12. कारपोरेशन में एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलित है, लेकिन यह कारपोरेशन के आकार के अनुरूप और इसके व्यवसाय के समपरिमाण में नहीं है।

13. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

14. कारपोरेशन एन.एच.पी.सी. कर्मचारी ट्रस्ट के पास तदर्थ आधार पर भविष्य निधि देयताओं को जमा कराने में नियमित रही है और ये देयताएं भविष्य निधि ट्रस्ट लेखे में समंजन/समाधान के अधीन हैं।

15. 31 मार्च, 1990 को आय-कर, सम्पत्ति-कर, बिक्री-कर, सीमा शुल्क और आबकारी ड्यूटी के संबंध में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई विवादास्पद राशि देय नहीं है।

16. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी व्यक्तिगत खर्चों, जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को छोड़कर, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

17. बीमार औद्योगिक कम्पनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ में कारपोरेशन बीमार औद्योगिक कारपोरेशन नहीं है।

18. एजेंसी कार्यों/डिपॉजिट कार्यों के संबंध में:-

i) कारपोरेशन में भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग के रिकार्ड रखने का एक समुचित तंत्र उपलब्ध है जिसमें सम्बद्ध परियोजनाओं में उपभोग में ली गई सामग्रियों और मानव घण्टों की युक्तिसंगत आबंटन के लिए व्यवस्था है।

ii) कार्यों के लिए भंडार जारी करने और भंडारों के आबंटन तथा श्रमिक संबंधी अपेक्षित नियंत्रण सहित, उचित स्तरों पर प्राधिकरण की एक समुचित पद्धति मौजूद है।

कम्पनी के आकार और इसके कार्य की किस्म के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धति को मजबूत बनाने की जरूरत है।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14.9.90

(ए.सी. बब्बर)
भागीदार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट — सलाल परियोजना (चरण-I)

हमने सलाल जल-विद्युत परियोजना, ज्योतिपुरम, जम्मू व कश्मीर के 31 मार्च, 1990 के संलग्न तुलन पत्र और परियोजना के निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, की लेखा परीक्षा की है और हमारी रिपोर्ट है किः

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1955 की धारा 277 (4क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गये निर्माता और अन्य कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1975 के अन्तर्गत अपेक्षित है, कथित आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध में संलग्न है।

2. उपर्युक्त पैरा-1 में संदर्भित अनुबंध में दी गई हमारी टिप्पणियों के अलावाः

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थीं।

(ख) जैसा कि बहियों की हमारी जांच से मालूम होता है हमारे मतानुसार परियोजना ने कानून और अपेक्षित समुचित बहियां रखी हैं।

(ग) इस रिपोर्ट के संदर्भित तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा बहियों से मेल खाता है।

(घ) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों तथा उनके अंश व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित पठित कथित तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा के भाग हैं, और निम्नलिखित बातों के अधीन हैं:-

1. परियोजना भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) विद्युत की है लेकिन लेखे तैयार करते समय परियोजना को नैशनल हाइड्रइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व पर माना गया है। यह ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 9.2.1989 के पत्र संख्या 4/1/78 — डी ओ (एन.एच.पी.सी.) के आधार पर माना गया जिसमें मंत्रालय ने परियोजना के कारपोरेशन को हस्तांतरण के निर्णय की सूचना दी है। लेकिन हमारे मतानुसार कारपोरेशन इस परियोजना की मालिक नहीं है। जबकि भारत सरकार ने कारपोरेशन को कथित पत्र के अनुसार हाल ही में परियोजना के हस्तांतरण की सूचना दी है, लेकिन हस्तान्तरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं शुरू नहीं की गई हैं और स्वामित्व आधार पर हस्तान्तरण के संबंध में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई आदेश नहीं निकाले गए हैं। कारपोरेशन द्वारा अपनी समझी जा रही राशि की अदायगी/समायोजना की शर्तों पर विचार नहीं किया गया है।

   तदनुसार वर्ष के लिए 4130.14 लाख रुपए तक का लाभ दिया गया है। सरकारी निधियों और स्थिर परिसम्पत्तियों पर ब्याज के प्रावधान के लेखे में 6791.51 लाख रुपए (सकल ब्लॉक) अधिक दिए गए हैं जो कि सरकारी निधियों के परियोजना के चालू होने यानि 1.11.87 तक ब्याज को पूंजीकृत करने और भारत सरकार की निधियां भी एन.एच.पी.सी. लि. के कारपोरेट कार्यालय की निधियों के तौर पर दिए जाने के कारण हुए हैं। उपर्युक्त के कारण भारत सरकार की निधियों में 66309.39 लाख रुपए कम दिखाए गए हैं और कारपोरेट कार्यालय की निधियों मे 68340.48 लाख रुपए अधिक दिखाए गए हैं। एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, कारपोरेट कार्यालय की निधियों में चालू परिसम्पत्तियों शीर्ष के अन्तर्गय 2099.05 लाख रुपए कम हैं।

2. ऋण और पेशगियों में शामिल हैं—एम पी डब्ल्यू पेशगियों के लेखों में वसूली योग्य दावे शीर्ष के अन्तर्गत 37.08 लाख रुपए, अन्य विभागों से वसूली शीर्ष के अन्तर्गत 21.08 लाख रुपए, और रेलवे दावे के खाते में वसूली योग्य दावे के शीर्ष के अन्तर्गत 12.01 लाख रुपए। में पेशगियां काफी समय से बकाया पड़ी है इनके वसूल, होने में शक है परन्तु इनके लिए लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. ऋण और पेशगियों में शामिल हैं :— ऋण जमाए और वापसी के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षों के लेखे में सरकार से वसूली योग्य दावा शीर्ष के अन्तर्गत 206.19 लाख रुपए जिसके लिए विस्तृत और सरकार के पुष्टिकरण प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए हैं। इस स्तर पर लेखों में इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

4. तीसरी पार्टियों की परियोजना में रखी गई माल सूचियों राशि 42.04 लाख रुपए की पार्टियों द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन है।

5. अतिरिक्त (शेष) कामगारों को भुगतान किए गए 255.99 लाख रुपए और सहायक सेवाओं में कामगारों को भुगतान की गई राशि में से 135.23 लाख रुपए पूंजीगत खर्च मे दी गई है जबकि हमारे मतानुसार ये राजस्व खर्च (संदर्भ टिप्पणी-4) में दिये जाने चाहिए। इस प्रकार वर्ष के लिए 391.22 लाख रुपए का लाभ और स्थिर परिसम्पत्तियाँ (सकल ब्लॉक) में 859.44 लाख रुपए अधिक है (31.3.90 तक 468.22 लाख रुपए)।

6. पूंजीगत खर्च (सुरक्षित) के लिए पेशगियां शीर्ष के अन्तर्गत ऋण व पेशगियों मे 306.32 लाख रुपए काफी समय से बकाया है जिसके लिए पुष्टि नहीं की गई है और समायोजन काफी समय से लम्बित पड़े हैं। इस स्तर पर इसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

7. मालसूचियों का मूल्य जनरल लेज़र के अनुसार लिया गया है और इसे वर्ष के अन्त में स्टोर रिकार्डों से मिलान नहीं किया गया है। मालसूची का मूल्य अनुमानित लागत आधार पर लगाया गया है हमारी राय में सामान्यतः अपनाई गई लेखा सिद्धान्तों के अनुसार मूल्यांकन सही और उचित नहीं है।

टिप्पणियाँ:

5. परियोजना में परिसम्पत्तियों के बीमाकृत न करने संबंधी।
6. 4490.92 लाख रुपए के राशि के 6 पैनस्टॉकों की लागत के 50% पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था न करने संबंधी।
7. लाभभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए करारों का निष्पादन न करने और अनन्तिम आधार पर बिजली की बिक्री को हिसाब में लेने संबंधी करारों को अन्तिम रुप दिए जाने तक इसका लेखे में पता नहीं लगाया जा सकता है।
8. 31.3.1990 को आने वाली समंजित लागत के आधार पर परियोजना पर प्राप्त निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च और अस्पष्ट खर्च के आबंटन संबंधी।
9. भारत सरकार की भूमि के स्वामित्व की किस्म और 1.04 लाख रुपए की कीमत की भूमि के स्वामित्व संबंधी कानूनी औपचारिकताएं लम्बित होने संबंधी।
11. 126.91 लाख रुपए (शुद्ध ब्लॉक) की राशि के फालतू निर्माण उपस्करों, वे जिनका निपटान/हस्तान्तरण होना है, पर मूल्यह्रास के व्यवस्था न करने संबंधी।
12. पार्टियों के लेखे जिनकी पार्टियों ने पुष्टि करनी है, सम्बन्धी लेखे पर पड़े इसके प्रभाव का अभिनिश्चय नहीं किया गया है।

कानून के अधीन वांछित जानकारी अपेक्षित ढंग से मिलती है और निम्न का सही तथा स्पष्ट रूप प्राप्त होता है:-

i) 31.3.1990 को परियोजना के कार्यों से संबंधित तुलन पत्र के बारे में।
ii) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए परियोजनना के लाभ संबंधी लाभ व हानि लेखे के बारे में।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(एस.एस. बंसल)
भागीदार

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक :21.8.90

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के संदर्भ में:

1. परियोजना ने स्थिर परिसंपत्तियों के एक बड़े भाग के लिए उचि रिकार्ड नहीं रखे हैं। प्रबंध वर्ग ने परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है जिसकी वजह से कमी, यदि कोई हो, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
2. वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यन नहीं किया गया है।
3. भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन निरन्तर तरीके के आधार पर किया गया है जो कि हमारे मतानुसार सही है लेकिन इनका समाधान लेखा-बहियों से नहीं किया गया है जिसके कारण कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
4. अपनी जांच पर हमने पाया कि सामान्यता स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार इन भण्डारों का मूल्य सही और उचित नहीं है। पिछले वर्ष भी ये माल-सूचियां उसी आधार पर ली गई हैं।
5. परियोजना ने कर्मचारियों और ठेकेदारों को ऋण के लिए पेशगियां दी हैं जो कि निर्दिष्ट ढंग से मूल राशि सामान्यतः लौटा रहे हैं और जहां कहीं ब्याज लागू होता है उसकी अदायगी भी सामान्यतः नियमित तौर से कर रहे हैं।
6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भण्डारों, उपस्करों सहित कच्चे मालों, संयंत्रों और मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों तथा सामान की खरीद संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया परियोजना के आकार और कार्यों के अनुरूप है।
7. जैसा कि हमें बताया गया है परियोजना में बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल के निर्धारण में नियमित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। अतः हानि के लिए व्यवस्थाएं यदि कोई हों, लेखा-बहियों में इन वस्तुओं के निर्धारण के समय की जाती है।
8. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार परियोजना में कचरे की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।
9. परियोजना में एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति प्रचलित है, लेकिन इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है।
10. परियोजना भविष्य निधि देयताएं एन.एच.पी.सी. कर्मचारी ट्रस्ट में नियमित रूप से जमा कर रही है और समायोजन/समाधान और भविष्य निधि ट्रस्ट लेखा के लेखापरीक्षा की शर्त के अधीन है।
11. 31 मार्च, 1990 को आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क संबंधी अदा की जाने वाली कोई विवादास्पद राशि नहीं है ये राशियां अदायगी योग्य होने की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं।
12. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार राजस्व लेखे मे कांस्ट्रक्टच्यूल आबलिगेशन के अधीन या सामान्य स्वीकार्य कार्य पद्धति के अनुसार अदायगी योग्य के अतिरिक्त व्यक्तिगत व्यय नहीं किए गए हैं।

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(एस.एस. बंसल)
भागीदार

स्थान :नई दिल्ली
दिनांक :21.8.1990

सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I)

31.3.90 को तुलन पत्र

(आंकड़े रुपए में)

		अनुसूची	31.3.90 की स्थिति	31.3.89 की स्थिति
निधि के स्रोत				
1. कारपोरेट कार्यालय से निधियां		1	6,83,40,48,363	6,41,85,36,130
2. लाभ व हानि लेखा से हस्तांतरित लाभ			31,80,73,756	36,93,84,614
जोड़:			7,15,21,22,119	6,78,79,20,644
निधियों का उपयोग				
स्थिर पूँजी व्यय				
(क) स्थिर परिसम्पत्तियां				
सकल ब्लॉक	6,52,26,20,536	2	5,96,15,50,222	5,98,98,36,937
घटाएं मूल्यह्रास	56,19,70,514			
(ख) चालू पूंजीगत कार्य		3	13,54,029	9,23,501
(ग) निर्माण भण्डार और पेशगियां		4	19,22,80,914	21,71,24,856
(घ) चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां		5	1,06,05,98,436	68,41,02,876
(क) माल सूचियां	1,78,73,937			
(ख) कैश व बैंक शेष	30,975			
(ग) फुटकर देनदार	1,00,29,58,289			
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	—			
(ङ) ऋण व पेशगियां	3,97,35,235			
घटाएं चालू देयताएं और व्यवस्थाएं		6	6,36,61,282	9,50,69,534
(क) देयताएं				
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां (5-6)			99,69,37,154	58,70,33,342
जोड़ :		11	7,15,21,22,119	6,78,79,20,644

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एस.एस. बंसल
भागीदार

एच.डी. खुन्टेटा
प्रबंधक (वित्त व लेखा)

कुंवर प्रितपाल सिंह
महाप्रबंधक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.8.90

31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

(आंकड़े रुपए में)

		अनुसूची	31.3.90 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.89 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
1.	बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व		97,99,83,228	95,84,54,606
2.	विविध आय	7	1,00,36,113	15,13,944
	कुल आय		99,00,19,341	95,99,68,550
खर्च				
3.	बिजली की खरीद		—	—
4.	कर्मचारियों को मेहनताना व लाभ	8	5,41,64,498	4,00,28,704
5.	उत्पादन, ट्रांसमिशन व प्रशासनिक व्यय	9	4,52,92,191	5,03,29,772
6.	रॉयल्टी प्रभारें		3,48,28,200	3,22,24,500
7.	मूल्यह्रास		10,81,61,609	11,21,43,818
8.	सरकारी ऋणों पर ब्याज		32,33,31,880	40,52,76,774
	कुल खर्चः		66,57,78,378	64,00,03,568
9.	वर्ष का लाभ/हानि		32,42,40,963	31,99,64,982
10.	जोडें/(घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	10	(−) 61,67,207	(+) 4,94,19,632
	तुलन-पत्र में लाया गया लाभ/हानि		31,80,73,756	36,93,84,614

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते बब्बर जिन्दल एण्ड कम्पनी,
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एस.एस. बंसल
भागीदार

एच.डी. खुन्टेटा
प्रबंधक (वित्त व लेखा)

कुंवर प्रितपाल सिंह
महाप्रबंधक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 21.8.90

कारपोरेट कार्यालय से निधि

अनुसूची-1

(आंकड़े रुपए में)

लेखा शीर्ष	ब्यौरे	वर्ष 1989-90 के दौरान लेनदेन संबंधी शेष — डेबिट	क्रेडिट
07-07-01	कारपोरेट कार्यालय के साथ हस्तांतरण लेखा		702,75,44,786.48
07-02-01	लोकतक परियोजना के साथ हस्तान्तरण लेखा		31,631.38
07-03-01	बैरास्यूल के साथ हस्तान्तरण लेखा	1,03,885.11	
07-04-01	कोयलकारो के साथ हस्तान्तरण लेखा	—	45,914.00
07-05-01	दुलहस्ती के साथ हस्तान्तरण लेखा	37,93,844.05	2,01,577.00
07-06-01	चुखा परियोजना के साथ हस्तान्तरण लेखा		20,18,74,261.70
	सलाल के साथ हस्तान्तरण लेखा		
	भारतीय स्टेट बैंक, ज्योतिपुरम और वर्ष के दौरान जारी किए गए चैक	79,77,230.47	
	वर्ष के दौरान एकत्रित खाते में जमा की गई राशियां		
07-12-01	रंगित परियोजना		12,536.50
07-14-01	बम्बई सम्पर्क कार्यालय		10,00,408.77
07-15-01	कलकत्ता सम्पर्क कार्यालय	40.00	
07-17-01	धौलीगंगा		34,231.00
07-23-01	जेपोर तलचर ट्रांसमिशन सिस्टम		1,61,328.15
07-24-01	चमेरा चरण-।		24,09,348.47
07-25-01	टनकपुर जल-विद्युत परियोजना	1,27,08,776.62	
07-26-01	उड़ी जल-विद्युत परियोजना	33,16,12,641.15	
07-27-01	ऊधमपुर ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट	5,78,695.65	
07-28-01	चण्डीगढ़ ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट	2,48,61,797.45	
07-31-01	बगलिहर परियोजना		5,32,574.60
07-33-01	किशनगंगा		1,03,392.90
07-34-01	चमेरा चरण-।।		34,654.50
07-35-01	सावलकोट जल-विद्युत परियोजना	16,18,318.95	
07-39-01	मोगा-भिवानी ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट		9,528.00
07-40-01	सलाल चरण-।।	1,67,73,156.90	
07-41-01	नाथपा झाकड़ी ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट		4,188.75
07-00-01	बोंगईगांव	13,180.00	
07-00-01	उड़ी ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिट	975.00	
		39,99,52,499.35	723,40,00,862.12
		शुद्ध क्रेडिटः	683,40,48,362.77

स्थिर परिसम्पत्तियां

अनुसूचा-2

(आंकड़े रुपए में)

क्र. सं.	ब्यौरे	1.4.89 को सकल ब्लॉक	89-90 के दौरान बढ़त/ समायोजन	सहयोगी यूनिट के लेखा पर बढ़त	1989-90 के दौरान कटौतियां बिक्री	सहयोगी यूनिट को हस्तान्तरण	31.3.90 को सकल ब्लॉक	31.3.90 को सावधिक मूल्य	31.3.90 को शुद्ध ब्लॉक	31.3.89 को शुद्ध ब्लॉक
1.	भूमि (फ्रीहोल्ड)	4,48,22,608	1,03,731	—	—	—	4,59,26,539	—	4,59,26,539	4,58,22,808
2.	भूमि (लीज़ होल्ड)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	भवन	61,79,96,091	13,41,74,617	—	—	—	65,21,70,708	4,79,06,643	60,42,64,065	58,59,81,799
4.	सड़क व पुल	8,90,84,000	9,06,409	—	—	—	8,99,90,409	2,61,52,290	6,38,38,119	6,43,98,866
5.	रेलवे साइडिंग	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पी. एण्ड एम. निर्माण	40,43,32,636	12,25,584	—	5,63,000	1,81,28,613	38,68,66,607	32,08,80,890	6,59,85,717	7,96,62,690
7.	पी. एण्ड एम. उत्पादन	50,94,17,385	72,72,107	—	—	—	51,66,89,492	2,99,27,425	48,67,62,067	49,45,80,291
8.	सब-स्टेशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	हाइड्रोलिक कार्य (कार्यबांध)	332,54,14,620	3,62,68,382	—	—	—	3,36,16,83,002	6,01,79,769	3,30,15,03,663	3,29,54,87,792
10.	गाड़ियां व अन्य	2,28,42,426	—	—	10,51,882	3,73,305	2,14,17,239	1,71,43,517	42,73,722	54,28,356
11.	सुरंग व पैनस्टॉक	113,50,82,110	1,00,05,289	—	—	49,93,308	1,14,00,94,071	4,11,36,687	1,09,89,57,384	1,11,45,49,871
12.	कार्यालय फर्नीचर और फिक्सचर	58,85,743	53,759	—	—	—	59,39,502	21,52,259	37,87,243	40,37,402
13.	ट्रांसमिशन लाइनें	29,84,70,435	31,36,047	—	—	—	30,16,06,482	1,54,32,929	28,61,73,553	29,07,95,477
14.	विविध परिसम्पत्तियां	2,36,485	—	—	—	—	2,36,485	1,58,505	77,980	90,155
		6,45,45,84,739	9,31,45,925	—	16,14,882	2,34,95,246	6,52,26,20,536	56,10,70,514	5,96,15,50,022	5,98,08,36,937
	पिछले वर्ष के आंकड़े	—	6,45,45,84,739	—	—	—	6,45,45,84,739	47,37,47,802	5,98,08,36,937	—

चालू पूँजीगत कार्य

अनुसूची-3

(आंकड़े रुपए में)

क्रम.सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
1.	सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य प्रारम्भिक खर्चे	—	—
2.	भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य (अन्य कार्य हाइड्रोलिक)	1,58,069	—
3.	सड़क और पुल	—	9,25,509
4.	रेलवे साइडिंग		
5.	बराज, बांध, सुरंग और पावर चैनल सहित हाइड्रोलिक कार्य		
6.	पैनस्टॉक		
7.	संयंत्र व मशीनरी		
8.	विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर	11,95,960	—
9.	विविध परिसम्पत्तियां		
10.	ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		
11.	भूमि जो कारपोरेशन की नहीं है, सृजित परिसम्पत्तियों पर खर्च		
12.	**निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च**	—	—
	पिछले वर्ष से लाया गया शेष		
	जोड़ें-वर्ष के लिए बढ़ोत्तरी (अनुबन्ध के अनुसार)	4,28,70,792	75,65,36,280
		4,28,70,792	75,65,36,250
	घटाएं-वर्ष के दौरान पूँजीकृत शुद्ध आई.ई.डी.सी.	4,28,70,792	75,65,36,280
	जो चालू पूँजी कार्यों में जोड़े गए		
		शून्य	—
		13,54,029	. 9,25,509

31.3.1990 के अन्त के लिए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च का विवरण

अनुसूची-3 का अनुबंध

(आंकड़े रुपए में)

ब्यौरे	31.3.1990 को समाप्त वर्ष के लिए	31.3.1989 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारियों का पारिश्रमिक व लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	4,62,01,990	8,12,57,817
भविष्य निधि अंशदान	40,99,809	75,27,348
ग्रेच्युटी अंशदान	—	15,79,140
छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान	46,14,472	—
यात्रा व वाहन	1,295	—
बिजली प्रभारें	—	11,94,285
ऋण पर ब्याज	6,31,092	67,85,20,418
सामग्रियों के लिए समायोजन	—	1,07,49,642
मूल्यह्रास	—	2,69,46,935
अन्य व्यय	—	25,36,188
	—	81,03,11,793
घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियां		
1. बिजली प्रभारें	—	3,75,81,414
2. किराया	—	6,91,114
3. **ब्याज**		
— ऋण व पेशगी पर	—	98,438
— अन्य निवेशों (बॉण्ड) पर	—	—
4. विविध प्राप्तियां व वसूलियां	—	17,63,963
5. विविध कार्य के लिए समायोजन	—	1,36,40,585
शुद्ध जोड़ :	5,55,48,659	75,65,50,280
जोड़ें: कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन खर्च का हिस्सा (अनन्तिम)	9,86,700	—
(घटाएं) पूर्व अवधि समायोजन	1,36,64,567	—
चालू पूँजी कार्य में हस्तान्तरित राशि	4,28,70,792	75,65,36,280

निर्माण भण्डार और पेशगियां

अनुसूची-4

(आंकड़े रुपए में)

क्रम.सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
1.	**निर्माण भण्डार:**		
	(अनुमानित लागत पर प्रबंध वर्ग द्वारा प्रमाणित किए अनुसार)		
	(1) काम में ली जा रही निर्माण सामग्री	1,64,536	—
	(2) भण्डार	15,05,15,867	16,72,77,749
2.	**पूँजीगत खर्च के लिए पेशगियां**		
	(कंसीडर्ड गुड्स)		
	(1) सुरक्षित	95,41,426	1,65,53,756
	(2) असुरक्षित	3,20,59,005	3,32,93,351
	घटाएं- सन्देहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	—	—
	जोड़ :	19,22,80,914	21,71,24,856

कम्पनियों को देय राशि जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है द्वारा देय पेशगी राशियां —शून्य—
पिछले वर्ष —शून्य—

चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियां

अनुसूची-5

(आंकड़े रुपए में)

क्रम.सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
1.	**मालसूचियां (प्रबंधवर्ग द्वारा प्रमाणित किए गए)** (अनुमानित लागत पर)		
	(1) फालतू पुर्जे और स्टोर	1,78,73,937	79,29,348
	(2) गुम हुए औज़ार	—	—
2.	**नकद व बैंक शेष**		
	(1) नकद, अग्रदाय, पोस्टल आर्डर और डाक टिकटें	30,975	18,969
3.	**विभिन्न देनदार (कंसीडर्ड गुड्स)**		
	(1) 6 महीने से ज्यादा अवधि के बकाया ऋण	83,42,09,208	66,24,98,948
	(2) अन्य ऋण	36,87,49,081	—
	(3) घटाएं संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	—	—
4.	**ऋण और पेशगियां**		
	पेशगी नकदी या वस्तु में या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य		
	(1) सुरक्षित (कंसीडर्ड)	—	—
	(2) असुरक्षित कंसीडर्ड	3,69,00,628	1,11,78,114
	(3) असुरक्षित (सन्देहास्पद)		
	कम प्रावधान		
	(4) कर्मचारियों को ऋण (सुरक्षित)	28,34,607	25,67,497
	(5) सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण के पास शेष		
		1,06,05,98,436	68,41,82,876

नोट: कम्पनियों को देय जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, निदेशक या सदस्य है, द्वारा देय पेशगी राशियां — शून्य — ,पिछले वर्ष-शून्य।

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-6

(आंकड़े रुपए में)

क्रम. सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
देयताएं			
1.	फुटकर देनदार	3,28,94,408	3,65,91,766
2.	जमा राशियां/आगतधन ठेकेदारों और अन्यों से	1,24,29,954	2,16,13,288
3.	अन्य देयताएं	1,83,36,920	3,61,62,370
	जोड़:	6,36,61,282	9,43,67,424
व्यवस्थाएं			
	व्यवस्था उन हानियों के लिए जिनकी जांच होनी है।	—	7,02,110
	कुल चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	6,36,61,282	9,50,69,534

विविध आय

अनुसूची-7

(आंकड़े रुपए में)

क्रम. सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
1.	किराया प्रभार-वाहन, संयंत्र तथा मशीनरी	40,55,070	—
2.	अन्य विविध प्राप्तियां और वसूलियां	49,85,119	15,13,944
3.	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	9,95,924	—
		1,00,36,113	15,13,944

कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ

अनुसूची-8

(आंकड़े रुपए में)

क्रम. सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
(क)	वेतन मजदूरी और भत्ते	4,37,54,428	3,58,55,120
(ख)	भविष्य निधि में कम्पनी का अंशदान	37,59,906	29,86,732
(ग)	ग्रेच्युटी फण्ड में अंशदान	7,51,981	—
(घ)	स्टाफ कल्याण खर्चे	22,38,976	11,86,852
(ङ)	अनुगृह राशि (प्रोत्साहन)	36,59,207	—
		5,41,64,498	4,00,28,704

जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा प्रशासनिक खर्चे

अनुसूची-9

(आंकड़े रुपए में)

क्रम. सं.	ब्यौरे	31.3.1990 को	31.3.1989 को
(क)	**जनरेशन और ट्रांसमिशन खर्चे**		
1.	भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों की खपत	37,90,702	99,73,007
2.	**मरम्मत व रख-रखाव**		
	क) भवन	34,92,933	31,00,495
	ख) मशीनरी	10,27,220	17,24,273
	ग) अन्य	19,81,455	35,76,450
3.	आवागमन प्रभारें	—	—
4.	अन्य प्रचालन खर्चे	1,34,17,928	1,43,69,161
	जोड़ "क"	2,37,10,238	3,27,43,386
(ख)	**प्रशासनिक खर्चे**		
5.	किराया	1,25,790	1,24,750
6.	दर व कर	2,57,653	1,76,470
7.	बीमा	1,36,414	36,377
8.	विद्युत प्रभार	1,97,370	1,67,746
9.	यात्रा व वाहन	12,15,436	10,60,472
10.	स्टाफ कारों का खर्च	56,65,760	44,83,239
11.	टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	7,31,719	7,25,758
12.	परामर्शी प्रभारें	4,35,777	3,45,783
13.	विज्ञापन व प्रसार	3,05,833	4,03,104
14.	मनोरंजन खर्चे	13,545	18,886
15.	छपाई व लेखन सामग्री	5;51,608	2,25,776
16.	कारपोरेट कार्यालय प्रबन्धन खर्च	97,99,831	95,84,546
17.	अन्य विविध खर्च	21,45,217	—
18.	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	—	2,33,489
	जोड़ "ख"	2,15,81,953	1,75,86,386
	जोड़ "क"+"ख"	4,52,92,191	5,03,29,772

पूर्व अवधि समायोजन

अनुसूची-10

(आंकड़े रुपयों में)

क्रम. सं.	ब्यौरे	डेबिट	क्रेडिट
1.	मूल्यह्रास		2,91,454
2.	सरकारी ऋणों पर ब्याज		1,03,17,920
3.	ऊर्जा की बिक्री	1,72,41,054	
4.	उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन		5,55,605
5.	जम्मू व कश्मीर को रॉयल्टी	91,172	—
		1,73,32,226	1,11,65,019

शुद्ध डेबिट = 61,67,207.00

लेखा टिप्पणियां:

अनुसूची-11

1. **निम्नलिखित के संबंध में मौजूद फुटकर देयताएं:—**
   (क) कारपोरेशन के खिलाफ दावे के 292.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष 232.04 लाख रुपए) पंचायत न्यायालय मुकदमों के अन्तर्गत ऋण के तौर पर नहीं दिए गए हैं।
   (ख) पूंजीगत कार्यों पर ठेकेदारों को दिए जाने वाली अनुमानित राशि 625.12 लाख रुपए (पिछले वर्ष 710.03 लाख रुपए) हैं।

2. सलाल जल-विद्युत परियोजना भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) की एक परियोजना थी। ऊर्जा मंत्रालय ने अपने दिनांक 9.2.1989 के पत्र संख्या 4/1/78-00 डी.ओ. (एन.एन.पी.सी,) द्वारा सूचित किया गया है कि भारत सरकार ने सलाल जल-विद्युत परियोजना की नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड को स्वामित्व आधार पर पहली नवम्बर, 1987 को हस्तांतरित करने का निर्णय ले लिया है। इस पत्र को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1988-89 के लेखे तैयार किए गए हैं। जिसमें इस परियोजना को नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड को स्वामित्व के आधार के तौर पर माना गया है। कारपोरेशन के पक्ष में स्वामित्व आधार पर हस्तांतरण संबंधी आवश्यक कानूनी दस्तावेज अभी निष्पादित किए जाने हैं।

3. माल सूचियां 31.3.90 को स्टोर मूल्य पर लेज़र में ली गई हैं। लेकिन इनका वर्ष के अन्त में भण्डार रिकार्डों के साथ समाधान नहीं किया गया है हालांकि वर्ष के दौरान मालसूचियों का वास्तविक सत्यापन निरन्तर पद्धति द्वारा किया गया है।

4. कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च के बीच में प्रबंध वर्ग द्वारा तकनीकी अनुमानों के आधार पर नीचे दिए अनुसार विभाजित किए जाते हैं :-

(क)	प्रचालन और रख रखाव की प्रत्यक्ष जांच	1,74,56,987 रुपये
(ख)	पूंजीगत कार्यों की प्रत्यक्ष जांच	75,11,612 रुपये
(ग)	सहायक सेवाएं	4,49,49,489 रुपये
(घ)	शेष कार्य बल	2,55,99,575 रुपये
(ड.)	पिछले वर्ष की मजदूरी का बकाया:	91,50,041 रुपये

(उपर्युक्त राशि की गणना के लिए एक कर्मचारी की एक महीने के औसत वेतन को उपर्युक्त श्रेणियों में यह धन किए गए उन कर्मचारियों की संख्या से गुणा किया गया है)।

   i) (क) और (ख) के खर्च के मामले में क्रमशः राजस्व और पूंजीगत खर्च में प्रत्यक्षः चार्ज किया गया है।
   ii) (ग) के खर्च के मामले में उपर्युक्त (क) और (ख) को राजस्व और पूंजीगत खर्च के बीच अनुपात में विभाजित किया गया है।
   iii) उपर्युक्त (घ और ग) के मामले मे पूंजीगत खर्च प्रत्यक्षः चार्ज किया गया है।

5. परियोजना में संपत्तियों और परिसम्पत्तियों की हानियां आग, उपद्रव, बाढ़, दंगों और भूचाल आदि से क्षति अभी सुनिश्चित की जानी है।

6. स्थिर परिसम्पत्तियों में 6 पैनस्टॉकों की लागत शामिल है जिसकी राशि 44,90,91,774 रुपए है। इसके लिए लागत के 50% पर मूल्य ह्रास दिया जाता है जबकि 31.3.1990 तक केवल तीन पैनस्टॉक उपयोग में लाए गए हैं।

7. लाभ-भोक्ताओं के साथ बिजली की आपूर्ति के लिए करार अभी निष्पादित नहीं किए गए हैं। करार का निष्पादन लंबित होने के कारण बिजली की बिक्री 43.00 पैसे प्रति किलोवाट की दर से अनन्तिम आधार पर हिसाब में ली गई है।

8. परियोजना पर आए निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च और अस्पष्ट खर्च की कुल राशि 31.3.1990 को आने वाली/समंजन लागत के आधार पर भूमि को छोड़कर, स्पष्ट स्थिर अचल परिसम्पत्तियां पर आबंटित की गई है।

9. भूमि की लागत सहित स्थिर परिसम्पत्तियों की राशि 4,58,22,808 रुपए है जिसके राजस्व रिकार्डों के अनुसार जम्मू व कश्मीर द्वारा भारत सरकार की स्वामित्वता दिखाई देती है। जम्मू में 1,03,732 रुपए मूल्य की भूमि का अधिकार परियोजना को नहीं दिया गया है क्योंकि इसके लिह कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

10. सत्यापित बिलों और अन्य सम्बद्ध कागजातों की रसीदें अभी प्राप्त होनी हैं। अतः कुछ किए गए पूंजीगत भण्डारों के लिए कोई प्राबधान नहीं किया गया है।

11. अतिरिक्त निर्माण उपस्करों, जिनके निपटान/हस्तान्तरण की प्रतीक्षा है, के मूल्य पर मूल्यह्रास नहीं है। इसके लिए 126.91 लाख रुपए (शुद्ध ब्लॉक) चार्ज किए गए हैं।

12. पार्टियों के लेखों में शेष पार्टियों से उनके शेषों की पुष्टि की जानी है।

13. **लेखा नीतियां:**

(क) निष्पादित लेकिन आंके गें पूंजीगत कार्यों को कारपोरेशन द्वारा अन्तिम रूप से निरीक्षित तथा स्वीकार्य न होने के कारण देयता, यदि कोई हो, में नहीं दिखाया गया है। काम में ली जा रही सामग्री के लिए देयता कारपोरेशन द्वारा उसी तरह प्राप्ति निरीक्षण और स्वीकार्य होने के समय तक नहीं दी गई है।

(ख) स्थिर परिसम्पत्तियों को ऐसी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर आए मूल्य के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। जहां कहीं वास्तविक खर्च निर्धारित नहीं किया जा सका है वहां उसे अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया है।

(ग) विभिन्न कार्य/स्थलों पर पड़े पूंजी भण्डारों के स्टाक की लागत सीधे निर्माणाधीन कार्य की प्रगति में डाल दी गई है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्षों से सम्बद्ध हुए खर्च या वसूली गयी आय, यदि प्रत्येक मामले मे राशि 5000 रु. वार्षिक किश्तों में बट्टे डाली गयी 'पूर्व अवधि समायोजन'' शीर्षक के अन्तर्गत ही दिखाई गयी है।

(ङ.) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 68 की उपधारा-1 के अधीन जारी अधिसूचना में दी गई दरों पर बिजली उत्पादन/ट्रांसमिशन, संचालन और जनरेटिंग स्टेशनों के रखरखान के लिए प्रयुक्त परिसम्पत्तियों, संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर आदि पर मूल्य ह्रास उस वर्ष से तथा बाद के वर्ष से चार्ज किया जा रहा है जबकि परिसम्पत्तियों को काम में लाया गया है। निर्माण संयंत्र और मशीनरी उपस्कर, यातायात वाहन, कार्यालय उपस्कर, भवन पर मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 (कम्पनी संशोधित अधिनियम 1988 द्वारा प्रारम्भ किए अनुसार) में निर्दिष्ट दरों में सीधी रेखा लाइन पर दिया जाता है।

(रुपए हजारों में)

	1989-90	1988-89
14. **(क) कर्मचारियों पर खर्चः**		
उप कर्मचारियों पर खर्चे, जो यदि वर्ष भर नियुक्त होते तो उन्होंने 72,000/- रुपए प्रतिवर्ष से कम वेतन नहीं लिया होता। वर्ष के किसी अंश के लिए नियुक्त रहे होते तो 6,000 रुपए प्रतिमास से कम नहीं लिया।		
पूरे वर्ष के लिए नियुक्त		
i) कर्मचारियों की संख्या	4	5
ii) वेतन व मजदूरी (रुपए हजारों में)	361	344
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपए हजारों में)	19	8
वर्ष के भाग के लिए नियुक्त कर्मचारी		
i) कर्मचारियों की संख्या	5	2
ii) वेतन व मजदूरी (रुपए हजारों में)	240	188
iii) परिलब्धियों का मूल्य (रुपए हजारों में)	3	6
(ख) विदेशी मुद्रा में प्राप्त खर्चः	1989-90	1988-89
i) जानकारी	शून्य	शून्य
ii) अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
(ग) उपयोग में लाए गए फालतू पुर्जों और उपस्करों का मूल्य		
i) आयातित	—	—
ii) देशी	3791 (100%)	9973 (100%)
(घ) आयातित संयंत्र और मशीनरी व फालतू पुर्जों का मूल्य	शून्य	शून्य
(ङ) लाइसेंस/संस्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन		
(क) लाइसेंस क्षमता	690 मे.वा.	690 मे.वा.
(ख) संस्थापित क्षमता	345 मे.वा.	345 मे.वा.
(ग) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट में)	2321.9 मे.वा.	2148.3 मे.वा.
(घ) मूल्य (रुपए हजारों में)	979983 (2296 मि.यू.)	958454 (2093 मि.यू.)
(ङ) पावर खरीद (मिलियन यूनिटों में)	शून्य	शून्य
(च) पारेषण और पावर की बिक्री (मिलियन यूनिटों में)	2296 मि.यू.	2093 मि.यू.

15. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां तक सम्भव हुआ चालू वर्ष के आंकडों से ठीक से व्यवस्थित कर दिए गए हैं।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

तुलन पत्र

1. **स्थिर पूँजीगत खर्चः**
चालू पूँजीगत कार्यः 12578.56 लाख रुपए।

(क) इसमें 64.27 लाख रुपए ऐसे कार्यों के लिए शामिल हैं जो पूरे कर लिए गए हैं और 1987 में उपयोग में आ रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक पूँजीकृत नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि चालू पूँजीगत कार्यों का तो अतिविवरण (ओवरस्टेटमैंट) हो गया। इन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास नहीं आंका गया है।

(ख) इसमें 127.41 लाख रुपए मूल्य की ऐसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं जो सितम्बर, 1988 में भारी वर्षा से स्थल पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनकी पहचान न होने के कारण बट्टे खाते नहीं डाली गयी हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि चालू पूँजीगत कार्यों में अतिविवरण हो गया और बट्टे खाते या समायोजन न किए जाने की सीमा तक विविध खर्च का अवरविवरण हो गया।

2. **निर्माण भण्डार व पेशगियाँः**
पूँजीगत खर्च (आरक्षित) के लिए पेशगियां — 44757.00 लाख रुपए।

(क) इसमें पहले प्राप्त किए गए उपस्करों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अदा की गई ड्यूटी को दर्शाने वाले 3.82 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पेशगियों में अतिविवरण हुआ है और चालू निर्माण कार्यों/पूँजीगत भण्डारों में इस सीमा तक का अवरविवरण हुआ है।

(ख) इसमें 138.42 लाख रुपए शामिल हैं जो परियोजनाओं के लिए विभिन्न सुविधाएं जुटाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को भुगतान किया गया है। जो कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों का हिस्सा नहीं होगा लेकिन परियोजनाओं द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। इन्हें "परिसम्पत्तियां न दर्शाने वाले पूँजीगत खर्च" में दिखाया जाना चाहिए।

3. **चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और पेशगियाँः** *68806.60 लाख रुपए।*

(क) **ऋण व पेशगियां — 12335.96 लाख रु.**
इसमें 33.07 लाख रुपए ऐसे कार्यों के शामिल हैं जो पूरे करके छोड़ दिए गए थे इन्हें बट्टे खाते डाला जाना चाहिए था। इसका परिणाम यह हुआ है कि ऋण और पेशगियों का अतिविवरण हुआ है। और विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न किए गए की सीमा तक) का अवरविवरण हुआ है।

(ख) उपर्युक्त में पूरे कर लिए गए कार्यों के बदले में विभिन्न सरकारी विभागों को दिए गए 96.08 लाख रुपए शामिल हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि पेशगियों का अतिविवरण और स्थिर परिसम्पत्तियों का इस सीमा तक अवरविवरण हो गया है।

4. **स्थिर परिसम्पत्तियांः**
सकल ब्लॉकः 128605.29 लाख रुपए।

स्थिर परिसम्पत्तियों में 47.06 लाख (सकल) 20.46 लाख रुपए (शुद्ध) की लागत का एक डोज़र शामिल है, जो जनवरी, 1985 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके फालतू पुर्जे निकाल लिए गए थे और भण्डार तथा फालतू पुर्जों के अन्तर्गत 74.15 लाख रुपए लेखें में लिए गए, इसका परिणाम यह हुआ है कि स्थिर परिसम्पत्तियों में 20.46 लाख रुपए (शुद्ध) और मालसूची में 53.69 लाख रुपए तक अतिविवरण हो गया है।

5. **चालू देयताएं और व्यवस्थाएंः**
अनुसूची 8 — 29816.75 लाख रुपए।

इसमें विदेशी सहयोग कर्ताओं की 98.95 लाख रुपए की (तकनीकी जानकारी शुल्क) और रोकी गई शेष अदायगी की 16.63 लाख रुपए की राशि के लिए न की गई व्यवस्था शामिल नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि देयताओं और चालू पूँजीगत कार्य में 115.58 लाख रुपए का अवरविवरण हुआ है।

कंवर नाथ
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के
मुख्य निदेशक और पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

तारीखः 28 सितम्बर, 1990

निदेशकों की रिपोर्ट का
अनुबंध-4

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के तहत अपेक्षित सूचना

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
(क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और उनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष 72,000/- रुपये से कम नहीं था ।						
सर्वश्री						
अब्बे वी.के. प्रबंधक	91,515	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (मैक.) (19 वर्ष)	12.8.81	40	रेज़िडेंट इंजीनियर, वैस्टर्न इंडिया इरैक्टर्स लिमिटेड, पुणे
अग्रवाल ए.बी. उप प्रबंधक	81,280	नियमित	बी.एस.सी. (इंजी.) (मैक.) (12 वर्ष)	6.2.79	32	—
अग्रवाल ए.के. प्रबंधक	96,042	नियमित	बी.ए. (ऑनर्स) पी.जी. डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एण्ड लेबर वैलफेयर (19 वर्ष)	18.12.81	40	वरिष्ठ पी.ए.ओ. सी.सी.आई. लिमिटेड
अग्रवाल ए.आर. मुख्य इंजीनियर	85,279	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (18 वर्ष)	18.6.77	42	सहायक इंजीनियर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
अग्रवाल अमोद कुमार सहायक प्रबंधक	74,376	नियमित	बी. टेक्नी. (सिविल) (8 वर्ष)	12.10.82	31	—
अग्रवाल एस.के. प्रबंधक	93,600	नियमित	बी.टेक. (विद्युत) पी.जी. डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (11 वर्ष)	22.5.79	32	प्रोडेक्सन इंजीनियर विशाल इलैक्ट्रिकल्स मेरठ
अनन्था ए. प्रबंधक	76,252	नियमित	बी.ई. (मैक.) (12 वर्ष)	6.6.77	35	सहायक इंजीनियर, हरियाणा सिंचाई विभाग,
अप्पराव वाई.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	87,905	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई. (हाइड्रो पावर) (12 वर्ष)	1.8.77	44	सहायक इंजीनियर, सी.डब्ल्यू.सी.
अरविंद कुमार सहायक प्रबंधक	76,007	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल),	21.2.89	40	अधिशासी इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
अतलरी हेमलता (श्रीमती) उप प्रबंधक	76,118	नियमित	बी.टेक. (सिविल), डिप्लोमा इन हाइड्रो मैकेनिक्स (14 वर्ष)	19.5.84	38	सहायक कार्यपालक इंजीनियर सेंटर डिजाइन डेसिंग्स इरीगेसन डिपार्ट हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
बहादुर ए.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,04,283	नियमित	एम.एस. इंजीनियर (विद्युत) (15 वर्ष)	2.11.79	41	सहायक इंजीनियर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
बजाज वी.एम. कार्यपालक निदेशक	14,07,707	नियमित	बी.ई. (सिविल) (34 वर्ष)	10.5.79	57	निदेशक (यू.टी.) सी.डब्ल्यू.सी.
बक्शी आर.के. उप प्रबंधक	7,54,59	नियमित	एम.ए., एस.एम.एस. (34 वर्ष)	4.11.78	56	अधीक्षक, भारत के महालेखाकार का कार्यालय
बाल मुकुन्द वरिष्ठ प्रबंधक	1,13,244	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (मैक.) (19 वर्ष)	16.12.78	41	सहायक इंजीनियर ई.आई.एल.
बन्दोपाध्याय एम.आर. प्रमुख	1,28,266	नियमित	एम.एससी. (अपलायड जियोलॉजी) (28 वर्ष)	29.12.80	53	जियोलॉजिस्ट (वरिष्ठ) जी.एस.आई.
बन्दोपाध्याय एस. प्रबंधक (विद्युत)	75,570	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (15 वर्ष)	22.2.82	40	—
बनर्जी पी.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	91,572	नियमित	बी.कॉम., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (28 वर्ष)	10.4.84	52	प्रमुख लेखा सादिक इन्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेडिंग कंपनी यू.ए.ई.
बनर्जी पी.के. प्रबंधक	78,432	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (मैक.) (13 वर्ष)	9.9.77	37	प्रशिक्षणाधीन अधिकारी आई.ओ.सी.
बन्सल एल.आर. उप प्रबंधक	79,305	नियमित	बी.ई. (सिविल) (9 वर्ष)	1.5.81	32	स्थल इंजीनियर मैसर्स ओ.पी. बल्देव किशान, इंजीनियर्स कान्ट्रेक्टर्स
बासु मनोज सहायक प्रबंधक	77,350	नियमित	एम.एससी. (अपलॉयड जियो.) (11 वर्ष)	11.10.82	37	जियोलॉजिस्ट, एस.डब्ल्यू.आर.सी. ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, राजस्थान
बक्सी सुरेश सहायक प्रबंधक	73,913	नियमित	बी.ए. (ऑनर्स), डिप्लोमा इन बिजनैस एम.जी.एम.टी. पी.जी. डिप्लोमा इन पी.एम.आई.आर., (8 वर्ष)	27.1.83	31	—
भगत किशोर उप प्रबंधक	72,818	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.) (21 वर्ष)	24.1.79	42	वरिष्ठ ड्राफ्टमैन, पश्चिमी रेलवे
भल्ला एस.के. प्रबंधक	89,412	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (सिविल) (15 वर्ष)	16.5.77	36	जूनियर इंजीनियर, डी.डी.ए., नई दिल्ली
भल्ला एस.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	92,466	नियमित	बी.ए. (26 वर्ष)	30.11.79	55	अनुसंधान अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता समिति

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक *(रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
भाषरा एस.एस. उप प्रबंधक	77,335	नियमित	ए.एम.आई.ई. (विद्युत) (25 वर्ष)	13.8.77	55	प्रोजैक्ट इंजीनियर, बी.एस.एल. प्रोजेक्ट
भारद्वाज एस.आर. प्रमुख (जन सम्पर्क)	1,10,938	नियमित	एम.ए. (अंग्रेजी), डिप्लोमा इन जॉर्नलिज़्म डिप्लोमा इन मार्किटिंग एण्ड सेल्स मैनेजमेंट (29 वर्ष)	11.9.81	47	जन संपर्क अधिकारी, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
भार्गव अशोक उप प्रबंधक	1,10,859	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (8 वर्ष)	15.2.82	30	—
भार्गव डी.पी. उप प्रबंधक	76,120	नियमित	बी.ई (विद्युत) (11 वर्ष)	20.2.89	33	—
भटनागर अमोद उप प्रबंधक	73,797	नियमित	आई.एस.सी. (27 वर्ष)	23.7.76	48	आशुलिपिक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
भट्टाचार्जी पी. उप प्रबंधक	72,084	नियमित	एम.एससी., एम.बी.ए. (14 वर्ष)	12.3.85	42	वरि. कार्मिक अधिकारी, बी.एच.ई.एल.
भट्टाचार्जी जे. प्रबंधक	82,694	नियमित	बी. एससी., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए., एस.ए.एस., (35 वर्ष)	24.1.80	54	लेखा अधिकारी, आई.एफ.सी.. मणिपुर-सरकार
भूगरा आर.एल. सहायक प्रबंधक	77,697	नियमित	बी.ए., एस.ए.एस. (33 वर्ष)	10.6.77	58	लेखाकार रेल मंत्रालय
बिष्ट बी.एस. उप प्रबंधक	71,201	नियमित	बी.ई. (सिवल) (14 वर्ष)	16.5.77	35	इंजीनियर (सिविल) एच.सी.सी. लिमिटेड, बम्बई
बृजेश कुमार वरिष्ठ प्रबंधक	92,811	नियमित	एम.ए. (पोल. एस.सी.), बी.एल.एम.ए. (एल.एस.डब्ल्यू.), (24 वर्ष)	12.7.78	51	कार्मिक अधिकारी बोकारो स्टील लिमिटेड
चड्ढा के.सी. उप प्रबंधक	77,773	नियमित	बी.एससी. (इंजीनियर), (विद्युत) (31 वर्ष)	5.8.77	38	पर्यवेक्षक सी.ई.ए.
चड्ढा आर.के. (डॉ.) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	88,273	नियमित	एम्.बी.बी.एस. (22 वर्ष)	9.9.80	44	स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार
चक्रवर्ती डी. प्रबंधक	85,597	नियमित	एम.कॉम., ए.आई.सी.डब्ल्यू.ए. (19 वर्ष)	9.6.78	53	वरिष्ठ लेखाकार मैसर्स एम.एम.डी.सी. लिमिटेड बाचलि (मध्य प्रदेश)
चन्द्रशेखरन ए. वरिष्ठ प्रबंधक	1,03,474	नियमित	बी.ई. (सिविल) (20 वर्ष)	20.11.78	45	सहायक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी., मद्रास
चन्दोक विमल प्रबंधक	1,12,181	बी.एस.एफ. (जम्मू) से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ए. (27 वर्ष)	19.11.87	46	उप कमाडेन्ट बी.एस.एफ.
चन्द्रशेखरन एस. प्रबंधक	99,827	नियमित	बी.एससी. (स्टेट) सी.ए., साहित्य रत्न हिन्दी	29.2.88	38	—
चौधरी एन.के. प्रबंधक	84,627	नियमित	सी.ई. (आई.,) एम.आई.ई., एल.एल.बी., (20 वर्ष)	15.7.81	43	आर.ई., एन.बी.सी.सी.
छोकर विनय उप प्रबंधक	73,038	नियमित	बी.ई. (सिविल) (8 वर्ष)	26.2.82	30	—
चौहान आई.सी. एल.ए.ओ.	82,297	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ए. (13 वर्ष)	23.4.82	56	एस.डी.एम. के चम्बा मुख्य लेखाकार
चौहान मेज., एस.एस. वरिष्ठ प्रबंधक	90,169	नियमित	सिविल इंजीनियर में डिग्री (वर्ष)	19.3.79	46	भारतीय सेना में मेजर
चौधरी बी.के. प्रबंधक	75,620	नियमित	बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	18.11.81	43	कार्यपालक इंजीनियर, सी.पी.डब्ल्यू.डी., भारत सरकार
देवरारी बी.डी. प्रबंधक	83,937	नियमित	एम.ए. (16 वर्ष)	23.5.81	52	उप प्रबंधक (प्रोक्यो.) डी.एस.आई.डी.सी.
द्विवेदी एम.जी. वरिष्ठ प्रबंधक	99,607	नियमित	एम.ई. (विद्युत) (18 वर्ष)	13.3.78	44	सहायक इंजीनियर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
धांडेचा बी.वी. उप प्रबंधक	76,114	नियमित	बी.ई. (मैक.) (11 वर्ष)	22.2.79	37	—
धर एस.के. मुख्य इंजीनियर	1,01,024	नियमित	एम.एससी. (टेक.) (विद्युत इंजीनियर) (पावर सिस्टम) (22 वर्ष)	15.5.78	58	कार्यपालक इंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी. जम्मू व कश्मीर
दयासीलन डी.डी. प्रबंधक	80,756	नियमित	बी.कॉम. सी.ए. (14 वर्ष)	19.11.86	41	वरिष्ठ लेखा अधिकारी, मॉर्डन फूड इन्डस्ट्रीज
ढिल्लों एच.एस. प्रबंधक	88,632	नियमित	सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, ए.एम.आई.ई. (29 वर्ष)	23.5.81	50	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
डूडेजा एस.के. वरिष्ठ प्रबंधक	90,925	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.), ए.एम.ए.सी.एस.आई., (21 वर्ष)	12.10.78	41	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, सीमा सड़क संगठन

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
गंगोपाध्याय ए.के. मुख्य इंजीनियर	1,16,303	नियमित	बी.ई. (सिविल) (24 वर्ष)	10.9.81	44	कार्यपालक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी., गोवा दमन और दियू सरकार पणजी
गर्ग एच.आर. प्रबंधक	82,737	नियमित	ए.एम.आई.ई. (सिविल), (25 वर्ष)	1.3.77	48	पंजाब सिंचाई विभाग में अनुभाग अधिकारी
गर्ग एम.पी. प्रबंधक	1,06,947	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल), (23 वर्ष)	24.9.85	45	स्थानापन्न अधीक्षक इंजीनियर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
गौतम पी.एस. उप प्रबंधक	81,788	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर, (विद्युत) (20 वर्ष)	7.8.77	47	पारी इंजीनियर, बी.एस.एल. प्रोजेक्ट
घनश्याम दास निदेशक (वित्त)	1,26,035	सरकारी नियुक्ति	बी.कॉम., आई.ए. एण्ड ए.एस., (31 वर्ष)	31.7.87	57	अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त) बी.एच.ई.ऐल.
ज्ञानचांदनी एम.एल. विशेष निजी सचिव	81,584	नियमित	बी.ए. (29 वर्ष)	1.6.79	46	ऊर्जा मंत्रालय विद्युत विभाग में आशुलिपिक
गोयला वाई.एस. उप प्रबंधक	79,000	नियमित	बी.एसी., इंजीनियर (विद्युत), (23 वर्ष)	1.1.77	41	—
गोथरा जी.एस.मेज. मुख्य इंजीनियर	1,05,662	नियमित	सिविल इंजीनियर में डिग्री, एल.एल.बी., (26 वर्ष)	12.3.79	53	भारतीय सेना में मेजर
गोयल पी.पी. कार्यपालक सहायक	83,748	नियमित	मैट्रिक, (36 वर्ष)	23.5.80	52	सी.डब्ल्यू.सी. एण्ड पी.सी. में निजी सहायक
गोयल टी.के. प्रबंधक	85,079	नियमित	बी.ई. (मैक.), ए.एम.आई.ई. (सिविल) (22 वर्ष)	22.4.81	45	पारी इंजीनियर ब्याज परियोजना तलवाड़ा
गुलाटी विनोद प्रमुख	1,28,647	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.) (23 वर्ष)	1.3.80	43	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता ए.के. प्रबंधक	83,936	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (मैक.) (13 वर्ष)	24.11.77	34	अप्रिन्टीस (इंड. इंजी.), हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लि.
गुप्ता ए.के. उप प्रबंधक	79,919	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (मैक.) (13 वर्ष)	24.11.77	34	अप्रेन्टिस (आई.ई.), हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लिमिटेड
गुप्ता जी.सी. (डॉ.) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	90,496	नियमित	एम.बी.बी.एस. (20 वर्ष)	24.4.81	43	भारतीय सेना में मेजर
गुप्ता एच.आर. सहायक प्रबंधक	94,025	नियमित	बी.कॉम., एल.एल.बी., (36 वर्ष)	7.5.81	58	ए.जी. का कार्यालय, शिमला अनुभाग अधिकारी
गुप्ता जे.पी. प्रबंधक	92,573	नियमित	एम.ए.पी.एच.डी., प्रभाकर (हिन्दी में ऑनर्स) (37 वर्ष)	15.11.78	57	सहायक शिक्षा अधिकारी केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
गुप्ता एम.एल. मुख्य इंजीनियर	1,33,065	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (मैक.) (23 वर्ष)	29.4.80	45	उप प्रबंधक, बी.एच.ई.एल.
गुप्ता पी.के. प्रबंधक	83,338	नियमित	बी.ई. (सिविल) (10 वर्ष)	22.5.79	33	—
गुप्ता आर.सी. प्रबंधक	77,475	नियमित	बी.ई. (मैक.) (22 वर्ष)	10.8.77	46	कार्यपालक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी. जम्मू व कश्मीर
गुप्ता आर.के. उप प्रबंधक	74,851	नियमित	बी.ई. (सिविल) (10 वर्ष)	22.5.79	33	—
गुप्ता टी.सी. उप प्रबंधक	85,583	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (मैक.) (20 वर्ष)	15.5.78	40	तकनीकी अधिकारी, भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय
गुप्ता वी.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,07,170	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (25 वर्ष)	10.5.78	46	उप निदेशक, सी.एच.ई.पी.सी. बोर्ड
गुप्ता वी.के. उप प्रबंधक	77,009	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (विद्युत) (17 वर्ष)	30.1.81	42	इंजीनियर, एस.ए.ई. इंडिया (लि.)
गुप्ता वी.पी. उप प्रबंधक	88,158	नियमित	बी.ई. (सिविल) (16 वर्ष)	18.12.87	39	ए.ई.ई., हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड
हब्बू पी.जी. उप प्रबंधक	76,524	नियमित	बी.ई. (सिविल) (11 वर्ष)	16.6.84	34	इंजीनियर (सिविल), कर्नाटका पावर कारपोरेशन लि.
हाई एम.ए. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	1,67,263	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (मैक.), एफ.आई.आई. **पी.एम.** (34 वर्ष)	10.3.89	55	निदेशक (तक.), एन.टी.पी.सी.
हान्डा एम.के. प्रबंधक	75,041	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर, (सिविल) (14 वर्ष)	30.12.81	34	सहायक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी., हि.प्र.
हाशिया एम.एल. वरिष्ठ प्रबंधक	93,353	नियमित	बी.ई. (सिविल) (30 वर्ष)	23.7.81	53	कार्यपालक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी., जम्मू व कश्मीर
हेगड़े यू.वी. उप प्रबंधक	82,429	नियमित	एम.एससी. (जियोलॉजिकल) (10 वर्ष)	8.2.80	34	—
अय्यर एस.जी. प्रबंधक	78,975	नियमित	डिप्लोमा इन पी.एम. एंड आई.आर. (23 वर्ष)	22.12.81	43	प्रशासन अधिकारी, एन.बी.सी.सी.

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
जग्गी ए.एल. मुख्य इंजीनियर	1,39,936	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (विद्युत)	20.01.78	50	अधीक्षक इंजीनियर, बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना
जैन ए.के. प्रमुख	1,36,606	नियमित	बी.कॉम. एसीए (21 वर्ष)	28.11.78	44	उप लेखा प्रबंधक, इफ्को नई दिल्ली
जैन एन.सी. प्रबंधक	83,291	नियमित	बी.ई. (सिविल) (23 वर्ष)	25.09.79	48	एसडीओ और एडीई, राजस्थान सरकार का सिंचाई विभाग
जैन पी.के. प्रबंधक	82,811	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) पीजी डिप्लोमा इन बिजनिस मैनेजमेन्ट और इन्डस्ट्रीज़ एडमिनिस्ट्रेशन (16 वर्ष)	26.04.77	40	तकनीकी सहायक, केन्द्रीय सिंचाई व विद्युत बोर्ड
जैन टी.सी. महा प्रबंधक	1,46,617	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (34 वर्ष)	15.01.77	57	उप निदेशक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
जैन वी.के. प्रबंधक	95,356	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (16 वर्ष)	01.08.77	39	अनुभाग अधिकारी, सी.ई.ए.
जामवाल एस.एस. वरिष्ठ प्रबंधक	83,650	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (21 वर्ष)	09.12.75	44	सहायक इंजीनियर, पी.डी.डी., जम्मू व कश्मीर
जोगिन्दर सिंह वरि. प्रबंधक	84,698	नियमित	बी.ए., एलएलबी. एमएसडब्ल्यू (19 वर्ष)	10.05.78	44	का. व श्रम कल्याण अधिकारी, पंजाब स्कूटर लि. पटियाला
जोहल आर.सी. इंजीनियर	83,821	नियमित	मैक. इंजी. में डिप्लोमा (14 वर्ष)	01.01.77	36	पर्यवेधक लोकतकजल विद्युत परियोजना
जोस पी.सी. वरि. प्रबंधक	93,759	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (मैक.) (18 वर्ष)	24.12.79	43	अतिरिक्त सहायक निदेशक सीडब्ल्यूसी
जोशी एल.डी. प्रबंधक	73,929	नियमित	एम.ए., एसएएस (35 वर्ष)	12.03.79	57	अनुभाग अधिकारी ए.जी. कार्यालय हि.प्र.
कलसी जे.एस. उप प्रबंधक	80,612	नियमित	डिप्लोमा इन सिविल इंजी., बी.ए. (33 वर्ष)	26.12.78	56	कार्यपालक इंजीनियर हि.प्र.रा.वि. बोर्ड
कंजलिया वी.के. वरि. प्रबंधक	1,08,088	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत), एम.एससी. इंजी. (20 वर्ष)	08.05.79	44	सहायक कार्यपालक इंजीनियर पं.रा.वि.बोर्ड
कंवर बी.एस. मुख्य इंजीनियर	1,03,319	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (27 वर्ष)	26.06.81	48	कार्यपालक इंजीनियर हि.प्र.रा.वि. बोर्ड
कपिल ए.के. प्रबंधक	97,057	नियमित	एएमआईई (सी), डिप्लोमा इन सिविल इंजी. (28 वर्ष)	10.07.81	47	सहायक प्रबंधक हि.प्र.रा.वि. बोर्ड
कपूर के.के. विशेष निजी सचिव	86,915	नियमित	बी.ए. (32 वर्ष)	01.06.79	50	निजि सहायक ऊर्जा मंत्रालय वि.वि.
कपूर जी.के. उप प्रबंधक	76,992	नियमित	बी.ए. एसएएस (32 वर्ष)	20.04.78	56	अनुभाग अधिकारी एजीसीआर का कार्यालय
कपूर एस.के. प्रबंधक	78,960	नियमित	बी.ए. एलएलएम, पीजी डिप्लोमा इन पीएम एण्ड आईआर (25 वर्ष)	19.02.77	50	सहायक, रेल मंत्रालय
कपूर वी.के. प्रबंधक	86,320	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल), पीजी डिप्लोमा इन हाइड्रोपावर (13 वर्ष)	16.05.77	35	जूनियर इंजीनियर, डीडीए नई दिल्ली
कपूर वी.के. वरि. प्रबंधक	98,275	नियमित	एम.टेक. (सिविल) (19 वर्ष)	07.11.78	44	सहायक कार्यपालक इंजीनियर, हिन्दुस्तान प्रीफेबस लि.
करकुन दिलीप उप प्रबंधक	77,486	नियमित	बी.ई. (सिविल) (18 वर्ष)	25.07.84	40	कार्यपालक इंजीनियर, एनपीसीसी लि.
कौशल पी.के. उप प्रबंधक	78,745	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (14 वर्ष)	07.02.83	41	सहायक इंजीनियर पं.रा.वि. बोर्ड
खन्ना एम.एन. वरि. प्रबंधक	7,198	नियमित	बी.ई. (मैक.) (21 वर्ष)	27.03.79	43	एईई सीमा सड़क विकास बोर्ड
खर पी.एन. महाप्रबंधक	1,15,531	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई., एम.आई.ई., एमआईएएचआर (34 वर्ष)	15.05.78	54	अधीक्षण इंजीनियर, सलाल ज.वि. परियोजना, भारत सरकार
खरबन्दा वी.के. उप प्रबंधक	72,281	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (16 वर्ष)	30.05.81	39	तकनीकी सहायक सीईए
खजांजी आर.एन. वरि. प्रबंधक	1,66,628	नियमित	बी.ई. (सिविल) (25 वर्ष)	03.09.83	48	कार्यपालक इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू व कश्मीर
खस्तगिर एस. उप प्रबंधक	72,720	नियमित	बी.ई (मैक.) (11 वर्ष)	08.02.80	33	प्रशिक्षणणधीन इंजीनियर वाई. दुनकर्लि एण्ड कं.
खुंगर जे.एन. मुख्य इंजीनियर	1,18,229	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (29 वर्ष)	06.08.77	50	कार्यपालक इंजीनियर, व्यास परियोजना
किशोर कुमार उप प्रबंधक	75,579	नियमित	बी.एससी. इंजी. (मैक.) (7 वर्ष)	12.04.82	30	—

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
कोछड़ जे.एन. प्रमुख	1,21,372	नियमित	बी.ए. (30 वर्ष)	10.08.81	54	सिविलियन अधिकारी ग्रेड-1 डीजी सीमा रोड
कोहली ललित उप प्रबंधक	71,573	नियमित	बी.एससी. पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेन्ट (14 वर्ष)	29.12.81	36	बिक्री अधिकारी उ.प्र. वन निगम
कोतवाल एस.एल. वरि. प्रबंधक	97,836	नियमित	बी.ई. (सिविल) (25 वर्ष)	15.05.78	48	कार्यपाल इंजीनियर, सलाल ज.वि. परियोजना
कृष्णमोहन वरि. प्रबंधक	99,429	नियमित	बी.ए. (लेबर एण्ड सोशल वेल्फेयर) (26 वर्ष)	04.06.78	52	उप प्रबंधक (का.) भारत कुकिंग कोल. लि.
कृष्णमूर्ति एम. मुख्य इंजीनियर	1,15 524	नियमित	बी.ई. (विद्युत) सीनियर डि. इन जर्मन, डि. इन रशियन (25 वर्ष)	29.06.81	49	उप प्रबंधक एनटीपीसी
कुमार एस.के. प्रबंधक	91,486	नियमित	बी.एससी. इंजी. (मैक.) (20 वर्ष)	04.08.77	45	पारी इंजीनियर बीएसएल परियोजना
लाल आर.पी. प्रबंधक	86,141	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (21 वर्ष)	30.11.81	44	एईई, उ.प्र.रा.वि.बो.
ललिथा ओ.आर. प्रबंधक	82,149	नियमित	बी.ई. (सिविल) (18 वर्ष)	02.06.80	42	सहायक इंजीनियर सीडब्ल्यूसी
मदान एम.एम. प्रबंधक	97,568	नियमित	बी.टेक. (सिविल) (13 वर्ष)	18.05.77	35	सहायक इंजीनियर एम.एन. दास एण्ड कं. लि. बम्बई
मदनपोत्रा सी.एल. विशेष निजी सचिव	73,465	नियमित	बी.ए. (26 वर्ष)	24.05.77	46	निजी सहायक सी.ई.ए.
महाजन बी.के. प्रबंधक	89,525	हि.प्र.रा.वि.बो. से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (21 वर्ष)	01.06.87	44	अधिक्षक हि.प्र.रा.वि. बोर्ड
महाजन जी.के. मुख्य इंजीनियर	1,28,255	हि.प्र.रा.वि.बो. से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (27 वर्ष)	22.04.87	51	अधीक्षक इंजीनियर हि.प्र.रा.वि. बोर्ड
महाजन आर.के. उप प्रबंधक	81,316	नियमित	डि. इन सिविल इंजी (29 वर्ष)	22.09.79	58	एस.डी.ओ., बी.एस.एल. परियोजना
मजुमदार ए. वरि. प्रबंधक	81,857	नियमित	बी.एससी. एसआरएएस (25 वर्ष)	31.08.81	52	अनुभाग अधिकारी लेखा परीक्षा रेलवे का निदेशालय
मलहोत्रा एस.पी. प्रबंधक	91,225	नियमित	बी.ए (ऑनर्स) (34 वर्ष)	30.04.77	54	निजी सचिव, ऊर्जा मंत्रालय
मल्होत्रा वी.एस. प्रबंधक	92,795	हि.प्र.रा.वि.बो. से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (विद्युत) (25 वर्ष)	30.04.87	48	कार्यपालक हि.प्र.रा. विद्युत बोर्ड
मन्डल आर.पी. मुख्य इंजीनियर	89,214	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (27 वर्ष)	16.11.89	50	कार्यपालक सीमा रोड़ विकास बोर्ड
मंडप्पा बी.एम. महा प्रबंधक	1,64,081	नियमित	बी.ई (सिविल), एम.आईस्ट्रक इंजी, (लंदन) एफआईई (33 वर्ष)	01.01.81	57	अधीक्षक (डिजाइन) सेल (बोकारो स्टील प्लांट)
मनिअप्पन टी.पी. प्रबंधक	87,662	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल), एआईएमए, डि. इन मैनेजमेंट (22 वर्ष)	22.10.81	46	सहायक इंजीनियर, गोवा दमन व द्वियू सरकार
माथुर जी.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	1,10,089	नियमित	एएमआईई (विद्युत) (23 वर्ष).	7.4.78	47	सहायक इंजी., राज. रा. वि. बोर्ड
माथुर आर.बी. उप प्रबंधक	73,400	नियमित	बी.ई. (वि.) (17 वर्ष)	19.3.79	38	पर्यवेक्षक, सलाल ज. वि. परि. ऊर्जा मंत्रालय
मिना आर.एस. उप प्रबंधक	89,730	नियमित	बी.ई. (वि.) (9 वर्ष)	1.5.81	33	—
मिश्रा यू.सी. वरिष्ठ प्रबंधक	86,792	नियमित	बी.ई. (वि.) (17 वर्ष)	1.1.78	40	सहायक इंजी., उ.प्र. रा. वि. बोर्ड
मिश्रा ए.के. उप प्रबंधक	82,708	नियमित	बी.ई. (सिविल) (17 वर्ष)	20.2.79	34	—
मिश्रा आर.एन. उप प्रबंधक	76,259	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (10 वर्ष)	21.6.79	32	—
मिश्रा एस.बी.सी. वरिष्ठ प्रबंधक	1,10,510	नियमित	बी.ई. (वि.) (17 वर्ष)	4.5.77	43	सहायक इंजी., उ.प्र. रा. वि. बोर्ड
मित्रा श्यामल उप प्रबंधक	76,753	नियमित	बी.टैक. (सिविल) (8 वर्ष)	1.5.81	33	—
मित्तल ए.के. उप प्रबंधक	74,015	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (वि.) (14 वर्ष)	16.5.77	37	पर्यवेक्षक, बैरास्यूल परि., (हि.प्र.)
मित्तल एस.के. मुख्य इंजी.	1,29,122	नियमित	बी.ई. (वि.) (30 वर्ष)	25.6.78	54	कार्यपालक इंजीनियर, उ.प्र. रा. विद्युत बोर्ड
मोंगा एच.पी. उप प्रबंधक	81,595	नियमित	बी.ए., एसएएस (31 वर्ष)	19.8.81	53	अनुभाग अधिकारी, ए.जी. कार्यालय, हि.प्र.

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
मुखर्जी के. प्रमुख	1,58,969	नियमित	एफआईसीडब्ल्यूए (33 वर्ष)	25.1.79	54	सहायक वित्त प्रबंधक, एफसीआई (पीएण्डडी खंड), सिंदरी
मुरारी लाल वरिष्ठ प्रबंधक	1,06,526	नियमित	बी.ई. (सिविल), एफआईई (27 वर्ष)	22.10.81	49	कार्यपालक इंजी., आई.डी.पी.एल.
नागराज के.एस. प्रबंधक	85,753	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.टैक. (वाटर रिसो. इंजी.) (12 वर्ष)	16.5.77	35	—
नागभूषन के.एम. मुख्य इंजीनियर	1,15,319	नियमित	बी.ई. (सिविल) (34 वर्ष)	31.3.80	56	उप निदेशक, सी.डब्ल्यू.सी.
नागराज एच.आर. मुख्य इंजीनियर	1,41,549	नियमित	एएमआईई (सिविल) (33 वर्ष)	19.9.83	57	क्षेत्रीय प्रबंधक, एन.पी.सी.सी. लि.
नायडू बी.एस.के. मुख्य इंजीनियर	1,22,429	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स), मैक. एम.टेक. (हाइडल), एमआईएएचआर, एफआईई (20 वर्ष)	28.2.82	44	प्रबंधक, बीएचईएल
नायर वी.पी.एम. उप प्रबंधक	74,428	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (वि.), एम.टेक. (पावर एप. सिस्टमस) (8 वर्ष)	24.7.81	34	जूनियर इंजीनियर, ज्योति लि., बड़ौदा
नन्द गोपाल मुख्य इंजीनियर	1,47,722	नियमित	बी.ई. (सिविल), एम.ई. (स्ट्रक्चर्स) (23 वर्ष)	3.4.80	48	उप प्रबंधक, टीएसपी लि., तुंगभद्रा बाँध
नारंग डी.आर. सहायक प्रबंधक	83,380	नियमित	एम.ए., एसएएस (33 वर्ष)	11.2.77	53	एकाउन्टेंट, रेल मंत्रालय
नरेन्द्र कुमार सहायक प्रबंधक	83,185	नियमित	बी.ई. (सिविल) (7 वर्ष)	13.10.82	31	—
नाथ दिग्विजय सिंह उप प्रबंधक	90,754	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (वि.) (13 वर्ष)	4.2.83	38	सहायक इंजी., उ.प्र. रा. वि. बोर्ड
नीमा एस.के. प्रबंधक	85,783	नियमित	बी.ई. (वि.), डि. इन बिजनेस मने. (18 वर्ष)	16.7.84	45	सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.
ओझा आर.एन. प्रबंधक	74,780	नियमित	बी.ए. (23 वर्ष)	13.7.78	46	कल्याण अधिकारी, ब्रिटानिया इंजी. वकर्स, पटना
पांडेय यू.डी. उप प्रबंधक	74,015	नियमित	बी.ए., डि. इन ले लॉज एण्ड ले. वेलफेयर एण्ड पर्स. मैनेजमेंट (31 वर्ष)	6.5.81	50	कार्यालय अधीक्षक, बाल्को
पोपली के.एस. सहायक प्रबंधक	76,766	नियमित	बी.एससी., इंजी. (वि.) (7 वर्ष)	13.10.82	29	—
प्रभाकरण आर.डी. वरिष्ठ प्रबंधक	96,864	नियमित	एम.एससी. (इंजी. वि.) (19 वर्ष)	31.3.79	42	सहायक कार्यपालक इंजी., उ.प्र. रा. वि. बोर्ड
प्रहलाद सी.डी. उप प्रबंधक.	76,530	नियमित	बी.ई. (वि.) (13 वर्ष)	1.1.77	40	पर्यवेक्षक, सी.ई.ए.
प्रसाद जी.एम. उप प्रबंधक	90,365	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (16 वर्ष)	7.9.79	38	सहायक इंजीनियर, बि. रा. वि. बोर्ड
प्रसाद वी.बी. वरिष्ठ प्रबंधक	1,15,611	नियमित	बी.एससी., बी.टेक. (वि.) (24 वर्ष)	11.4.81	46	कार्यपाल इंजीनियर, यूपीएससी
प्रसादा राव पी.डी. मुख्य इंजीनियर	1,15,239	नियमित	बी.ई. (ऑनर्स) (सिविल) (26 वर्ष)	23.6.80	50	उप निदेशक, सी.डब्ल्यू.सी.
प्रसाद वाई. मुख्य इंजीनियर	1,82,026	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (21 वर्ष)	10.5.78	44	वरि. इंजीनियर, बिहार रा. वि. बोर्ड
पुरोहित डी.सी. मुख्य इंजीनियर	1,11,305	नियमित	एम.ई. (वि.) (20 वर्ष)	18.2.83	41	परियोजना इंजीनियर, ईपीआई, नई दिल्ली
रघु प्राथि सहायक प्रबंधक	75,531	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (13 वर्ष)	10.9.82	37	एईई, आं.प्र. रा. वि. बोर्ड
रैना वाई.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,03,254	नियमित	बी.ई. (सिविल) (28 वर्ष)	31.12.79	51	कार्यपालक इंजीनियर, पी.डब्ल्यू.डी., जम्मू व कश्मीर
राज कुमार प्रबंधक	77,346	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (13 वर्ष)	4.3.83	35	सहायक इंजी., उ.प्र. रा. वि. बोर्ड
राम दास लेखा अधिकारी	78,360	नियमित	बी.कॉम., सीए (इन्टर) (22 वर्ष)	18.10.78	45	—
राम प्रकाश सहायक प्रबंधक	77,916	नियमित	बी.टेक., (सिविल) (6 वर्ष)	17.1.83	28	—
राम राव के. प्रबंधक	79,236	नियमित	बी.ई. (सिविल) (18 वर्ष)	13.3.80	44	अतिरिक्त सहायक, निदेशक सी.डब्ल्यू.सी.
रामन एन.वी. कम्पनी सचिव व प्रमुख (विधि)	1,38,783	नियमित	बी.ए., एलएलबी, जीडीसीएस, एसीएस, आईसीडब्ल्यूए (इन्टर), डिप इन लॉब. लॉवस. (33 वर्ष)	15.12.78	52	उप कम्पनी सचिव, इंजीनियर्स इंडिया लि.

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
रामन टी.वाई. प्रबंधक	87,188	नियमित	बी.ई. (सिविल) (18 वर्ष)	26.3.80	41	अतिरिक्त सहायक निदेशक, सी.डब्ल्यू.सी.
रामन एस. उप प्रबंधक	75,134	नियमित	बी.ई. (सिविल) (15 वर्ष)	27.6.84	40	इंजी., केपीसी लि.
रमेश चन्द्र प्रबंधक	97,901	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (18 वर्ष)	16.10.78	41	सहयक इंजी., उ.प्र. सिंचाई विभाग
राममूर्ति ए.आर. प्रमुख	1,00,617	नियमित	बी.ए., एआईसीडब्ल्यूए, एसीएस (36 वर्ष)	11.8.78	53	वरि. सहायक प्रबंधक, एफ.सी.आई.
राव पी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,21,056	नियमित	एएमआईई (30 वर्ष)	12.3.81	51	भारत सरकार के पुर्नवास विभाग में प्रभागीय इंजीनियर
रस्तोगी वी.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	1,08,831	नियमित	एएमआईई, डिप. इन इन्ड. एडमिन. (32 वर्ष)	9.6.81	50	वरिष्ठ बिक्री प्रबंधक, त्रिवेनी स्ट्रक्ट. लि.
रवी डी. उप प्रबंधक	82,934	नियमित	बी.ई. (वि.) (9 वर्ष)	1.5.81	31	सर्विस इंजीनियर, पावर सेंटर (पी.) लि., मद्रास
रविन्द्र कुमार उप प्रबंधक	75,667	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (12 वर्ष)	30.12.81	34	सहायक निदेशक, आई.एस.आई.
रे डी.के. उप प्रबंधक	81,724	नियमित	बी.एससी. इंजी. (मैक.) (10 वर्ष)	14.4.80	36	—
रोबर्टसन जे.एच. वरिष्ठ प्रबंधक	88,771	नियमित	बी.ई. (मैक.) (20 वर्ष)	11.10.78	44	एईई, तमिलनाडू इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
रोहतगी ए.के. उप प्रबंधक	75,204	नियमित	बी.ई. (वि.) (8 वर्ष)	22.5.79	31	—
राय एस. उप प्रबंधक	73,208	नियमित	बी.ई. (सिविल) (13 वर्ष)	27.9.82	39	—
राय एस.के. सहायक प्रबंधक	76,878	नियमित	बी.ई. (वि.) (8 वर्ष)	15.10.82	31	—
रूस्तगी बी.एम. प्रबंधक	73,197	नियमित	बी.कॉम. (ऑनर्स), आई.सी.डब्ल्यू.ए. (17 वर्ष)	5.9.88	39	प्रबंधक, पी.ई.एफ.ए./स्कोप
सचदेवा एस.के. कार्यपालक ड्राफ्टमैन	77,731	नियमित	डिप्लोमा इन ड्राफ्टसमैनशिप (25 वर्ष)	19.2.77	47	—
सचदेवा एच.एस. वरिष्ठ प्रबंधक	97,928	नियमित	बी.ए. (39 वर्ष)	19.9.79	58	निजी सचिव, राज्य ऊर्जा मंत्री
शाह सन्दीप उप प्रबंधक	73,569	नियमित	बी.ई. (सिविल) (20 वर्ष)	8.10.82	44	कार्यपालक इंजीनियर, सी.डब्ल्यू.सी.
सामन्त जे.एस. उप प्रबंधक	72,232	नियमित	बी.टेक. (सिविल) (10 वर्ष)	22.5.79	35	—
सपरा आई.जे.एल. उप प्रबंधक	79,929	नियमित	बी.ए. (31 वर्ष)	10.9.79	55	अधीक्षक, व्यास कंस्ट्र. बोर्ड
सराफ बी.आर. उप प्रबंधक	77,709	नियमित	बी.ई. (सिविल) (10 वर्ष)	10.9.79	32	—
सरवाल दीपक उप प्रबंधक	76,288	नियमित	बी.टेक. (सिविल) (11 वर्ष)	30.5.81	34	सहायक इंजी., टीसीई बम्बई
सत्य प्रकाश उप प्रबंधक	74,002	नियमित	बी.ई. (सिविल) (15 वर्ष)	9.7.81	38	सहायक प्रबंधक, एफसीआई
सक्सेना जे.सी. उप प्रबंधक	77,195	नियमित	एम.ए., एलएलएम (34 वर्ष)	7.12.78	55	सलेक्सन ग्रेड लेखा परीक्षक एजीसीआर
सीतारामन एन. उप कंपनी सचिव	83,943	नियमित	बी.ए., एलएलबी, एसीएस (31 वर्ष)	26.11.79	51	विशेष निजी सहायक, योजना आयोग
सहगल एस.सी. प्रबंधक	91,284	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (सिविल) (19 वर्ष)	7.11.80	42	सहायक इंजीनियर, चुखा हाईडिल प्रोजैक्ट
सेन एस.सी. कार्यपालक निदेशक	1,53,555	नियमित	बी.ई. (सिविल), एफआईई (34 वर्ष)	31.8.84	55	मुख्य इंजीनियर, ए.एस.ई.बी.
सेठी राजीव उप प्रबंधक	79,780	नियमित	बी.एससी. इंजीनियर (सिविल) (10 वर्ष)	15.4.80	32	—
शर्मा बी.के. मुख्य इंजीनियर	1,25,799	नियमित	बी.टेक. (सिविल), एम.टेक. (सोल मैक. व फाउन्डेशन इंजीनियर) (26 वर्ष)	18.7.81	49	रॉक मशीन का इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय (पश्चिमी जर्मनी)
शर्मा जी.एस. उप प्रबंधक	76,105	नियमित	बी.टेक. (सिविल) (10 वर्ष)	1.2.80	33	—

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
शर्मा के.एस. वरिष्ठ प्रबंधक	99,646	पी.डब्ल्यू.डी. पंजाब से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एससी. (इंजी.), ओनर्स. (सिविल) (23 वर्ष)	23.5.77	41	उप खण्ड अधिकारी पी.डब्ल्यू.डी., पंजाब
शर्मा ओ.पी. मुख्य इंजीनियर	1,23,872	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (सिविल) (28 वर्ष)	15.6.78	52	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल जल-विद्युत परियोजना
शर्मा पी.डी. वरिष्ठ प्रबंधक	99,023	नियमित	एएमआईई, डिप. विद्युत इंजीनियर (26 वर्ष)	29.8.77	46	सहायक इंजीनियर, यूपीएसईबी
शर्मा आर.के. वरिष्ठ प्रबंधक	1,03,014	नियमित	बी.ई. (विद्युत), पी.जी. डिप में विद्युत इंजीनियर, डिप मार्कीटिंग मैनेजमेंट में (21 वर्ष)	31.8.78	43	सहायक इंजीनियर, बीईएएस परियोजना, चण्डीगढ़
शर्मा वी.बी. प्रबंधक	93,916	नियमित	बी.एससी. (इंजी.) (सिविल) (20 वर्ष)	23.9.81	46	सर्विस इंजीनियर, एच.सी.सी. लि.
शर्मा वाई.के. प्रबंधक	91,411	नियमित	बी.टेक. (मैक.) (21 वर्ष)	8.12.80	44	सहायक पर्यवेक्षक, उ.प्र. राज्य कृषि उद्योग निगम
सिंह बी.आर. उप-प्रबंधक	78,220	नियमित	बी.एससी. इंजी. (विद्युत) (19 वर्ष)	02.08.77	45	विभाग अधिकारी व्यास निर्माण बोर्ड
सिंह जी.पी. महाप्रबंधक	90,423	उ.प्र.रा.वि. बोर्ड से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एससी. इंजी (विद्युत) (30 वर्ष)	26.11.87	53	वरिष्ठ प्रबन्धक (हाइड्रो) केनिया लाइटिंग निगम
सिंह जे.पी. उप प्रबंधक	1,02,623	नियमित	बी.एससी. (सिविल) (12 वर्ष)	19.12.77	36	—
सिंह जगदीश प्रबंधक	89,904	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (22 वर्ष)	29.10.81	45	—
सिंह के.एम. उप प्रबंधक	78,927	नियमित	बी.ई. (इलै.) (10 वर्ष)	22.5.79	32	—
सिंह के.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	88,117	नियमित	बी.ई (विद्युत) (18 वर्ष)	11.03.80	42	सहायक निदेशक सीईए
सिंह कंवर प्रतिपाल मुख्य इंजीनियर	1,30,236	नियमित	बी.ई. (सिविल) (33 वर्ष)	01.12.77	56	अधीक्षक इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जम्मू व कश्मीर
सिंह नैन उप प्रबंधक	79,767	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (9 वर्ष)	02.05.86	35	—
सिंह आर.डी.पी. मेजर वरिष्ठ प्रबंधक	1,04,892	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (23 वर्ष)	21.03.79	46	भारतीय सेना में मेजर
सिंगला बी.एन. सहायक प्रबंधक	79,543	एचपीएसजीबी से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (18 वर्ष)	11.12.85	41	—
सिन्हा बी एस.पी. प्रमुख	1,37,757	नियमित	बी.ए. एमआईएमएम (यू.के.) (27 वर्ष)	03.06.81	50	प्रबंधक, बीएचईएल
सुब्रमनी सी.जी. प्रमुख	1,54,152	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.आई.ई. (29 वर्ष)	03.10.79	52	कार्यपालक इंजीनियर सीमा सड़क विभाग
सूरी बी.एल. मुख्य इंजीनियर	1,05,675	नियमित	बी.एससी. (विद्युत) पीजी डिप. बिजनेस मैनेजमेंट	12.07.82	53	अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत) पी.डी.डी. जम्मू व कश्मीर
टहलियानी टी.सी.ए. प्रबंधक	83,401	नियमित	एम.एससी. (इंजी.) (विद्यु.) (18 वर्ष)	04.05.78	44	सहायक इंजीनियर, यू.पी.एस.ई.बी.
तनेजा एस.के. वरिष्ठ प्रबंधक	93,186	नियमित	बी.ई. (सिविल) (28 वर्ष)	13.08.82	53	एस.डी.ई., सिंचाई व विद्युत विभाग, पंजाब
थाथर जी.सी. उप प्रबंधक	8,76,440	नियमित	बी.ई. (सिविल) (17 वर्ष)	29.06.84	38	सहायक इंजीनियर, आर.एस.ई.बी.
तिवारी ए.के. सहायक प्रबंधक	72,148	नियमित	बी.ए., एल.एल.बी. (12 वर्ष)	02.06.83	36	प्राइवेट प्रैक्टिस
त्रेहन पी.एस. प्रबंधक	88,197	नियमित	ए.एम.आई.ई. (मैक.) (22 वर्ष)	06.10.80	45	एस.डी.ओ., पंजाब सिंचाई विभाग
त्रिपाठी एस.डी. प्रबंधक	81,309	नियमित	एएमआईई (विद्युत) (24 वर्ष)	22.10.81	42	सहायक इंजीनियर आरएसईबी
वेंकटाचलम के. आर कार्यपालक सहायक	77,079	नियमित	एसएसएलसी (33 वर्ष)	01.08.78	56	सचिव के विशेष निजी सचिव, विद्युत विभाग
वेंकटेश सी.आर. मुख्य इंजीनियर	1,14,660	नियमित	बी.ई. (सिविल) (स्ट्रेक्चर्स) (14 वर्ष)	29.10.81	45	सीमेंट, शोध रिसर्च संस्थान
वर्मा डी.पी. वरिष्ठ प्रबंधक	96,406	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) (23 वर्ष)	09.08.76	48	उप खण्ड अधिकारी पीडब्ल्यूडी व पंजाब सिंचाई विभाग
वर्मा एच.के. महाप्रबंधक	1,18,565	नियमित	एम.ए. पीजी डिप. पर्सनल मैनेजमेंट में (30 वर्ष)	30.08.88	57	उप सचिव कैबीनेट सैक्टर नई दिल्ली

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
1	2	3	4	5	6	7
सर्वश्री						
विश्वनाथन टी.बी. प्रबंधक	76,789	नियमित	बी.ई. (सिविल) पीजी डिप. प्रौजैक्ट मैनेजमेंट (22 वर्ष)	01.12.80	43	सहायक अधिशासी अभियंता, सीमा सड़क संगठन
विश्वनाथन एन. मुख्य इंजीनियर	1,32,455	नियमित	एम.ई. (सिविल) पावर इंजीनियर (26 वर्ष)	17.09.79	50	सहायक मुख्य इंजीनियर त्रिवेनी, स्ट्रैप लिमिटेड
यादवेंद्रा आर.के. मुख्य इंजीनियर	79,252	नियमित	एम.एससी. (मैक. इंजी.) एम.बी.ए (24 वर्ष)	01.01.82	48	उप निदेशक, विकाश आयुक्त (एसएसएसआई)
जुत्सी के.एल. मुख्य इंजीनियर	1,15,790	नियमित	बी.ई. (सिविल) एम.टैक. (28 वर्ष)	15.05.78	52	कार्यपालक इंजीनियर, सलाल परियोजना

(ख) उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने आंशिक वित्तीय वर्ष के लिए काम किया गया और जिनका पारिश्रमिक 6000/- रुपये प्रतिमास से कम नहीं था।

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु (वर्ष)	पूर्व पद जिस पर पर कार्य किया
अग्रवाल एम.एन. वरिष्ठ प्रबंधक	9,880	नियमित	बी.कॉम. (ऑर्नस) एसीए (21 वर्ष)	16.04.85	45	उप प्रबंधक (वित्त) ईपीआई लि.
अमर नाथ प्रमुख	1,02,691	नियमित	बी.एस. एसएएस (33 वर्ष)	20.09.76	58	विभाग अधिकारी भारतीय परीक्षक और लेखा विभाग
बर्नी जी.एस. सहायक प्रबन्धक	33,938	एचपीएसईबी से प्रतिनियुक्ति पर	—	12.07.89	56	एचपीएसईबी
भार्गव पी.के. उप प्रबंधक	59,419	नियमित	बी.ई. (विद्युत) (11 वर्ष)	16.06.79	32	—
भटनागर एम.एस. डीसीएमओ	59,206	नियमित	एम.बी.बी.एस. (23 वर्ष)	27.08.81	48	एमओ नीओष सुगर मिल इलाहाबाद
भट्टाचारजी एम.एन. प्रमुख	59,583	नियमित	एम.ए. (अर्थ.) पीजी डिप. पर्सनल मैनेजमैंट में (36 वर्ष)	30.12.81	58	एम.ए. (पर्स.) बॉलको
ब्रिगे. पी.एन.एस. नरायनन कार्यपालक निदेशक	68,631	नियमित	सिविल इंजी. में डिग्री एम.आई.ई. (37 वर्ष)	30.03.81	58	मुख्य इंजीनियर, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली
ब्रिगे. आर.के. वर्मा एवीएसएम निदेशक (कार्मिक)	97,165	सरकारी नियुक्ति	बी.एससी. डिफैंस स्टैडिज़ में, पीजी बिजनैस मेनेजमैंट में, पीजी डिप्लोमा, लेबर लॉ व एक्स. मार्किटंग मैनेजमैंट (35 वर्ष)	15.05.89	55	भारतीय नौसेना में ब्रिगेडियर
चोपड़ा एम.एल. प्रमुख	70,682	नियमित	लोक प्रशासन में बीए, पीजी में डिप्लोमा (30 वर्ष)	27.11.81	58	सम्पर्क अधिकारी चुखा जल विद्युत परियोजना
ईश्वर आई. उप प्रबंधक	39,652	नियमित	बी.ई. (सिविल) (भूमि व फाउण्डेशन इंजीनियर) (11 वर्ष)	01.02.80	34	इंजीनियर एम एण्ड ए सी ई, मद्रास
गोयल जे.एम. वरिष्ठ प्रबंधक	95,406	नियमित	बी.एस. एसएएस (रिला.) (38 वर्ष)	15.04.78	58	लेखा अधिकारी, एनएमडीसी लिमिटेड
गुप्ता वी.पी. सहायक प्रबंधक	95,406	एचपीएसईबी से प्रतिनियुक्ति पर	बी.ई. (सिविल) (16 वर्ष)	18.12.87	39	सहायक कार्यपालक इंजी. एचपीएसईबी
हरबंश सिंह प्रबंधक	55,802	नियमित	बी.एससी. इंजी. (सिविल) एमआईई, एमआईजीएस (23 वर्ष)	20.01.79	46	सहायक इंजीनियर चुखा जल विद्युत परियोजना, भूटान
जेठवानी जे. प्रबंधक	54,228	नियमित	एम.ए. एडवर्टाजिंग और पी.आर. में डिप्लोमा जर्नालिज्म में पीजी डिप्लोमा (14 वर्ष)	27.07.78	38	सहायक उत्पादन प्रबंधक मॉडर्न बेकरी
कश्यप के.के. निदेशक (तकनीकी)	63,751	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (मैक.), बी.ई. (विद्युत) (32 वर्ष)	30.08.84	56	उप महाप्रबन्धक बीएचईएल
कृष्णामूर्ति आर. प्रबंधक	36,293	नियमित	बी.एससी., एआईसीडब्ल्यूए, एसएएस (20 वर्ष)	01.07.81	45	वरिष्ठ लागत अधिकारी मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन
मारवाह ए.पी. उप प्रबंधक	74,083	नियमित	सिविल इंजी. में डिप्लोमा	05.09.79	58	उप खण्ड अधिकारी सिंचाई विभाग हरियाणा चण्डीगढ़
सहगल आर.एल. वरिष्ठ प्रबंधक	62,235	एचएसईबी से प्रतिनियुक्ति पर	बी.एससी., एओई, एएमआईई, एफआईई (31 वर्ष)	11.04.88	54	एसई, एचएसईबी
शेनवी एन.आर. वरिष्ठ प्रबंधक	38,856	नियमित	बी.ई. (सिविल) (20 वर्ष)	09.10.78	43	इंजीनियर, मैसूर पॉवर कारपोरेशन लि. बंगलौर
सनवाल एच. एसीएमओ	12,509	नियमित	एमबीबीएस (12 वर्ष)	08.08.81	37	प्राईवेट प्रैक्टिस

टिप्पणीः (1) उपरोक्त कर्मचारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं है।

(2) नौकरी की शर्ते वही है जो समय-समय पर यथास्थिति, लागू सरकारी/कारपोरेशन के नियमों एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा अदा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शातें हैं।

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं — कारपोरेशन द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहाँ लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान आदि।

(ख) ग्रेच्यूटी राशि को नहीं गिना गया है क्योंकि उसकीव्यवस्था जीवन बीमा निगम से तय ग्रेच्यूटी तथा जीवन बीमा पालिसी के आधार पर की गई है।

(ग) विदेश में तैनात कर्मचारियों के मामले में पारिश्रमिक में विदेशी भत्ता भी शामिल हैं।

(5) उपर्युक्त कर्मचारियों में से, चाहे वे पूरे वित्त वर्ष या उसके भाग के लिए कार्यरत रहे और औसतन पारिश्रमिक उसी हिसाब से, या जैसा भी मामला हो, लेते रहे जो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक द्वारा लिया गया था, औसतन से अधिक है। यह उनके या उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों सहित लिए गए कम्पनी के इक्विटी शेयरों के दो प्रतिशत से कम नहीं था।

संगठनात्मक ढांचा

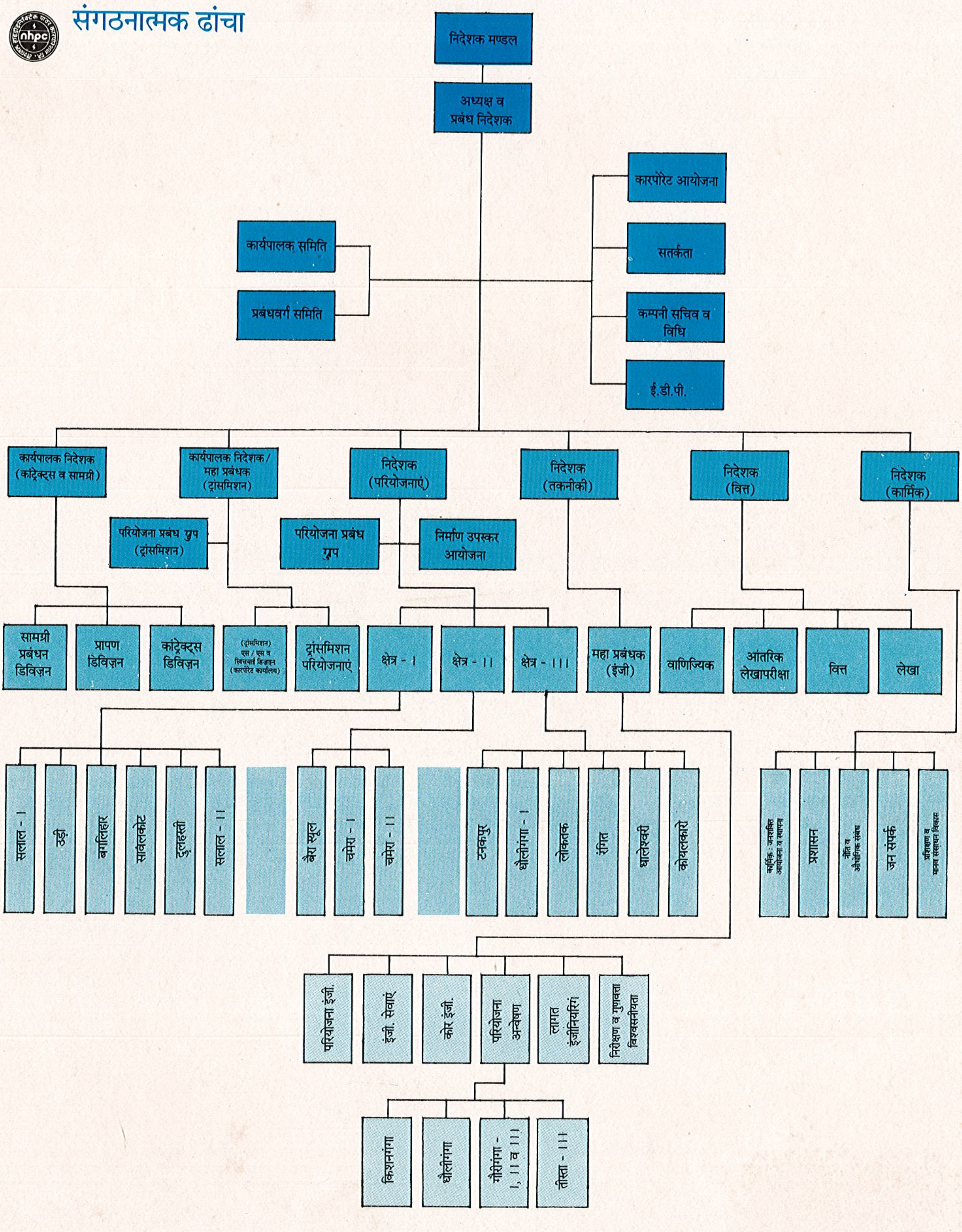

निदेशक मण्डल
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
कारपोरेट आयोजना
सतर्कता
कम्पनी सचिव व विधि
ई.डी.पी.
कार्यपालक समिति
प्रबंधवर्ग समिति
कार्यपालक निदेशक (कांट्रेक्ट्स व सामग्री)
कार्यपालक निदेशक / महा प्रबंधक (ट्रांसमिशन)
निदेशक (परियोजनाएं)
निदेशक (तकनीकी)
निदेशक (वित्त)
निदेशक (कार्मिक)
परियोजना प्रबंध ग्रुप (ट्रांसमिशन)
परियोजना प्रबंध ग्रुप
निर्माण उपस्कर आयोजना
सामग्री प्रबंधन डिविज़न
प्रापण डिविज़न
कांट्रेक्ट्स डिविज़न
(ट्रांसमिशन) एस / एस व सिविलकार्य डिज़ाइन (कारपोरेट कार्यालय)
ट्रांसमिशन परियोजनाएं
क्षेत्र - I
क्षेत्र - II
क्षेत्र - III
महा प्रबंधक (इंजी)
वाणिज्यिक
आंतरिक लेखापरीक्षा
वित्त
लेखा
सलाल - I
उड़ी
बगलिहार
सावलकोट
दुलहस्ती
सलाल - II
बैरा स्यूल
चमेरा - I
चमेरा - II
टनकपुर
धौलीगंगा - I
लोकतक
रंगित
धालेश्वरी
कोयलकारो
कार्मिक : जनशक्ति आयोजना व स्थापना
प्रशासन
नीति व औद्योगिक संबंध
जन संपर्क
प्रशिक्षण व मानव संसाधन विकास
परियोजना इंजी.
इंजी. सेवाएं
कोर इंजी.
परियोजना अन्वेषण
लागत इंजीनियरिंग
निरीक्षण व गुणवत्ता विश्वसनीयता
किशनगंगा
धौलीगंगा
गौरीगंगा - I, II व III
तीस्ता - III

चमेरा परियोजना — निर्माणाधीन कंक्रीट बांध

मॉइलस्टोन/मायर